# विषय सूची

**सत्र-1 (भाग-4) बृहस्पतिवार, 25 जून, 2015/आषाढ़ 04, 1937 (शक) अंक : 09**


| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची | 1-2 |
| 2. | अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था | 3-4 |
| 3. | नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख | 4-25 |
| 4. | नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव | 25-60 |
| 5. | वार्षिक बजट प्रस्तुतीकरण (2015-16) | 61-137 |

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

**सत्र-1 (भाग-4) बृहस्पतिवार, 25 जून, 2015/आषाढ़ 04, 1937 (शक) अंक : 09**

**दिल्ली विधान सभा**

**सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।**

**माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल)** पीठासीन हुए।

**निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :**

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री मोहेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. सुश्री राखी बिड़ला
11. श्री विजेन्द्र गुप्ता
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री इमरान हुसैन
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल

21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह (ति.न.)
23. श्री जगदीप सिंह
24. श्री जरनैल सिंह (रा.गा.)
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. श्री कैलाश गहलोत
31. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
32. सुश्री भावना गौड़
33. श्री विजेन्द्र गर्ग
34. श्री प्रवीण कुमार
35. श्री मदन लाल
36. श्री सोमनाथ भारती
37. श्री नरेश यादव
38. श्री करतार सिंह तंवर
39. श्री प्रकाश
40. श्री अजय दत्त
41. श्री दिनेश मोहनिया
42. श्री सौरभ भारद्वाज
43. सरदार अवतार सिंह कालका जी
44. श्री सही राम
45. श्री नारायण दत्त शर्मा
46. श्री अमानतुल्लाह खान
47. श्री राजू धिंगान
48. श्री मनोज कुमार
49. श्री नितिन त्यागी
50. श्री ओम प्रकाश शर्मा
51. श्री एस.के. बग्गा
52. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
53. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
54. सुश्री सरिता सिंह
55. श्री हाजी इशराक
56. श्री श्रीदत्त शर्मा
57. चौ. फतेह सिंह
58. श्री जगदीश प्रधान

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

**सत्र-1 (भाग-4) बृहस्पतिवार, 25 जून, 2015/आषाढ़ 04, 1937 (शक) अंक : 09**

**सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ**

**अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल)** पीठासीन हुए।

## अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

**अध्यक्ष महोदय** : आज इस सत्र के तीसरे दिन आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख में राजेश ऋषि जी।

**श्री राजेश ऋषि** : अध्यक्ष महोदय, उत्तम नगर, चाणक्य प्लेस, सीतापुरी क्षेत्र से होती हुई सबकी छतों से गुजरती हुई जिससे आए दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : बताइये मैं दो दिन से सुन रहा हूं मेरे पास जो लिस्ट आफ बिजनेस है, एक सेकेण्ड राजेश जी, दो मिनट रुकिए दोबारा पढ़ियेगा। आपका ये नियम-54 में ये का मुझे मिला है, आपके सामने मिला है। मुझे आपसे कहना है एक सेकेण्ड अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने कब दिया? ये आपके सामने है। अभी मैं देख रहा हूं। बाद में बात करता हूं। नियम 54 के अंतर्गत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। मैं

माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि आज बजट पेश होना है और परम्पराओं के अनुसार जिस दिन बजट पेश होता है, उस दिन इस प्रकार का अन्य कोई कार्य नहीं लिया जाता। मेरी पूरी बात। सुन लीजिए एक बार। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दे रहा हूं। वैसे मैंने माननीय नेता, प्रतिपक्ष का प्रस्ताव सम्बन्धित मंत्री को टिप्पणी हेतु भेज दिया है। उनसे टिप्पणी प्राप्त होने पर मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : ये जनहित का मामला है। ये इस तरह से इसको बाई-पास नहीं किया जा सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : कल रख लीजिएगा, ये कल रख लीजिएगा।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : नहीं, कल नहीं रख सकता। आप इस तरह करेंगे तो हम सदन को आगे नहीं चलने देंगे।

**...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्र जी, चलने कब दे रहे हैं आप? बताइये। राजेश ऋषि जी। बोलिए...**(व्यवधान)**

## नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

**श्री राजेश ऋषि** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का समय दिया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : अलका जी, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं आप बीच में न बोलें, ध्यान से सुनें।

**श्री राजेश ऋषि** : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं जिससे कि न केवल मेरी विधानसभा जनकपुरी

बल्कि दिल्ली के अधिकांश क्षेत्र की जनता जूझ रही है। ये समस्या है हाई टेंशन तार। हाई टेंशन तार जो जनकपुरी के उत्तम नगर चाणक्य प्लेस, सीतापुरी क्षेत्र से होती हुई गुजरती है। इसके कारण आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार पूरी दिल्ली में सन् 2009 से 2013 के बीच ऐसी हाई टेंशन तारों की वजह से 27 लोगों की मौत हुई और 28 लोग घायल हुए। अध्यक्ष जी, 2011 में दिल्ली के खजूरी खास के झुग्गी झोपड़ियों में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने की वजह से 9 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए थे। ऐसे आंकड़ें विगत 2 वर्षों से और भी बढ़े होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्यक्ष जी, 20 दिन पहले चाणक्य प्लेस में छत पर खेलने के दौरान एक 10 साल के बच्चे की हाई टेंशन तार की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। 15 दिन पहले चाणक्य पेलेस की एक दुकान में हाई टेंशन वायर की वजह से आग लग गई जिससे वहां के मालिक की मौत हो गई। हर इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा। इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाये और कदम उठाये जायें और इन हाई टेंशन वॉयर्स को हटाया जाये। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री विजेन्द गर्ग जी।

**श्री विजेन्द्र गर्ग** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सदन के समक्ष मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

**...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी जाकर के बात

करूंगा। ये मेरे पास आए क्यों नहीं? मैं बाद में बैठकर बात करूंगा। गर्ग जी।

**श्री विजेन्द्र गर्ग** : अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र नगर के अंतर्गत एक झुग्गी बस्ती है कठपुतली कॉलोनी, पाण्डव नगर के नाम से इस झुग्गी बस्ती की आबादी लगभग 20 हजार है और यहां 3500 झुग्गियां बसी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मंत्री श्री सतेन्द्र जैन जी ने भी इस झुग्गी बस्ती का दौरा विधानसभा चुनाव से पहले किया है और उनकी समस्याओं से वे भलीभांति अवगत हैं। अध्यक्ष जी, आज इस बस्ती की दशा अत्यंत दयनीय है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की दूषित राजनीति के कारण डी.डी.ए. की हठधर्मी के कारण यहां के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो गये हैं। अध्यक्ष जी, आज इस बस्ती की नालियां, गलियां, सड़कें तमाम बदहाल हैं, टूटी हुई पड़ी हैं। कूड़े के अम्बार लगे हुए हैं। झुग्गियों में नालियों का पानी अंदर घुस जाता है। वहां के नागरिक इस समस्या से बेहद परेशान हैं। जगह-जगह गंदगी के ढेर हैं, शौचालय पर्याप्त संख्या में नहीं है और यदि हैं भी तो उनकी दशा बहुत दयनीय है। अध्यक्ष जी, जब हमने DUSIB से यहां विकास और मरम्मत कार्य करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी मजबूरी जताते हुए ये बताया कि यहां कार्य करने के लिए डी.डी.ए. से एन.ओ.सी. लेना पड़ता है। ये अनोखा कार्य केवल कठपुतली कॉलोनी जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहीं पर हो रहा है। बिजली के कनैक्शन के लिए यहां डी.डी.ए. से एन.ओ.सी. लेना पड़ता है। ***(व्यवधान)***...जब डी.डी.ए. और DUSIB के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि डी.डी.ए. हमें यहां काम नहीं करने देता है। कोई भी

विकास का कार्य या मरम्मत का कार्य हम करने जाते हैं तो डी.डी.ए. के आदमी हमें भगा देते हैं कारण पूछने पर पता किया गया कि एन.ओ.सी. की जरूरत पड़ती है। DUSIB वहां काम करना चाहता है हमारी सरकार उस क्षेत्र में विकास करना चाहती है। परंतु डी.डी.ए. की हठधर्मी के कारण वहां एक भी कार्य पिछले तीन साल से नहीं हो पाया। अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय में डी.डी.ए. को निर्देश दिये जायें कि ये एन.ओ.सी. की जो तलवार उन्होंने लटका रखी है, इस तलवार को हटायें ताकि वहां के नागरिकों का जीवन कुछ बेहतर हो सके। उनको मूलभूत सुविधायें मिल सकें। माननीय अध्यक्ष जी, जब डी.डी.ए. से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस झुग्गी बस्ती का शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अदंर फ्लेट बनने हैं। तो इसलिए इनको ट्रांजिट कैम्प में शिफ्ट किया जाना है। ट्रांजिट कैम्प के शिफ्ट होते होते साल हो गये हैं लेकिन वहां शिफ्टिंग नहीं हुई। वहां कुछ समस्यायें हैं कुछ शर्तें डी.डी.ए. ने ऐसी लागू की हैं जिसकी वजह से वहां के नागरिक शिफ्ट होने को तैयार नहीं हैं। तो उसके लिए हम वहां के नागरिकों से भी बात कर रहे हैं। कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु तब तक वो वहां हैं उनको वो सभी सुविधायें दी जानी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। मेरा आपसे इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस क्षेत्र के अंदर वे तमाम विकास कार्य करने की इजाजत दी जाये जिनको डी.डी.ए. ने रोक रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री जरनैल सिंह जी।

**श्री जरनैल सिंह** (तिलक नगर) : नियम 280 के अन्तर्गत सदन के समक्ष अपनी समस्या रखने का समय देने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज मैं आपका ध्यान एम.सी.डी. द्वारा वीकली मार्किट में फैलाई गई अव्यवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहूता हूँ। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट की एक क्लीयर गाईडलाइन्स जारी हुई है 2007 के अन्दर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है to avoid loss of revenue to the MCD, the collection from these bazaars should be made by MCD itself and the middle-man should not be involved in such collection पर इसका टोटली...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : जनरैल सिंह जी, एक सेकेंड रुकिये। आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइये। हाँ, यहीं से बोलिये, क्या दिक्कत है? सुनाई दे रहा है मुझे।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : हमारे दो विषय हैं...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : देखिये लंबी बात नहीं, आपने एडजोर्न करने की बात की।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : मैंने कहा दस मिनट आप एडजोर्न कीजिये बैठ कर बात करेंगे...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : साढ़े तीन बजे मैं एडजोर्न करूँगा और साढ़े तीन से चार बजे आधा घंटा बैठकर बात करेंगे।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : साढ़े तीन से चार नहीं अभी...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : अभी एडजोर्न नहीं होगा। चलिये अभी जारी रखिये। नहीं, विषय को मुझे रखना होगा, मैं रख लूँगा।

**श्री जरनैल सिंह** (तिलक नगर) : अध्यक्ष जी एक तरफ तो एम.सी.डी. बार-बार कहती है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं हैं...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी पहले इनका फैसला कर लीजिये बार-बार इंटरफेयर कर रहे हैं, इनको बाहर भिजवाओ जी।

**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा दोनों बात मत करिए आपने मुझसे कहा कि एडजोर्न कीजिए और वहाँ खड़े होकर आपने मुझसे कहा।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अगर आपका हमारा कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। आपको हम अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाह रहा हूँ। हमारे दोनों विषय बहुत महत्व के हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्र जी, आप मेरी बात सुनो एक बार। विजेन्द्र जी मैंने साढ़े तीन बजे आपकी बात को मान लिया। एक सेकेंड प्लीज। जिद न करो ज्यादा।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अच्छा ठीक है, साढ़े तीन बजे आप दोनों विषयों की बात करेंगे, जो अब आप करना चाह रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : जो आप करना चाह रहे हैं, मैं वहाँ बैठकर बात करूँगा।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : वहाँ के विषय नहीं हैं ये, वहाँ तो चाय पीयेंगे हम।

**अध्यक्ष महोदय** : तो वहाँ बैठ के चाय भी पिलाएंगे, और आपके विषय भी। भइया, आपके सामने मैंने विषय लिया है।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : आप ये कह दीजिये आपकी बात इतने बजे सुनी जाएगी। हम उससे पहले अगर बोल दें...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आपको साढ़े तीन बजे वहाँ बैठकर मैं बात कर लूँ दोनों विषय क्या है फिर चार बजे हाउस बैठेगा। ...**(व्यवधान)**

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, अध्यक्ष अनुमति हाउस में देता है बात करने के लिए...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप बोलते रहिये बस। मेरी बात सुनिये नहीं। एक सेकेंड, अब आप समय पर आ गये आपने मुझसे वहाँ खड़े होकर कहा। अध्यक्ष जी दस मिनट के लिए हाउस एडजोर्न कर दीजिए। आपके मुँह से बात निकली मैंने तुरन्त रोका।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : यही बात कहने के लिए कि आप हमारे लिए कोई टाइम फिक्स कर दीजिए। हम उस समय अपनी बात कह दें। हमने नियम-54 में लगाया, उसको ओवररूल कर दिया।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपनी बात ये कह रहा हूं। विजेन्द्र जी आपकी बात स्वीकार करके मैं कह रहा हूं कि साढ़े तीन बजे एडजोर्न करूँगा।...**(व्यवधान)**

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : साढ़े तीन बजे एडजोर्न करके 3.40 पर यहाँ पर हमें अपनी बात कहने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : बात तो सुनूँगा न मैं वहाँ पर। वहाँ बैठकर पर्सनल लेवल पर बात सुनूँगा।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, पर्सनल लेवल पर तो हम कभी भी आपसे बात कर लेंगे, ये हाउस की बात है।

**अध्यक्ष महोदय** : फिर एडजोर्न क्यों करवा रहे हो?

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, इसलिए कह रहे हैं कि हमें समय दिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : किसको?

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी हमें समय दिया जाए। हाउस के समय के महत्व को समझते हुए दोनों महत्व के विषय हैं हमारे...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप जारी रखिये।

**श्री जरनैल सिंह** : अध्यक्ष जी हैरानी की बात ये है कि आज भी एम.सी.डी. सिर्फ 10 रुपये की पर्ची काटती है वीकली बाजार के अंदर जब कि डेली लाखों रुपये की कलेक्शन हो सकती है...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : अलका जी प्लीज। भाई नीतिन जी मैं आग्रह कर रहा हूँ ये बात ठीक नहीं है। मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूँ। आप जारी रखिये।

**श्री जरनैल सिंह** : अध्यक्ष जी, हमारी टीम के सारे सदस्य आपकी एक बात को मानकर शाँति से बैठते हैं, ये बिल्कुल भी आपकी बात का पालन नहीं कर रहे। बार-बार आपका अध्यक्ष जी इसमें अपमान होता है आप बोलते हैं...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना पढ़ते रहिये। आप बोलते रहिए।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहें।

**श्री जरनैल सिंह** : अध्यक्ष जी, डायरेक्शन साफ-साफ कहती है कि रेवेन्यू के लॉस को रोकने के लिए बाजारों के बीच में कोई मीडिलमैन नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है मेरे हाथ में। जब कि आज भी एम.सी.डी. सिर्फ 120 रुपये की पर्ची काटती है वो भी कुछ दुकानदारों की पर्ची काटती है। इसके अलावा पूरा का पूरा माफिया चलता है बाजारों के अन्दर जो वहाँ से कलेक्शन करता है। एक तरफ तो एम.सी.डी. वाले कहते हैं कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं दूसरी तरफ जहाँ से करोड़ों रुपये की कलेक्शन सालाना हो सकती है। अध्यक्ष जी, एक बाजार के अन्दर चार सौ पाँच सौ मामूली बात है दुकान लगी होना और आज भी उनसे दस रुपये ले रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार हो इस वजह से ले रहे हैं। अगर वो उसी को जो एक्चुअल होना चाहिए आज की डेट में फीस। हर एक दुकानदार दो सौ ढाई सौ रुपये उस माफिया को पे करता है अगर वहीं पे उनसे जायज फीस ली जाए तो बाजार में से हजारों रुपये की कलेक्शन डेली होगी और 2007 में ऐसे 227 बाजार लगते थे। अध्यक्ष जी, जो आज की डेट में अगर कलेक्ट करें तो मिनिमम पचास हजार रुपये एक

बाजार में से कलेक्ट किया जा सकता है और 45 करोड़ रुपये हर महीने इन बाजारों से आ सकता है और सालाना साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये की रकम आ सकती है। इससे एम.सी.डी. की रेवेन्यु की समस्या भी खत्म होती है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन होता है। दूसरी समस्या अध्यक्ष जी, इन बाजारों से होने वाली लोगों को जो असुविधा है, उसकी है। क्लीयर बताया गया है कि बाजार उस रोड पर लगेंगे जहां पर कोई ब्लॉकेज न हो बाजार की वजह से कोई कंजेशन न हो पर फिर भी बाजार ऐसी जगह लग रहे हैं जहाँ पर पब्लिक को पूरी दिक्कत हो रही है। अलग-अलग आर.डब्लू.ए. आ के इस चीज की शिकायत कर रही है कि रात को एक-एक बजे तक बाजार लग रहे हैं। इनकी वजह से असुविधा होने पर एम.सी.डी. और दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। जबकि उनका कलेक्शन के अलावा किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एम.सी.डी. से पूछना चाहता हूँ कि 2007 में जो वीकली मार्किट्स के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई थी, उसके मुताबिक ये बाजार लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ये इस गाइडलाइन की कॉपी मैं सदन में रख रहा हूँ और इसका एम.सी.डी. से आपके माध्यम से मुझे जवाब दिलवाया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

**श्री श्रीदत्त शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने 280 के अन्तर्गत मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं आपका ध्यान खजूरी खास चौक पर लगने वाले जाम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। इस मार्ग पर सुबह से लेकर शाम तक हजारों व्यवसायिक,

सरकारी व निजी वाहन भारी मात्रा में आवागमन करते हैं। दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला यह एक प्रमुख मार्ग है जिसके चलते यह मार्ग काफी कंजेस्टेड रहता है। इस मार्ग से वजीराबाद पुल की तरफ व नन्द नगरी गाजियाबाद की ओर से शास्त्री पार्क आई.एस.बी.टी. की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ जाया जाता है। यही स्थिति शास्त्री पार्क रेड लाइट पर बनी हुई है। इस चौराहे पर काफी दबाव बना रहता है। काफी व्यस्त मार्ग होने के कारण दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं अत: माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे अनुरोध है कि खजूरी खास चौक व शास्त्री पार्क चौक पर ग्रेड सेपरेटर या बहुउद्देशीय क्रॉसिंग में परिवर्तित किया जाए ताकि स्थानीय जनता को जाम की समस्या से निजात मिल सके। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

**श्री राजेन्द्र पाल गौतम** : आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का अवसर दिया। मैं सीमापुरी विधानसभा को represent करता हूँ। सीमापुरी विधानसभा के अन्दर कई सारे ऐसे क्षेत्र, कई सारे ऐसे रोड हैं जिनमें सुन्दर नगरी के अन्दर 331 वाला रोड और दिलशाद गार्डन के पास दिलशाद गार्डन डी.टी.सी. के डिपो के सामने वाला 70 नम्बर वाला रोड और जैन मंदिर कॉलोनी के साथ वाला रोड और दिलशाद कॉलोनी के साथ वाला रोड। इन पांच रोडों पर सुन्दर नगरी एक ऐसा रोड है जहाँ पर हजारों की संख्या में अवैध रूप से गाड़ियों को काटा जाता है। पूरा का पूरा रोड कब्जा किया हुआ है और इन रोडों के अतिक्रमण के खिलाफ मैंने जा के खुद मैं डी.एम. से मिला। डी.एम. साहब के साथ-साथ एस.डी.एम. साहब दोनों अपने

साथ लेकर पूरे क्षेत्र का मैंने दौरा किया और उसके बाद माननीय एस.डी.एम. साहब ने पुलिस के डी.सी.पी. साहब को चिट्ठी लिखी कि वो उस क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस की सहायता चाहते हैं। 23 तारीख को पुलिस की सहायता मिली लेकिन 22 तारीख को अतिक्रमण करने वाले लोगों ने अपना सारा सामान, उनको रात को ही पुलिस के अधिकारियों ने और एम.सी.डी. के अधिकारियों ने सूचना दे दी और उन्होंने अपना अतिक्रमण हटा लिया लेकिन जैसे ही डी.एम. साहब, एस.डी.एम. साहब और पुलिस की टीम वहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरा करके वापस गई उसके जाने के तुरन्त बाद 23 तारीख को शाम होते होते वो पूरा का पूरा इन्क्रोचमेंट दोबारा से हो गया। ये बड़े शर्म की बात है कि जब इस तरह की इन्क्रोचमेंट हटाने की कार्यवाही सरकार की एजेन्सी करती है तो वहाँ पर एम.सी.डी. और दिल्ली पुलिस के निचले अधिकारी उनकी मदद करते हैं। एक दिन पहले उनको सूचना दे देते हैं कि कल यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाएगा और जैसे ही हटाया जाता है उसके तुरन्त बाद वापस आ जाते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बकायदा इंडियन पीनल कोड के अन्दर और भारतीय दंड संहिता के अंदर दोनों के अंदर प्रावधान है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी आई.पी.सी. के अंदर भी जो लोग इस तरह सरकारी रोडों पर या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हैं, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. करने का अधिकार सरकार को है लेकिन जिस तरह अतिक्रमण हटाया गया उसके बाद वो वापस आये, वापस आने के बाद उनके खिलाफ ट्रेस पासिंग के तहत एफ.आई.आर. दर्ज होनी

चाहिए ताकि इस तरह के दोबारा इन्क्रोचमेंट न हों। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि सरकार ऐसे मसलों पर सख्त कार्रवाई करे चूंकि हमने हमारी सरकार ने ये वायदा किया था कि हम किसी भी सरकार का इन्क्रोचमेंट जो पहले से है जो पहले की झोपड़ियाँ/झुग्गियाँ बनी हुई हैं या जो पहले से रोडों पर दुकान कर रहे हैं, हम उनको नहीं हटायेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, हजारों की तादाद में और मुझे लगता है जिस तरह मेरी कॉन्सिटीट्वेन्सी में है, वही सारी समस्याएं बॉकी कॉन्सिटीट्वेन्सी के लोग भी फेस कर रहे होंगे।

**(भाजपा के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

सभी जगह सड़कों को बड़ी तेजी से कब्जा किया जा रहा है और कोई डर नहीं है कब्जा करने वालों के दिमाग में। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो इन्क्रोचमेन्ट हटने के बाद दुबारा कब्जे कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरह के अतिक्रमण को रोका जा सके। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री इमरान हुसैन जी।

**मो. इमरान हुसैन** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 के अन्तर्गत बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और अपने भाई कपिल मिश्रा जी को मंत्री बनाने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका ध्यान बल्ली मारान विधान सभा क्षेत्र की जा रही बिजली कटौती की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि 7 दिन से रोज रात में तीन बजे जा रही है, वह सहरी का टाइम होता

है। लोग बाग रात को उठते हैं, सहरी करते हैं। तीन बजे लाइट जा रही है और 5 बजे वे लाइट दे रहे हैं। मैं रोज तीन बजे से 5 बजे तक बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करता हूँ तो वे कहते हैं कि कोई लोड कटिंग नहीं है। फॉल्ट हो गया है। अध्यक्ष महोदय, डेली रात को तीन बजे ही फॉल्ट होता है? इसके अलावा और कभी नहीं होता? दिन में कोई फॉल्ट नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि बिजली कम्पनी के अधिकारियों को बुलाया जाये और उनसे इस बात की खबर ली जाये कि वे ये क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, डेली रात को साढ़े तीन बजे पानी आता है तो लोग बाग पानी भी नहीं भर पाते हैं और जिसकी वजह से वे दिन में परेशान रहते हैं और हमारे ऑफिसेज के चक्कर काटते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। इसकी जिम्मेदार बिजली कम्पनियां हैं, बी.एस.ई.एस. है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे अपील करता हूँ कि बी.एस.ई.एस. का लाइसेन्स रद्द किया जाये। उसकी इस शर्मनाक हरकत के लिए बी.एस.ई.एस. का लाइसेन्स रद्द किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक और बात विधवा पेंशन की ओर आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो कि पहले एम.सी.डी. देती थी। पिछले एक साल से एम.सी.डी. विधवाओं को, बुजुर्गों को और विकलांगों को पेंशन नहीं दे रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : इमरान जी, नियम 280 के अन्तर्गत एक ही विषय उठाया जा सकता है।

**मो. इमरान हुसैन** : ठीक है, अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

**अध्यक्ष महोदय** : ओम प्रकाश जी हैं नहीं। जगदीश प्रधान जी भी नहीं हैं। श्री जरनैल सिंह (रा.गा.)

**श्री जरनैल सिंह** (रा.गा.) : अध्यक्ष महोदय, जो सब्जेक्ट मैंने कल थोड़ा सा उठा दिया था, एक और विषय है जो मैंने नियम 280 के अन्तर्गत दिया हुआ है, अगर मैं उसे उठा दूं तो?

अध्यक्ष महोदय, राज सिनेमा हमारे यहां है चौखंडी में। कई लोगों ने नाम सुना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी इन्क्रोचमैन्ट का एक ऐसा उदाहरण है कि एम.सी.डी. के रिकॉर्ड में अभी तक जो आर.टी.आई. में जानकारी मांगी गई है, राज सिनेमा के तौर पर कोई सिनेमा, कोई इमारत वहां पर है ही नहीं। जब कि 1974 से लेकर अब तक वह वहीं के वहीं पर खड़ी चल रही है। लोगों ने इसका विरोध किया था। नाले के ऊपर ये जमीन थी, जिस जमीन पर ये इन्क्रोचमैन्ट की गई और एक राज सिनेमा बना दिया गया। एम.सी.डी. के पास जाकर लोगों ने शिकायत की। तो उन्होंने कहा कि हम इस इन्क्रोचमैन्ट को हटायेंगे और इन्क्रोचमैन्ट को हटाने के लिए उन्होंने 14 अप्रैल, 1986 को कहा गया, कॉमन फैसिलिटीज साइट नं. 6 घोषित किया गया इस राज सिनेमा को और कहा गया कि इसे मुक्त कराया जायेगा, कब्जा मुक्त कराया जायेगा। बुल्डोजर भेजे गये, सब कुछ भेजा गया। लेकिन फिर सांठ-गांठ हुई, वे वापस चले गये और राज सिनेमा आज

तक वैसा का वैसा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर 15 फुट की एक गली है जो चौखण्डी एक्सटेंशन के लिए है। लेकिन अभी तक राज सिनेमा के मालिकों ने उसके ऊपर ताला लगा रखा है और वह गली बंद है। एसोसिएशन वाले लोग मेरे पास आये और बोले कि कम से कम इस गली को तो खुलवा दिया जाये। क्योंकि ये रेजिडेन्शियल गली है लेकिन उन्होंने ताला लगा रखा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये विनती करता हूँ कि इसकी जाँच कराई जानी चाहिए कि 1974 में किस तरह राज सिनेमा को जगह दी गई? बार-बार एम.सी.डी. के पास ये मामला उठाया गया, डी.सी. के पास ये मामला उठाया गया। जब आदेश दिए गए कि इसे हटाया जाये तो वह आज तक क्यों नहीं हटा? अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी जो 15 फुट की रोड है, उसे तो खुलवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आदर्श शास्त्री जी।

**श्री आदर्श शास्त्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, ये मामला पूर्वी-पश्चिमी दिल्ली से संबंधित है, जिसमें मेरी विधान सभा द्वारका भी आती है। और पूर्वी-पश्चिमी दिल्ली में जो सबसे बड़ा नाला डाबड़ी नाले के नाम से है, उसको लेकर ये समस्या है। अध्यक्ष महोदय, डाबड़ी नाले को ढकने का काम आज से 15 साल पहले शुरू किया गया था। इस नाले को पिछले 10 वर्ष में 80 से 85 प्रतिशत ढक दिया गया है। यह नाला द्वारका कैण्ट की विधान सभा, जनक पुरी और पालम अलग-अलग विधान सभाओं के

अन्दर से होते हुए जाता है। मगर जब ये 80-85 प्रतिशत ढका गया, उसके बाद पिछले 3 वर्ष से इस पर काम रुका हुआ है। बताया ये जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए थे कि किसी भी नाले को पाटा नहीं जायेगा, ढका नहीं जायेगा। उसी के अनुसार इस पर काम बंद है। मगर उसी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन्स ये बताती है कि जिन नालों को पटने के काम में 80 प्रतिशत काम हो चुका है, उनको पूरा किया जा सकता है और उसमें कोई भी एन.जी.टी. की गाइड लाइन्स का उल्लंघन नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से ये आग्रह है कि अगर 80 प्रतिशत से ज्यादा इस नाले का काम हो चुका है तो जो 20 प्रतिशत रह गया है और वह 20 प्रतिशत पूरा द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पड़ता है तो इसे ढकने का काम किया जाये। दिल्ली सरकार के दो विभागों फ्लड डिपार्टमैन्ट और पी.डब्ल्यू.डी. के बीच में यह मसला फंसा हुआ है। तो मेरी दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन्स के मुताबिक इस काम को पूरा किया जा सकता है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाये क्योंकि केवल 20 प्रतिशत हिस्सा इस नाले का बचा हुआ है और वह सारा द्वारका के अंदर आता है। जिससे कि बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा महामारी और बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने का खतरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नरेश यादव जी।

**श्री नरेश यादव** : अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे नियम 280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र मेहरौली में पीने के पानी की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेहरौली एक प्राचीन व ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहां की आबादी बहुत घनी है। प्राचीन होने के नाते इस क्षेत्र की नालियां और गलियां बहुत संकरी और तंग हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर पीने के पानी की और सीवर की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है। दिल्ली जल बोर्ड ने यहां पर दो प्रोजेक्ट लगाये थे। सीवर का जो प्रोजेक्ट था, उसकी लागत 33 करोड़ रुपये थी। इन्होंने एक पॉयलट प्रोजेक्ट अण्डर पी.पी.पी. स्कीम लगाया था जिसकी लागत 120 करोड़ थी। अध्यक्ष महोदय, जो सीवर का प्रोजेक्ट था, उसमें सीवर की लाइन 34 किलोमीटर लम्बी डाली जानी थी और उसका काम सितम्बर, 2015 में पूरा होना था। लेकिन अभी तक केवल डेढ़ किलोमीटर सीवर की लाइनें डली हैं। रेनी सीजन हमारे सामने है। नालियां और गलियां खुदी पड़ी हैं। वहां पर नालियों की हालत बहुत खराब है। पिछले साल एक घटना घटी। वहां पर एक छोटा बच्चा नाले में बह गया और उसकी मौत हो गई। ये काफी गंभीर समस्या है। ये प्रोजेक्ट वहां स्टॉर्ट किया गया और उस पर अभी कोई कार्य नहीं चल रहा है। वह कार्य अभी बिल्कुल बंद है। जल बोर्ड और एम.सी.डी. के बीच में आपस में विवाद हो, दिल्ली जल बोर्ड अपना एस्टिमेट कुछ अलग बना रहे हैं और एम.सी.डी. अलग बना रही है। दोनों की ज्वाइंट मीटिंग्स भी करायी हैं जिससे कि मामला सॉल्व हो जाये। इसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर के साथ मीटिंग की है। जल बोर्ड के सी.ई.ओ. के साथ मीटिंग की है। हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी के साथ भी मैंने मीटिंग की है। लेकिन अभी तक ये

मामला सॉल्व नहीं हुआ है। सीवर का प्रोजेक्ट अभी बंद पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से ये जानना चाहता हूँ कि ये कार्य कब स्टॉर्ट होगा और कब तक पूरा होगा? अध्यक्ष महोदय इसकी डेड लाइन सितम्बर, 2015 है।

दूसरा जो नया पाइप लाइन है एक प्रोजेक्ट pilot project है अण्डर पी.पी.पी. प्रोजेक्ट जो 120 करोड़ का है। जिसमें चार यू.जी.आर. महरौली में बनाने थे। ट्रांसमिसन लाइन डालनी थी, साढ़े पांच किलोमीटर की, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थी, 40 किलोमीटर की। जिसमें की यू.जी.आर. का काम 32 परसेंट हुआ है। और ट्रांसमिशन लाइन का जो साढ़े पांच किलोमीटर थी, केवल पांच प्रसेंट काम कम्पलीट हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कार्य जो लाइन डलनी थी, उसमें लगभग 40 से 50 परसेंट कार्य पूरा हुआ है। जिसमें दिल्ली बोर्ड का काफी ज्यादा पैसा 120 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, उसमें से जो प्राईवेट कम्पनी है, उसको दिया जा चुका है। इसके लिए मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को भी पत्र लिखा था। जिसमें मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में जांच करने की मांग की थी। ये पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली जल बोर्ड की वजह से ही अटका हुआ है। प्राईवेट कम्पनी वालों से भी मैंने मीटिंग की है उनका कहना है कि हमें तो गर्वेनेट के डिपार्टमेंटस है जैसे - फोरेस्ट डिपार्टमेंट है, डी.डी.ए. है, सी.पी.डब्ल्यू.डी. है, इनसे कुछ परमीशन्स जो कि दिल्ली जल बोर्ड ने लेकर देनी है, तभी हम लाईन का काम आगे कर सकते हैं। तो सारा का सारा रुका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह काम कब स्टार्ट होगा। पिछले 18 महीने से यह काम बन्द है जिसमें लगभग-

लगभग 30-40 करोड़ रुपये की पेमेंट भी हो चुकी है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है। लेकिन एक अधूरा प्रोजेक्ट। जो काम हो गया जिसमें इतना पैसा लग भी गया है, उसके बावजूद वो काम वहां पर खराब हो रहा है। जो यू.जी.आर. बने हुए हैं वो काम खराब हो रहा है और उसकी हालत खराब है। सभी अधिकारियों से मीटिंग करने के बावजूद भी अभी तक उस पर किसी तरह का कोई कार्य प्रोगेस में नहीं दिखा है। तो मैं आपके माध्यम से ये request करूंगा कि ये महरौली का ये काम जल्दी से जल्दी इन दोनों प्रोजेक्ट का कराया जाए। क्योंकि महरौली में इतनी पतली गलियां हैं, वहां पर किसी भी तरह से टैंकर से भी पानी की सप्लाई नहीं की जा सकती। वहां पर अगर जो पानी की सप्लाई है वो पाईप लाइन से ही हो सकती है जो कि काफी पुरानी है। आज वहां पर पानी की और सीवर की बहुत बड़ी किल्लत है। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अवतार सिंह जी।

**श्री अवतार सिंह कालका जी** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि कालका जी विधान सभा में सीवर की बहुत समस्या है। क्योंकि पिछली सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं हमने ये आने वाले समय में जो 45-50 साल से सीवर लाईन डल चुकी है कि आगे की आने की सुविधा उनको देनी है। क्योंकि उनको इस बात में समय ही नहीं है वो देश को नोचने में लगे हुए हैं। करप्शन के चक्कर में लगे रहते थे। जिसके कारण पब्लिक को जो सेवाएं देनी है, उनको मुहैया नहीं कराई गई। बड़ी अफसोस की बात है कि आज सीवर लाईन की हमारे पास ऐसी मशीनरी

नहीं है कि जो हमारी अनओथोराईज्ड कॉलोनी है, छोटी गलियां हैं, और उनके अन्दर हमारे सुपर सकर नहीं जा सकते। और सीवर लाईन की सफाई नहीं हो पा रही। तो हालत ये है कि जब सीवर भर जाता है, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो पानी की पाईप लाईन जो जा रही है उसमें वे प्रवेश कर जाता है। तो लोगों के अन्दर इतना डर है कि महामारी फैलने का। पानी पीने को साफ आ नहीं रहा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हम एक बर्तन जो गंदा हो जाता है तो उसको साफ करते हैं, पर जब वे पाईप लाईन से सीवर का पानी चला जाता है, लाईन को कोई साफ ही नहीं करता। धोना भी नहीं होता उसको उन्होंने और पानी साफ आता है तो उसके साथ ही वो साफ पानी होता है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसी आज तक हमारी पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि आने वाले वक्त के लिए ये लोग 200-200 साल पहले इन्तजाम कर लेते हैं कोई अगर खराबी आनी होती। उसका इन्तजाम ही नहीं किया उन्होंने। तो वो मशीनरी का इन्तजाम कराया जाए जल्दी से जल्दी। क्योंकि छोटी-छोटी गलियों में जाके। मैं पीछे तीन बार अपने वहां पर अपने जल बोर्ड में भी गया। वहां पर भी जाकर उनको बोला की भई मशीनरी का इन्तजाम करो ताकि लोगों को सुविधा दें। तो ये बहुत दिक्कत की बात है। और झुग्गियों में जो पानी की लाइनें हैं, बात वहीं है कि पीछे की सरकारों ने सोचा ही नहीं। उनके नेताओं ने कुछ सोचा ही नहीं। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि झुग्गी में जो पाईप लाईन जा रही है, गल चुकी है। उसके ऊपर रबड़ चढ़ाकर उसको सेट कर देते हैं और नाली के अन्दर से वो पाईप जा रहा है। तो पीने का पानी इतना खराब है। सफाई नहीं है इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द ऐसी मशीनरी का,

ऐसी मशीनरी मुहैया कराई जाए ताकि लोगों को जो समस्या है, बहुत भारी समस्या है, लोग बहुत परेशान हैं। हमारे इलाके में गोविन्द पुरी में नित्यप्रति सीवर लाईन का पानी मिक्स हो रहा है। पानी का दूषित हो रहा है। उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं हमारे इलाके में। एक और प्रोबल्म है कि हमारे पास पिछले तीन महीने से एक ही जे.ई. था और एक ही ए.ई. था। पर मैं धन्यवाद करता हूं कपिल मिश्रा जी का। उन्होंने पीछे एक जे.ई. दिया। और हर हाल में एक ए.ई. चाहिए हमारे को। काम करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि विधान सभा बहुत बड़ी है। लोगों का बहुत तादाद है वहां पर। और लोग परेशान होते हैं। इसके लिए हमारे को ए.ई. भी मुहैया कराया जाए ताकि काम करना आसान हो जाए। और लोगों की सुविधाएं मिले। जिस लिए आए है, हमारे को आम आदमी की पार्टी की सरकार को समर्थन मिला है लोगों को आस्था है बहुत कि हमारे काम होंगे और वो काम जल्द से जल्द हों। लोगों को पानी पीने का शुद्ध मिले, कि वो लाईन की जो समस्या है उसको हल किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

## नियम-107 के अन्तर्गत प्रस्ताव

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। नियम 107 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

कर्नल देवेन्द्र सिंह जी सहरावत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह सदन पूर्व सैनिकों की न्यायोचित मांगों का समर्थन करता है। देवेन्द्र सहरावत जी।

**कर्नल देवेन्द्र सिंह सहरावत** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मुझे पूर्व सैनिकों की इस मांग के लिए समय देने पर आपका मैं आभारी हूं। देश के सशस्त्र

बलों पर हमारी लोकतान्त्रिक भारत के सभी नागरिक फख्र और गर्व करते हैं। वन रेंक-वन पेंशन पूर्व सैनिकों की लम्बे समय से चली आ रही एक मांग है। एक ही अवधि के सेवा और रेंक से रिटायर्ड सैनिकों को समान पेंशन मिले जिसका कि डेट आफ रिटायरमेंट से कोई सम्बन्ध न हो। बस यहीं है उनकी मांग। देश के 3 करोड़ पूर्व सैनिकों के समर्थन को जीतने के लिए 15 सितम्बर, 2013 को रेवाड़ी की रैली में इसे एक चुनावी वादे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। केन्द्र सरकार ने अन्तरिम बजट में 500 करोड़ इसके लिए आमन्त्रित किये। और मई, 2015 तक इसको लागू करने का वचन दिया था। इस योजना पर महज 8 हजार 500 करोड़ का टोटल खर्चा आने का अनुमान है। और उसका लाभ उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और केबिनेट सचिव जैसे जो चुनिन्दा पदों पर जो लोग हैं वो already पा रहे हैं। 1973 तक लगभग 26 वर्षों से ये लाभ सैनिकों को मिल रहा था। 1980-81 में संसद की Estimate समिति ने इस पर विचार किया। 1984 में ये सिफारिश चौथे वेतन आयोग के समक्ष रखी गई। 1991 में तत्कालीन रक्षा मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता की समिति ने इसको खारिज कर दिया। पांचवें वेतन आयोग की 2003 की समिति ने प्रस्तावना को अस्वीकार किया। 1986 से पूर्व और बाद के एक्स-सर्विसमैन को समानता दी और 1996 से पूर्व और बाद के पूर्व सैनिकों को आंशिक समानता दी। 2009 के बजट में ये समानता 1997 के पूर्व और बाद के पूर्व सैनिकों को दी गई पर औरों को फिर से टाल दिया गया। सैनिकों के कठिन और अत्यधिक बलिदान के कार्यभार को सदियों से कल्याणकारी नीतियों द्वारा अपनाया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अकेले

हरियाणा में 4 लाख 20 एकड़ जमीन सैनिकों को आवंटित की गई। स्वतन्त्रता उपरान्त भी ये नीति चली। आई.ए.एस. में, सेना में, पुलिस में, बैंक में, एयर लाइन्स में सभी केन्द्रीय विभागों में और राजकीय चयन बोर्डों में पूर्व सैनिकों को पुनर्वास हेतु आरक्षण दिया गया। सैनिकों के मकान पर अतिक्रमण न हो, किरायेदार उन पर कब्जा न करें, ऐसा कानून दोबारा सुरक्षित किया गया। देश भर के टोल टैक्स से उन्हें मुक्त किया गया। सी.एस.डी. के पदार्थों पर कर में 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई। प्रथम, द्वितीय श्रेणी में पांच प्रतिशत, और तीसरी और चतुर्थ श्रेणी में चौदह फीसदी तक का आरक्षण दिया गया। आवास नीतियों में आरक्षण आदि प्रोत्साहन सैनिकों को दिये गए। परन्तु ये नीतियां धीरे-धीरे गायब नजर होती आई। देश में 1947 में कश्मीर में, 1962 में चीन के साथ, 1965 में सरक्रीक में, 1971 में पाकिस्तान के साथ दोनों फ्रंटस पर 1983 से सियाचिन ग्लेश्यिर में, 1987 में श्रीलंका में, 1993 में जम्मू और कश्मीर के साथ लगभग 1800 लोग हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं। 2000 में कारगिल में। हर घटना पर सैनिकों का शौर्य हमारे देश ने देखा है। चाहे वह लातूर हो, चाहे वो कच्छ हो, चाहे वो उत्तराखण्ड हो। इन सब विपदाओं के दौरान भी हमारे सैनिक जो है देश के लिए 24X7 उपलब्ध थे। और कभी न कभी जैसे ऐन वक्त पर कॉमन वेल्थ गेम का वो ब्रिज गिर गया था उस समय भी सैनिक जो है आकर उस पुल को बनाने के लिए देश के सामने उपलब्ध हुए। मैं दिल्ली सरकार द्वारा सैनिकों और अर्ध सैनिकों तथा पुलिस विभाग के शहीदों को एक करोड़ रुपये की राशि देने की पहल करने के लिए बधाई देता हूं। मैं दिल्ली सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को मानव संसाधनों के खजाने के रूप

में अपना कर और राजस्व विभाग, विपदा प्रबन्धन disaster management, civil defence पर्यटन, परिवहन एवं अन्य विभागों में उपयोग करने की योजना का स्वागत करता हूं और इन योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह करता हूं। आज के दिन देश में हमारा किसान आत्म हत्या करने को बाध्य है और हमारा सैनिक पेंशन के लिए सड़क पर उतरा हुआ है। मैं दिल्ली की विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि दल-गत राजनीति से ऊपर उठकर जय जवान और जय किसान के इस नारे को पूरे देश तक पहुंचाए। हिमाचल प्रदेश और पंजाब विधान सभा इस प्रस्ताव को पहले ही पारित कर चुके हैं। मुझे समय देने के लिए अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है, अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। मेरे पास जो नाम आए हैं सुश्री राखी बिड़ला जी।

**सुश्री राखी बिड़ला** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वन रैंक वन पेंशन भारतीय फौजियों की एक लंबे समय से चल रही मांग है। सेना में एक रैंक और समान अवधि की सेवा के मामले में पेंशन भी समान होनी चाहिए। भारत की सरकार ने 2014 के बजट में उपरोक्त मांग के लिए बजट भी दिया था लेकिन मंत्रालय द्वारा तकनीकी आकलन को बाधित करने में हो रही देरी की वजह से आज तक इस स्कीम को लागू नहीं किया गया है। सरकार को ये डर है कि कहीं फौजियों की तर्ज पर सिविल कर्मचारी भी इस मांग को ना खड़ा करें। इस वजह से आज तक इस स्कीम को रोका गया है। लेकिन अभी पीछे हुए

लोक सभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इसे अपना एक चुनावी मुद्दा बनाया और चुनाव में ये घोषणा की कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी वन रैंक वन पेंशन को आगे बढ़ाएगी और जो इसके लाभार्थी है, उनको इसका लाभ पहुंचाएगी। लेकिन जैसे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी अभी तक करती आई है, वो अपने तमाम वादों को कभी जुमला कहती है या फिर भूल कह कर जाती है। उसी में इन्होंने इन फौजियों का जो ये वादा है उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रक्षा मंत्रालय ने जानबूझकर तकनीकी आकलन का बहाना बनाकर आज तक इस स्कीम को लागू ना करने की दुहाई दी है लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि अगर केंद्र की सरकार चाहे तो, हमारे गृह मंत्री चाहे, तो महज एक हफ्ते के अंदर वन रैंक वन पेंशन को लागू कर सकते हैं और उन सैनिकों को ये बैनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, आजादी का जीवन जीने के लिए हम यहां पर मौजूद है। लेकिन बी.जे.पी. हर समस्या को, अपने हर वादे को भूलती जा रही है। जिस प्रकार से काले धन को महज जुमला कहना, हर भारतीय नागरिक के एकाउंट में 15 लाख रुपये आने को लिया। अभी पीछे सुशील मोदी जी ने बोला कि वो महज एक उदाहरण था। इसी प्रकार से शायद ये लोग, भाजपा के लोग फौजियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मोदी सरकार शायद वही बी.जे.पी. की सरकार है जिसने ताबूत का घोटाला किया था। इन्हें शर्म नहीं आती इस बात की कि ये फौजी लोग अपने खून से लिखकर पत्र दे रहे हैं, केंद्र सरकार के लोगों को। इनके अंदर फीलिंग्स खत्म हो चुकी है कि अगर

कुछ देर बाद लागू करना चाहते हैं वन रैंक वन पेंशन को, कुछ समस्याएं आ रही हैं, कोई तकनीकी जटिलता है तो कम से कम जो लोग हड़ताल पर बैठे हैं, जो खून से लिखकर अपना पत्र दे रहे हैं, कम से कम उनके साथ बैठकर मध्यस्थता करे, उनके साथ बात करें। मैं इस सदन में मौजूद तमाम साथियों से अध्यक्ष साहब, आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार से दो राज्यों के सदन ने इस मोशन को पारित किया है कि वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, मैं चाहती हूं कि दिल्ली का ये सदन भी वन रैंक और वन पेंशन के मुद्दे को पास करे और केन्द्र सरकार को इस बात के लिए प्रेशराइज करे कि जो सैनिक अपनी जान गंवाकर हम लोगों की सेवा करते हैं, हमारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, उन सैनिकों के लिए हम लोग तन, मन, धन के साथ खड़े हैं। मैं दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री साहब को इस बात की बधाई देती हूं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं आती है लेकिन फिर भी अगर दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी, कोई सिपाही अगर शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसे एक करोड़ का मुआवजा देती है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि अपनी पूरी की पूरी सरकार को और मैं जितने भी हमारे साथी हैं, यहां पर उन सबको इस बात के लिए कहना चाहूंगी कि अगर केंद्र सरकार इस बात के लिए बाधित नहीं होती है कि वो वन रैंक वन पेंशन को जल्दी से जल्दी दे तो हम सबको मिलकर प्रदर्शन करना चाहिए केंद्र सरकार के खिलाफ, हमारे गृहमंत्री के खिलाफ और मैं पूछना चाहती हूं हमारे तीनों माननीय सदस्य अभी सदन के अंदर हैं नहीं, ये जनता का समय बर्बाद करने के लिए आते हैं, यहां पर ड्रामा करने के लिए आते हैं और मीडिया में फुटेज पाने के लिए शायद इन्होंने इस सदन को जगह बना के रखा है।...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : राखी जी कन्कलूड करिए।

**सुश्री राखी बिड़ला** : अगर ये हमारे रिटायर्ड फौजी भाई माननीय प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांग को नहीं उठाएंगे तो क्या ललित मोदी जी के पास जाएंगे, क्या इस देश के भगोड़े के पास जाएंगे, सुषमा स्वराज के पास जाएंगे वो लोग, जो इस देश के भगोड़े का तो समर्थन करती है, उसको तो मानवीय आधार पर क्योंकि उनकी वाइफ का ओपरेशन होना था, तो मानवीय आधार पर उन्हें तो परमीशन दी जाती है लेकिन ये जो देश के फौजी हैं जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी, पूरी की पूरी जिंदगी इन्होंने सरहद पर लगा दी, क्या इनके लिए इनकी आंखें नहीं खुलती है कि अपने लहू से पत्र लिखते हैं लेकिन फिर भी मोदी जी आंख नहीं खुलती। क्या ये फौजी भाई स्मृति ईरानी जी के पास जाएंगे जो अपने हर हलफनामे में गलत जानकारी देती है या फिर ये फौजी भाई पंकजा मुंडे जो कि महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री रही है, उनके पास जाएंगे जो कि आनन-फानन में...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : राखी जी विषय पर रखिए, कन्कलूड करिए।

**सुश्री राखी बिड़ला** : माननीय अध्यक्ष साहब मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि इस सदन में आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक गण बैठे हैं, एकजुट होकर इसके लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं कि देश के पूर्व रिटायर्ड फौजियों को वन रैंक और वन पेंशन का इनका पास होना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। इस देश में भगोड़ों को तो

संरक्षण दिया जाएगा लेकिन इस देश में जो सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात फौजी भाई हैं, क्या उनकी आवाज बुलंद नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि इस मोशन को पास किया जाए दिल्ली सरकार की तरफ से कि उन फौजी भाईयों के साथ दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं, इस सदन के जितने भी सदस्यगण हैं सिर्फ तीन बी.जे.पी. के लोगों को छोड़कर बाकी के सारे के सारे उन रिटायर्ड फौजी भाईयों के परिवारों के साथ भी खड़े हैं और इस देश के पूरे रिटायर्ड फौजी भाईयों के साथ खड़े हैं उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनको उनका मान सम्मान दिलाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ऋतुराज जी।

**श्री ऋतुराज गोबिन्द** : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ऐतिहासिक बहस में हिस्सा लेने का मौका दिया, बात कहने का मौका दिया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले कर्नल सहरावत जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो इतने महत्वपूर्ण इश्यू को इस सदन के सामने लाए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, कि जिन सिपाहियों की बदौलत, जिनकी त्याग, तपस्या की बदौलत, sacrifice की बदौलत हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग चैन की नींद सोते हैं, उनके साथ आज तक कुछ किया गया है तो वे सिर्फ और सिर्फ सियासत है, सियासत है, सियासत है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो 1980 से यही सिपाही, सर, वन रैंक वन पेंशन की

मांग कर रहे हैं। 1982 में 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हुई कि वन रैंक वन पेंशन होनी चाहिए। लेकिन तब से कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी थी या फिर आज मोदी सरकार हो, हर किसी ने इनके साथ सिर्फ सियासत की है। सिर्फ वोट बैंक समझने की कोशिश की है और यही ज्यादती हमारे सिपाहियों के साथ हुई है। जिसकी वजह से इस देश के 25 लाख एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के लोग जो कि पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए मादर-ए-वतन हिंदुस्तान के वो लाल सियाचीन में माइनस 40 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं और उसके बाद जब 35 से 40 साल की उम्र में उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है आर्मी के अंदर तो उनके परिवार को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और उससे भी बदतर स्थिति उन सिपाहियों के घर वालों की हैं जिनका देहांत हो जाता है। 40 साल में रिटायरमेंट लेने के बाद। आप यकीन नहीं करेंगे अगर 1990 में किसी सिपाही ने रिटायरमेंट लिया है तो उसको उसी वक्त की बेसिक पे का 50 प्रतिशत उसको पेंशन मिलता है। उससे भी बदतर स्थिति ये है कि अगर उसका देहांत हो जाए तो उसका भी आधा पेंशन उसके परिवार को मिलता है जबकि उससे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि स्थिति उससे ज्यादा खराब होती है। लेकिन आज हमारे सिपाहियों को, जिनका देहांत हो गया, उनकी बीवियों को, बाद में किसी वजह से उनका देहांत हो जाता है, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपए में उनको गुजारा करना पड़ता है।

इस महंगाई के दौर में जहां पर 20 परसेंट, 25 परसेंट Calculation rate हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे ज्यादा अपमानजनक और हो सकता है क्या कि आपको 5000 और 7000 में गुजारा करना पड़ता हो। यह उन सिपाहियों के परिवार की बात कर रहे हैं जो कि देश के लिये अपनी जान तक दे देते हैं। क्या उनकी Sacrifice को हम भूल सकते हैं जो अपना घर-बाहर, परिवार, बाल-बच्चे सब कुछ छोड़-छोड़ कर के हिन्दुस्तान की सरहद पर अपना खून-पसीना एक करते हैं और देश के लिये जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक दे देते हैं, अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। उनके साथ सियासत कर रही है यह मोदी सरकार। उनके साथ सियासत कर रहे आज तक के सियासी हुकमरान जो कि हमेशा इनको वोट बैंक समझने की कोशिश करते हैं आपको याद होगा जब लोक सभा चुनाव से पहले जैसा कि कर्नल सहरावत जी ने कहा कि यहीं पर रिवाड़ी से नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी पहली रैली की थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी Ex Servicemen एसोसिएशन के लोग हैं उन 25 लाख लोगों के साथ इन्साफ करेंगे, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। आज एक साल से ज्यादा हो गया है और उनके ऊपर कोई ध्यान देने का काम नहीं कर रही है जो कि एक सरासर ज्यादती है और जैसा कि सहरावत जी ने कहा कि हिन्दुस्तान के दो सदनों ने आल रेडी इसको पास कर दिया है और हम उन सभी सदनों के सदस्यों से कहेंगे कि एकमत होकर के इस बात की पुरजोर मांग करेंगे और हम लोग आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात की मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे सिपाहियों को सम्मान देने का काम करें। जितनी जल्दी हो सके

उनको One Rank One Pension के तहत उनका पेन्शन निर्धारित होना चाहिये ताकि देश के उन लाखों शहीदों को, उन लाखों सिपाहियों को जो देश के लिये अपना सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ न्यौछावर करके, देश की ईमानदारी से, देशभक्ति से रक्षा कर रहे हैं, उनको सम्मान देने का काम करें और इसी मांग के साथ, पुरजोर मांग के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और फिर से मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने ऐतिहासिक टॉपिक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया अध्यक्ष जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नितिन त्यागी जी।

**कर्नल देवेन्द्र सिंह सहरावत** : मेरे साथी ने अभी जो कहा था उसमें मैं थोड़ा सी जानकारी और जोड़ना चाहूंगा कि 2 करोड़ 80 लाख उन सैनिकों में से लगभग 25 लाख को इसका लाभ मिलेगा और इसके साथ-साथ 8 लाख वीर नारी भी हैं जिनके साथ आज उनके जो जीवनसाथी हैं, उनके साथ 8 लाख उन वीर नारियों को भी उनका लाभ मिलने वाला है जो आज तक इस लाभ से वंचित चल रही हैं। यह मैं जानकारी देना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नितिन त्यागी जी।

**श्री नितिन त्यागी** : Thank, You, Mr. Speaker, Sir, for giving me this opportunity. यह मुद्दा मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है। मैं खुद National Defence में Air force Cadet था, कर्नल साहब मेरे सीनियर हैं और कर्नल साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने आज यह टापिक उठाया। यह मेरे दिल को बहुत छूता है। On the same rank and same length of service, the

pension earned by a veteran has to be same irrespective of the date of retirement. इसमें समझने में इतनी बड़ी परेशानी क्या है? इस मुद्दे में विरोधाभास क्या है? इस मुद्दे को इतना बड़ा बनने क्यों दिया? विरोधाभास अगर कहीं पर भी है तो वह सिर्फ एक के बाद एक आने वाली केन्द्र सरकार की नीयत पर है। सारी जिन्दगी एक फौजी अपनी जान हाथ में लेकर हर नागरिक की, आपकी, मेरी, हम सबकी सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध रहता है, वो हम सबके लिये जैसलमेर के तपते हुए रेगिस्तानों में जान देता है। कारगिल की शरीर को गला देने वाली ठंड में जान देता है। उसके बाद कोई पार्टी, कोई सरकार मिलकर उसके कफन में भी घोटाला कर सकती है। करती है, पीछे किया भी है। आतंकवादियों से लड़ते हैं, उसमें भी जान देते हैं। कर्नल साहब ने बताया 1993 से लेकर अब तक तकरीबन 1800 शहीद तो कश्मीर में ही हो गये हैं। उसके अलावा भी बहुत होते हैं। अभी रिसेन्टली भी हुए थे। बहुत से आतंकवादियों को ढेर भी किया है। करते हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिये करते हैं। चाहे उसके बाद कोई छप्पन ईंच का सीना फुलाकर अपनी पीठ ठोक ले, फिर भी करते हैं। उस फौजी की रिटायरमेंट के बाद उसे अपना जीवन-यापन करने के लिये जो पेन्शन मिलती है उसमें इतनी डिस्पेरिटी क्यों है, इतनी असमानता क्यों है। रिटायर्ड फौजी को One Rank One Pension देने के लिये एक बहुत बड़े पोलिटिकल विल की जरूरत नहीं है। सिर्फ सर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ पोलिटिकल बिल चाहिये, इसके लिये सिर्फ एक साफ दिल चाहिये जो शायद केन्द्र सरकार के पास नहीं है। एक साफ नीयत चाहिये। अगर महंगाई बढ़ रही है, तो वह सबके लिये बढ़ रही है। जो 20 साल पहले रिटायर हुआ उसके

लिये भी बढ़ रही है जो आज रिटायर होगा उसके लिये भी बढ़ रही है। चीजों का दाम वही है, फर्क नहीं है दाम में किसी में। जो पहले रिटायर हुआ वो आज की तारीख में अपनी पेन्शन में सिमिलेरिटी न होने की वजह से इस महंगाई को क्यों भुगते। क्या इतनी सी बात केन्द्र की समझ में नहीं आती।

कर्नल साहब ने भी कहा, ऋतु भाई ने भी कहा सन् 2013 में 13 सितम्बर को मोदी जी के हाथ में बागडोर थमाई गई थी बी.जे.पी. कैम्पेन की और 15 तारीख को उनकी पहली रैली रिवाड़ी में हुई। उसमें उन्होंने ही कहा था कि One Rank One Pension को लागू करने में इतनी Problem कहां है और उन्होंने वहीं रैली में कहा था कि वो केन्द्र सरकार से सबके Behalf पर मांग करते हैं कि एक श्वेत पत्र तभी के तभी जारी किया जाये One Rank One Pension के लिये। उन्होंने यह भी कहा था कि 2004 में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती तो इतनी परेशानी नहीं होती। अरे आती, तो नहीं होती, 1989 से 2004 तक क्या कर रहे थे और मोदी जी खुद पिछले एक साल से क्या कर रहे हैं? क्या उस वक्त भी वो एक चुनावी मुद्दा था? सारी जिन्दगी अपनी जान देश के लिये जोखिम में डालने वाले क्या अपने हक के लिये भीख मांगेंगे। शर्म आनी चाहिये ऐसी सरकारों को, जिन्होंने सरहद को एक मुद्दा बना कर छोड़ दिया। आज इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष साहब मैं केन्द्र सरकार को एक मुफ्त का मशवरा देना चाहता हूं। इस जुमले की राजनीति से थोड़ा सा उठके स्वयं की राजनीति को अपनाये तो शायद देश का भी भला होगा, हमारे फौजी भाइयों का कुछ भला होगा। एक फौजी सारी जिन्दगी सर उठा के जीता

है। सर उठा के मरता है तो केन्द्र सरकार क्यों आमादा है कि एक फौजी उसके सामने अपना सर झुकाये। आज खून से चिट्ठी लिख रहे हैं, जन्तर-मन्तर पर बैठे हैं। तीन लोग यहां पर तीन दिन से हंगामा कर रहे हैं। एक बार इनके मुंह से आवाज नहीं निकली कि फौजी भाईयों के लिये कुछ होना चाहिये। एक बार इनके मुंह से यह आवाज नहीं निकली कि इनका जो प्रधानमंत्री है, इनकी पार्टी से जो प्रधानमंत्री है वो जाकर जन्तर-मन्तर पर फौजी भाईयों का साथ देने की कोशिश करे, उनसे बात करे। अध्यक्ष जी, कहने को बहुत कुछ है पर बात को छोटा रखते हुए इस बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा कि फौजी भाईयों को अपना हक मिलना चाहिये। भीख की तरह से नहीं और केन्द्र को One Rank One Pension की मांग जल्द से जल्द मान लेना चाहिये। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : अलका लाम्बा जी।

**सुश्री अलका लाम्बा** : अध्यक्ष महोदय, श्री सह-रावत जी और नितिन त्यागी जी को सुनने के बाद मैं निवेदन करना चाहती हूं कि क्या यह संभव है कि हम जितने भी विधायक हैं जितने भी हमारे पूर्व सैनिक आज भूख हड़ताल पर एक हफ्ते से ज्यादा दस दिन का समय हो गया, बैठे हुए हैं, हम यहां से एक प्रस्ताव करें और सब समर्थन करते हुए उनसे जाकर मिलें कि हम उनके साथ हर स्तर पर हर तरीके से खड़े हुए हैं। अगर ऐसा कुछ संभव हो पाये। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : सरकार से इस विषय पर विचार कर लें। माननीय उपमुख्यमंत्री जी से मंत्रीगण उसके बाद जैसा निर्णय लें, मेरे पास इस विषय पर दो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आये हैं जरनैल सिंह जी और गुलाब

सिंह जी समय के अभाव में आज बजट सैशन है, मैं दोनों को अनुमति नहीं दे पा रहा हूं। माफी चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : स्वास्थ्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें।

**स्वास्थ्य मंत्री** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक रैंक एक पेंशन योजना का मामला काफी समय से चल रहा है और अभी हाल ही में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन भी किया था। अभी भी वो जन्तर मन्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं परन्तु समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपनी ओर से इस बात को पुरजोर ढंग से उठायेंगे और इस प्रस्ताव को पास करके केन्द्र सरकार को भेजेंगे। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। अब कर्नल देवेन्द्र सहरावत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है-

*जो इसके पक्ष में है वह हां कहे,*
*जो इसके विरोध में है वह ना कहे।*
*हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता*
*प्रस्ताव पास हुआ।*

नियम 107 के अंतर्गत श्री कैलाश गहलोत जी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं प्रस्ताव प्रस्तुत करें। श्री कैलाश गहलोत जी।

**श्री कैलाश गहलोत** : स्पीकर साहब, first of all I thank you for allowing me to participate in this historical debate and discuss the issue of great public importance. आज हमारे दिल्ली में जो पब्लिक हेल्थ फेसीलिटी की

हालत हो गई है, उसके बारे में कुछ दिन पहले एक सज्जन मिले मुझे, तो मैंने पूछा कि हास्पिटल की क्या हालत है। उसका जवाब सुनकर मुझे हंसी भी आई और दुख भी हुआ। उन्होंने कहा "भाई साहब, ऐसा है कि हमारे दिल्ली में हालत ऐसी हो गई है, जहां पिज्जा पहले पहुंचता है और एम्बुलैंस बाद में पहुंचती है।" जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी जो हालत है उसके लिये जिम्मेवार कौन है यह सदन के माध्यम से आपके माध्यम से इसका जवाब पूरी दिल्ली के रेसीडेंटस मांग रहे हैं। दिल्ली भारत की कैपिटल होने के कारण हम सबको मालूम है कि पूरे देश से, अलग-अलग राज्यों से हर दिन प्रति दिन हजारों लोग यहां इलाज कराने के लिये आते हैं और अगर मैं आपको एक आइडिया देने के लिये कुछ फीगर्स बताऊं जो मुझे नेट से प्राप्त हुए approximately seven thousand patient visit OPD only in AIIMS. Seven thousand patients every day only AIIMS. लेकिन पिछले 15-20 साल के दौरान अगर जितनी भी पिछली सरकारें आई, मैं उनसे पूछूं चाहे वह कांग्रेस की रही चाहे बी.जे.पी. की रही कि पिछले सालों में कितने नये डाक्टर्स की भर्ती हुई और कितने नये हस्पताल खोले गये तो उनके पास शायद कोई जवाब देने के लिये नहीं होगा। हास्पिटलस की acute shortage है ऑपरेशन्स के लिये लोग सालों साल वेट करते हैं Hospitals में adequate beds नहीं है, इनका जिम्मेवार कौन है who is accountable for this situation in Delhi today? ये सवाल मैं सबसे पूछता हूं। इस सदन के माध्यम से आपके माध्यम से। एक और मैं छोटा सा, जो हकीकत मेरे सामने आई। come from Najafagarh constitutency देहात का इलाका है। पांच साल का बच्चा था जिसके दिल में छेद था वो मेरे पास

आये मदद मांगने के लिये। एक गवर्नमेंट हास्पिटल में डेढ़ साल की वेटिंग है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ा कि मैं इसमें आपकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। एक महीने के बाद मुझे वही मां बाप मिलते हैं और जब मैंने पूछा कि बच्चे की हालत कैसी है, उन्होंने कहा कि बच्चे का आपरेशन करा लिया है। मैंने कहा कैसे कराया तो उन्होंने कहा प्राइवेट हास्पिटल में कराया, तो स्वाभाविक रूप से मैंने पूछा पैसे कहां से आये, उन्होंने कहा कि मेरे पास 50 गज का मकान था और वह बेचकर मैंने प्राइवेट हास्पिटल में बच्चे का आपरेशन कराया। इसका जिम्मेवार कौन है यह सवाल मैं बार बार पूछता रहूंगा। ये पूरे रेसिडेन्ट्स के behalf पर मैं पूछ रहा हूं पूरे दिल्ली के जो नागरिक हैं उनके behalf पर मैं पूछ रहा हूं कि who is accountable for this in Delhi today? स्पीकर सर, ये जो सिचूऐशन आज है, ये पहले जितनी सरकारें रहीं। बी.जे.पी. की रहीं, कांग्रेस की रहीं। चाहे सेन्टर में कांग्रेस की रही हो सेन्टर में भी कांग्रेस की रही, चाहे बी.जे.पी. की रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ये सिचूऐशन सब उन की वजह से है और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस आर्टिकल पर। दैनिक जागरण का जो आर्टिकल है कल का जिसकी हेड लाइन है - व्यवस्था में दोष। मरीजों का बढ़ा बोझ और ये जो आर्टिकल है इसको पढ़कर मैं दंग रह गया और कुछ लाईनस मैं पढ़ना चाहूंगा इस सदन में। इसमें लिखा है "मरीजों का दबाव कम करने के लिये दिल्ली सरकार ने डेढ़ दशक में करीब डेढ़ दर्जन अस्पतालों के निर्माण की योजना बनाई।" हैरानी की बात यह है कि सरकारें सिर्फ योजना बनाने व राजनीतिक फायदे के लिये अस्पतालों का शिलान्यास करने तक में व्यस्त रही, ठोस उपाय नहीं किये गये। जिसके कारण अस्पतालों की योजना फाइलों में ही

धूल फांक रही है। अस्पतालों के नाम पर राजनीतिक उठापटक का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, क्या कांग्रेस और बी.जे.पी. आज पूरी दिल्ली के स्वास्थ्य में भी राजनीति ढूंढेगी और पिछले 15 साल और 20 साल में जितने हस्पतालों का निर्माण हुआ उसके बारे में भी इसमें लिखा है, मैं दो मिनट पढ़ना चाहूंगा। यहां लम्बित हैं प्रस्तावित अस्पताल की योजना। ये सारे हास्पिटल जमीन ना मिलने के कारण आज तक फाइलों में ही हैं। बामनौली 200 बेड का हास्पिटल जो कि नहीं बन पाया। झटीकरा, बापरौला, मादीपुर, ज्वालापुरी, बिंदापुर, सरिता विहार, सिरसपुर, छतरपुर, विकासपुरी, मोलरबंद, केशवपुरम। ये सभी अस्पताल सिर्फ पेपरों में हैं, फाइलों में हैं अध्यक्ष महोदय। जमीन ना मिलने के कारण यह मुद्दा सभाओं में पहले भी काफी चर्चाओं में बार-बार उठा रहा है कि आज अगर किसी भी विभाग को किसी भी पब्लिक इम्पोरटेंस की चीज के लिये अगर दिल्ली सरकार को लैंड चाहिये तो उसको डी.डी.ए. के पास जाना पड़ता है। आज मैं यह पूछता हूं आपके माध्यम से ये जमीन डी.डी.ए. कहां से ले के आई क्या आसमान से ले के आई, ये जमीन दिल्ली सरकार की थी। ये जमीन सारे दिल्ली के रेजीडेंटस की थी। ये जमीन दिल्ली में जितने गांव हैं, उनकी थी जिनका कि आज डी.डी.ए. मालिक बन के बैठा है और जब यही दिल्ली सरकार डी.डी.ए. के पास जाती है जमीन मांगने के लिये, या तो जमीन नहीं मिलती है या उसका अनाप शनाप रेट मांगा जाता है। Mr. speaker, Sir, today DDA is sitting on land bank of one lakh crore rupees. इसको अगर एकड़ों में करें तो पांच हजार पांच सौ एकड़ लैंड के ऊपर आज

डी.डी.ए. बैठा हुआ है। पूरा prime zone के लगभग 22 किलोमीटर स्केवयर आज डी.डी.ए. लेकर बैठा हुआ है लेकिन जब पब्लिक इम्पोरटेंस इवन हास्पिटलस के लिये जब जमीन मांगी जाती है तो डी.डी.ए. नहीं देता है। स्पीकर साहब I humbly request you, this matter is of great public importance and DDA Vice Chairman should be summoned in this House and a clarification should be sought that on what ground that land has not been given or what were the compelling reasons because of which land is not being given. क्या दिल्ली के रेजीडेंटस ये समझें कि कहीं ना कहीं कोई नेक्सेस था। सरकार में डी.डी.ए. में और प्राइवेट प्लेस में। ये सवाल बार बार उठता रहेगा और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डी.डी.ए. वाईस चैयरमैन को आप सम्मन करें और डी.डी.ए. के मास्टर प्लान के मुताबिक अगर हम सोशल इन्फ्रास्ट्रैक्चर में देखें तो सबसे पहले उसमें हेल्थ का इशू है और डी.डी.ए. के ही मास्टर प्लान के मुताबिक डी.डी.ए. खुद कहता है कि आज जो bed density की रेशो है जो कि हरेक हजार व्यक्ति पर एक जो रेशो होती है, वह दिल्ली में आज लगभग दो के आसपास है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन कहती है हरेक हजार पर पांच बेड की availability होनी चाहिए। इसका मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन है उसके, आधे पर आज हम खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब चीजें जानने के बावजूद भी डी.डी.ए. जमीन नहीं दे रही है। कुछ और facts मैं रखना चाहूँगा and I would request Honourable Health Minister to pay attention and also I would request that some kind of assurance is given to the

residents of Delhi. मास्टर प्लान के मुताबिक स्पीकर सर, आज दिल्ली में लगभग तीस हजार बेड्स हैं और ये फिगर 2007 के हैं लेकिन 2021 तक इन्हीं बेड्स की संख्या लगभग एक लाख 15 हजार हो जाएगी। I would request Honourable Minister to take cognizance of this fact and also assure the residents that correspondingly, the number of beds would be increased so that the public health care system in Delhi improves.

**अध्यक्ष महोदय** : कैलाश जी, आप कनक्लूड कीजिए।

**श्री कैलाश गहलोत** : स्पीकर सर, दो मिनट लूँगा। बड़ा गम्भीर विषय है पहली बार मौका मिला है इस पर बात करने का, दो मिनट और लूँगा आपकी इजाजत से।

सर, जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर्स की और स्पेशली जो हॉस्पिटल रूरल एरियाज में हैं, मैं भी नजफगढ़ विधान सभा से आता हूँ जो कि एक देहात का इलाका है। वहां भी एक हॉस्पिटल है राव तुला राम हॉस्पिटल जिसका मुझे चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है और आप सुनकर हैरान होंगे कि उसमें आज के दिन 25 परसेंट vacancies against sanctioned posts खाली है और यही स्थिति जितने भी आउटर दिल्ली के एरिया, देहात के जो हॉस्पिटल है, उनमें ये स्थिति है। इसके कारण वहां के जो बेड्स है, वो खाली है और यही पेशंट जो है वो अरबन एरिया में जो हॉस्पिटल है, वहां जाते हैं और वहां पर भीड़ होती है। लेकिन रात को जब मैं इंटरनेट पर ढूंढ रहा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की शोर्टज क्यों है तो I was really surprised to know. Sir, we have the highest number of medical col-

leges of the world. पूरी दुनिया में मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है 387 colleges India में है which produce annually हर साल 30 हजार डॉक्टर्स, 18 हजार स्पेशलिस्ट, 30 हजार आयुष ग्रेजुएट्स, 69 हजार नर्सेस, 36 हजार फार्मासिस्ट। ये सब होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। उसका कारण डॉक्टर्स की शोर्टेज नहीं है। think कहीं न कहीं कारण है हमारी सुविधाएं हॉस्पिटल में जो हैं, जितने अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर में चले जा रहे हैं। हमें कहीं न कहीं जो पूरा सिस्टम है, उसको ओवर हॉल करना होगा और आज के दिन जो वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन है कहती है जो डॉक्टर्स to patient ratio है वो one is to one thousand है स्पीकर सर, और हमारे पूरे देश में और दिल्ली में भी one is to one thousand seven hundred ratio है तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को यह रिक्वेस्ट करता हूँ से इस पर भी ध्यान दें और जो रेशियो है वो वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के अनुसार दो साल में, तीन साल में उसको लेकर आयें। लास्ट में मैं स्पीकर सर, I would like to bring to your notice इन पूरी जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, इसका आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, कहीं न कहीं जितनी भी पिछली सरकारें रहीं उन्होंने कितना हेल्थ को सेक्शन किया बजट उसमें भी उसका रोल है। अमरीका आज के दिन हेल्थ पर जो ऐक्सपेंडीचर करता है वो 18 परसेंट of GDP है। स्पीकर सर, हमारी इंडिया का केवल 1.2 परसेंट है, ओनली 1.2 परसेंट। I would request Honourable CM and Honourable Minister कि जो बजट आने वाला है इसमें हेल्थ का जो ऐक्सपेंडीचर है, उसको बढ़ाया जाये ताकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम सुधरें।

और अंत में मैं स्पीकर सर, आपका ध्यान और हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा दिसंबर, 2014 में केंद्र सरकार ने draft of National Health Policy roll out किया है which suggests making health a Fundamental Right similar to education and denial of same could be punishable. The draft is "the Centre shall erect, after due discussion and on request of three or more states, a National Health Rights Act which would ensure health as a Fundamental Right whose denial shall be justiciable". मैं अनुरोध करता हूँ होनरेबल मिनिस्टर से और सी.एम. से कि अगर ये पॉलिसी एक्ट न भी बनें। would humbly request that Delhi should be first in the country to enact a similar law and set an example for the entire country. Thank you, Sir.

**अध्यक्ष महोदय** : राजेश ऋषि जी। राजेश जी, जरा शॉर्ट रखियेगा।

**श्री राजेश ऋषि** : अध्यक्ष जी, 107 के अंतर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। अभी कैलाश गहलोत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य दिल्ली की गरीब जनता की हेल्पलाइन है। ये इसकी लाइफ लाइन है और दिल्ली को एम.सी.डी., दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार तीनों स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करती हैं। एम.सी.डी. के बारे में बताना चाहूँगा कि एम.सी.डी. में जो डिस्पेंसरीज हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स की संख्या बहुत है लेकिन वहां मरीज जाते नहीं हैं। कारण क्या है कि उनका विश्वास नहीं है। या तो वहां दवाइयां नहीं मिलती या कभी वहां समय पर डॉक्टर्स नहीं मिलते। ऐसे ही एक टी.बी. का हॉस्पिटल है जो एम.सी.डी. का, जहां के विषय में लोगों का यह मानना है कि वहां जाने

के बाद इलाज नहीं होता और मरीज को चार कंधों पर लेकर आना पड़ता है। ये स्थिति हो चुकी है एम.सी.डी. के हॉस्पिटल्स की। एम.सी.डी. में स्वास्थ्य सेवायें बिल्कुल चरमराई हुई हैं और वहां डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, कभी नर्सों को तनख्वाह नहीं मिल रही, यह स्थिति है यहां। मैं केंद्र के अस्पतालों के बारे में बताना चाहता हूँ। देश का सबसे बड़ा अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) इसमें तो इलाज कराने के लिए जंग लड़नी पड़ती है जी। बिना लड़ाई लड़े यहां पर नम्बर नहीं आता, सुबह पांच बजे से लोग लाइनों में लगे होते हैं और डॉक्टर्स 9 बजे की बजाय 10 बजे वहां पर पहुँचते हैं। वहां पर सर्जरी कराने के लिए तीन-तीन साल की लम्बी लाइनें लगी हुई हैं। लोग वहां पर हार्ट सर्जरी के लिए जैसे कैलाश जी ने बताया, मेरे पास भी दो-तीन लोग आये हुए थे। प्राइवेट में ही उनको इलाज कराना पड़ा क्योंकि वहां दो-दो साल, तीन-तीन साल की वहां पर वेटिंग है और उसके बीच में मरीज स्वर्ग सिधार कर चला जाता है, ये जितने भी एम्स जैसे अस्पताल है, उनके अंदर यह स्थिति है। पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने प्रावइेटाइजेशन को ही बढ़ावा दिया। आज हमारे दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमारे सरकारी हॉस्पिटल उनकी तुलना में क्यों नहीं आगे बढ़े, उनकी इच्छा-शक्ति नहीं थी। जब इच्छा-शक्ति नहीं होती तो काम नहीं होता। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब बी.जे.पी. की केंद्र में सरकार थी पिछली बार तो इन्होंने एम्स बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह-जगह उद्घाटन किए पर आज तक एम्स बनकर तैयार नहीं हुए। मैं यही

कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार इस विषय में आगे बढ़े और हमारे यहां पर कुछ अति विशिष्ट अस्पताल बनकर तैयार हो गए हैं जैसे जनकपुरी में 300 बिस्तर का, ताहिरपुर में 600 बिस्तारों का अति विशिष्ट हॉस्पिटल तैयार पड़ा है। मैं यही कहूँगा कि ये तैयार हैं, जल्दी से जल्दी इनको शुरू किया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुँच सकें। जैसा कि अभी कैलाश जी ने बताया कि जगह-जगह पर उद्घाटन हुए, पत्थर लग गए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में भी एक 100 बेड के बिस्तर का पत्थर लगा हुआ है। मेरी विधान सभा के अंतर्गत भी एक पत्थर लगा हुआ है लेकिन आज तक उसमें काम नहीं हुआ। केवल पत्थर लगाकर फोटो खींचने की होड़ की राजनीति ये चलती रही, इस राजनीति को खत्म करना है हमें और अब और अस्पतालों को बनाना है। जहां-जहां डी.डी.ए. लैंड दे, वहां जल्दी-जल्दी अस्पताल बनें। हम जानते हैं कि हमारी सरकार इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है और जो आज अखबार में इन्होंने दिखाया, व्यवस्था में दोष मरीजों का बोझ, ये बोझ कहां से आ रहा है? हमारे आस-पास के जितने प्रदेश हैं, इन प्रदेशों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति कोई काम नहीं हुआ, वहां पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं। हम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हमारे यहां पर आसपास के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं जिनका यहां पर अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है। उनका अपने प्रदेश के अस्पतालों पर विश्वास भी नहीं है क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली के अंदर अच्छे डॉक्टर्स हैं। हमारे यहां अच्छे डॉक्टरों की कमी नहीं है, हमारे यहां नर्सिज बहुत मेहनत करती हैं। हमारे अस्पतालों में जो व्यवस्था चरमराई हुई है

जिसके विषय में उन्होंने लिखा है वाकई में चरमराई हुई है। पिछले दिनों में कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद जितने भी अस्पतालों में ई.डब्ल्यू.एस. का कोटा था, उसको भी अच्छे से फिल किया जा रहा है और आज अस्पतालों में व्यवस्था ठीक होती जा रही है, मेरी असेंबली के पास में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है। पहले लोग अस्पतालों में जाने से डरते थे प्राइवेट की तरफ अपना मुख मोड़ लेते थे लेकिन आज दीनदयाल उपाध्याय के अंदर बैड्स की अच्छी व्यवस्था हो गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि व्यवस्था को और ज्यादा सुधारा जाए और जो व्यवस्था है इसको ठीक करते-करते साथ में अच्छे अस्पताल जो बनाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है उसको पूरा करें और दिल्ली की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राजेन्द्र गौतम जी।

**श्री राजेन्द्र पाल गौतम** : धन्यवाद अध्यक्ष जी ये बेहद गम्भीर मुद्दा है हैल्थ का क्योंकि Health & Education are the prime responsibilities of the Govt. दिल्ली में हैल्थ सर्विस जो बीमार है, उसकी जिम्मेदार पिछली सरकारें हैं, लेकिन मुझे खुशी है हमारी इस सरकार ने जिस तेजी से इस दिशा में काम करना शुरू किया जैसे हमारे माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब ने Indradanush College vaccination का जो प्रोग्राम कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे दिल्ली के अंदर एक-एक वार्ड के अंदर जिस तीव्रता के साथ शुरू किया, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र है, लेकिन एक गम्भीर बात ये है कि मेरी सीमापुरी विधान सभा में पांच हॉस्पिटल आते हैं। पांचों बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं जिनमें

जी.टी.बी. हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपरस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल, इहबास और एक एम.सी.डी. का जनरल हॉस्पिटल और पूरे अगर दिल्ली के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा मरीज यमुनापार के इन अस्पतालों में आते हैं। विशेष रूप से जी.टी.बी. के अंदर कई हजार मरीज प्रतिदिन आते हैं लेकिन कुछ स्वास्थ्य सेवाओं में अभी कमी है, जिसको दूर करना अभी बाकी है जिनमें से देखा जाए तो जो एमरजेंसी में जो लोग आते हैं, गम्भीर बीमारी से पीड़ित जो लोग आते हैं। उस वक्त वहां पर portable CT scan की बहुत सख्त जरूरत है portable CT scan उपलब्ध हो तो मरीज की बीमारी का एक घंटे के अंदर पता लग जाये तो जो एक घंटा पहला घंटा जो एक्सीडेंट से या ब्रेन जो ब्लॉक होता है, उसकी वजह से जो मरीज आते हैं अगर उसको पहले घंटे में चिकित्सा सुविधा मिल जाये तो उसकी जान बच सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जितने भी मुख्य हॉस्पिटल्स हैं, एक तो कम से कम उनकी एमरजैंसी के अंदर पारटेबल सी.टी. स्कैन भी उपलब्ध कराई जाए। यमुना पार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसके अंदर अभी तक एम.आर.आई. मशीन की सुविधा नहीं है, जबकि वहां कई हजार मरीज प्रतिदिन आते हैं। इसको भी स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान में रखें पिछली सरकारें बेशक जिम्मेदार हैं लेकिन आज जवाबदेही हमारी बनती है। कृपया इसको तीव्रता से जल्दी से जल्दी से सुविधा मुहैय्या कराई जाये। जैसा कि आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा और अभी मेरे साथ गहलोत जी बता रहे थे। डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट है कि 1000 मरीजों पर पांच बैड होने चाहिए लेकिन दिल्ली के अंतर अभी तक 1000 मरीजों पर अभी तक 2.7

बैड उपलब्ध है। इसको भी जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि हमारे इन हॉस्पिटलों में बहुत सारी निर्भरता उन सफाई कर्मचारियों पर हैं, सिकोरटी गार्डस पर है जो कॉट्रैक्टर के अंडर काम कर रहे हैं, काफी सुधार हुआ है लेकिन और सुधार होना बाकी है। अभी भी उनको पर्याप्त मात्रा में पूरा वेतन नहीं दिया जाता। साईन कुछ और पर कराए जाते हैं दिया कुछ और जाता है और जिनको चैक दिये जाते हैं, उनसे कैश में वापिस लिया जाता है। उस तरह की शिकायतें भी हमारे पास आ रही हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हैल्थ मिनिस्टर साहब से और अपने श्रम मंत्री जी से इस मुद्दे को भी गम्भीरता से लें बेशक से ये बीमारी पिछली सरकारों ने पैदा की है लेकिन इसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की बनती है।

**अध्यक्ष महोदय** : कन्कलुड करें राजेन्द्र जी।

**श्री राजेन्द्र पाल गौतम** : जी बस दो मिनट और अध्यक्ष महोदय, इहबास हॉस्पिटल के पास और जी.टी.बी. हॉस्पिटल के बराबर में 16 एकड़ लैंड वैकेंट पड़ी है जो अभी इहबास के कब्जे में आ चुकी है। मैं चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री से उस 16 एकड़ जमीन का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि हैल्थ सर्विसिज को दिल्ली में और बेहतर तरीके से सुधारा जा सके, कुछ चीजें हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। दवाइयों की पूरी मात्रा में उपलब्धता होना और पीछे इस तरह की समस्या देखने में आई जब हमने हॉस्पिटल में दौरा किया। शुरुआत में सरकार के बनने पर कि जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती है। वो भी उन गरीब मरीजों को लाकर

देनी पड़ती है। तो इस तरह की समस्याओं को भी अतिशीघ्र दूर किया जाए ताकि हम दिल्ली की जनता को जवाबदेह बना सके और हमारी ये हॉस्पिटल केवल दिल्ली की जनता को ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बोझ भी हमारे हॉस्पिटल पर है, तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने पिछले चार महीनों के अंदर बड़ी तेजी से इन हॉस्पिटल्स के अंदर सुधार किया है लेकिन और सुधार की जरूरत है साथ-साथ इन मशीनों का बैकअप भी होना चाहिए ताकि एक मशीन खराब हो जाए तो कम से कम एक मशीन चलती रहे, इस पर भी ध्यान दें। कई दफा ऐसा देखने में आया कि एक सी.टी. स्केन खराब हो गया तो उसको ठीक करने में ही महीना लग रहा है मजबूरीवश इलाज कराने जो पेशेंट आते हैं उन्हें अपनी सारी जांचें हॉस्पिटल के सामने बाहर करानी पड़ती हैं प्राईवेट जिनका उनको काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसमें भी सुधार की जरूरत है लेकिन साथ में क्योंकि जो गलतियां हैं जिनको दूर करना।

**अध्यक्ष महोदय** : कन्कलुड करें राजेन्द्र जी प्लीज।

**श्री राजेन्द्र पाल गौतम** : सर लास्ट एक लाइन। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले ई.डब्ल्यू.एस. के जो पेशेंट हैं उनका फ्री में इलाज नहीं होता था, उन सीटों का मिस्यूज होता था लेकिन आज सरकार ने नोडल ऑफिसर्स गठित करके उनके माध्यम से ई.डब्लू.एस. का सही हक दिलाने का काम किया है। उसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, अपनी सरकार को धन्यवाद करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**अध्यक्ष महोदय** : सरिता सिंह जी।

**सुश्री सरिता सिंह** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे इस गम्भीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। बस मैं दो-तीन पुवाइंट ही रखना चाहूंगी आपके बीच में। ज्यादातर बातें गौतम जी ने रख दी हैं। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं यमुना पार से वहां पर जी.टी.बी. हॉस्पिटल है, जहां पर प्रतिदिन 5 से 10 हजार पेशेंट आते हैं और वो केवल दिल्ली के ही नहीं बल्कि वेस्टर्न यू.पी. के बहुत सारे पेसेंट हैं जहां उनकी स्टेट में शायद उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए वो दिल्ली में आते हैं इलाज के लिए। पाया ये जाता है कि जब पेशेंट आते हैं, आज तक की सरकारों ने क्या किया बिल्कुल आइडिया नहीं है। उन्होंने किस प्रकार की राजनीति की कभी स्वास्थ्य के बारे में कभी सोचा या नहीं सोचा। स्थिति पिछले चार महीनों में बहुत सुधरी है साफ-सफाई की स्थिति सुधरी है, इलाज में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर कुछ बेसिक इक्यूपमैंटस हैं जैसे हमारे राजेन्द्र गौतम जी ने बताया अभी तक जी.टी.बी. हॉस्पिटल में एम.आर.आई. मशीन नहीं है। इसकी वजह से बेसिक मशीन ना होने की वजह से जो लैब माफिया है जी.टी.बी. हॉस्पिटल के अगल-बगल बहुत तेजी से उत्पन्न हो रहा है जितने भी लैब्रोटरी हैं आस पास के उनको बहुत भारी प्रोफिट है क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर मशीनें उपलब्ध नहीं है तो अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर मशीनें उपलब्ध करवायेंगे तो ये जो लैब माफिया है ये कोई normally spontaneously पैदा हुई चीज नहीं है ये प्रोपर प्लैन्ड की हुई है जो पिछली

सरकारों ने की ताकि उनका भी पैसा बने, डॉक्टर्स का भी पैसा बने और लोगों को अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़े। आज भी जी.टी.बी. अस्पताल में, इहबास में कौन इलाज कराने आता है? वही लोग आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है। वही लोग आते हैं जो गरीब हैं। पैसे वाला तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा जहां पर उन लोगों का खून कैसे चूसा जाए, उसकी पूरी रणनीति आज से पहले की सरकारों ने बनाकर रखी हुई थी तो ये एक निवेदन है कि पहले हॉस्पिटल्स में इन मशीनों को मुहैया कराया जाए। गुरू तेग बहादुर हॉस्पिटल में मशीनों को मुहैया कराया जाए। गुरू तेग बहादुर हॉस्पिटल में अभी भी 1500 सौ बैड्स हैं पर जिस तरह से वहां पर रश है पेशेंट का, वहां पर बैड्स बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्यादातर समय में ये पाया जाता है कि एक बैड पर तीन-चार, पेशेंट होते हैं। एक बैड पर एक ही पेशेंट होना चाहिए कम से कम इतनी तो सुविधा हम उन लोगों को दे सकें तो बैड्स की फैसिलीटी कम है तो उम्मीद है कि सरकार इस पर काम कर रही है और जल्दी ही इस पर काम करेगी। जी.टी.बी. हॉस्पिटल में केवल 16 आई.सी.यू. बैड्स हैं जबकि आई.सी.यू. पेशेंट बहुत ज्यादा हैं तो आई.सी.यू. बैड्स बढ़ाई जाये ताकि लोगों को इधर-उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। अभी जिस तरह डी.डी.ए. की बात हो रही थी। इसमें मैं बताना चाहूंगी मेरी पूरी विधान सभा में दो डिस्पैंसरीज है। मेरे यहां डी.डी.ए. की जमीन खाली पड़ी थी मैं डी.डी.ए. के पास गई ये बोला हमें ये जमीन दे दें हम यहां डिस्पैंसरी बनाना चाहते हैं और आपको आश्चर्य होगा कि डी.डी.ए. का जवाब ये था कि यहां हॉस्पिटल नहीं

यहां पार्क बनेगा वहां की जरूरत, नंदनगरी की जरूरत पार्क नहीं है, वहां की जरूरत स्वास्थ्य है पर उनको स्वास्थ्य के लिए जमीन नहीं देनी है उनको वहां केवल पार्क बनाना, रिक्रेशन सैंटर बनाना था। हम रिक्रेशन के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि रिक्रेशन हो, पर जरूरत वहां स्वास्थ्य की है कि जिस तरह पहले से करते आ रहे थे या सुनते आ रहे थे कि एक बंद कमरे में बैठकर कोई डिसिजन लिया जाता है और वो डिसिजन पूरा हो जाता है तो हमारा हमेशा चुनावों से पहले भी यही था कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहुत सिरियस है और मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहती हूं इन्द्रकवच प्रोग्राम के लिए कि वह हर डिस्पैंसरी और हर वार्ड में हो रहा जो लोग डिस्पैंसरी या हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम उनके घर में मुहैया कराया जा रहा है ये बहुत बड़ा अचीवमैंट है और उम्मीद है सरकार इस बार बहुत साफ नीयत से दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए काम करेगी क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा एचीवमेन्ट है और उम्मीद है कि सरकार इस बार बहुत साफ नीयत से दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए काम करेगी क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि चर्चा का उत्तर दें।

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कैलाश गहलौत जी ने और बाकी सदस्यों ने कहा, दिल्ली में स्वास्थ्य के अंदर समस्या तो है। आज जो दिल्ली में नम्बर ऑफ बेड्स है वो लगभग 2.7 प्रति हजार है मतलब लगभग 40000 बेड है जबकि होने चाहिए 80000 से ज्यादा। जैसा कि सरिता जी ने कहा है हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बेड के ऊपर दो लोग होते हैं। अब इसके लिए सरकार कार्यरत एवं प्रयत्नशील है और हमने निश्चय किया है कि आने वाले समय में दिल्ली में बेड्स की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी को अपने बच्चे का इलाज मकान बेचकर कराना पड़ा, हम चाहेंगे कि ऐसा मौका दुबारा न आये। जल्द ही ऐसा कुछ किया जाएगा कि ऐसी नौबत न आये और कम से कम गरीब लोगों का इलाज तो फ्री में हो जाये। अगर दिल्ली सरकार सभी लोगों का इलाज न भी करा पाये तो जो लोग थोड़ा कम लेवल के हैं, जो कम कमा पा रहे हैं, उन सबका इलाज मुफ्त हो सके, इसका हम ध्यान रखेंगे। ये योजना बनायी जाएगी। दिल्ली में जितने बेड आज तक 65 साल में बनाये गये हैं, उसको देखते हुए बहुत कमी है सरकार के रूप में। अभी लोगों का विश्वास सरकार के अस्पतालों में है और हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट से भी अच्छा बनायेंगे तथा करके दिखाएंगे। सरकारी अस्पतालों के अन्दर सबसे ज्यादा दिक्कत हैं सुविधाओं की। आज तक सुविधाओं के प्रति ध्यान नहीं दिया। जो प्लानिंग की गयी वो प्लानिंग सही ढंग से नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि अभी हमारी

सरकार के आने से पहले तीन हॉस्पिटल प्रोजेक्टस बन रहे थे, अन्डर कन्स्ट्रक्शन थे। एक था अम्बेडकर नगर के अन्दर, एक बुराड़ी में और एक द्वारका में। अम्बेडकर नगर का हॉस्पिटल 250 बेड का था। सरकार ने लैण्ड खरीदी, जमीन के पैसे लग गये, बिल्डिंग बनाने में काफी पैसा प्रपोज किया गया परन्तु उसका न तो पूरा अरेन्ज किया गया न ही सोचा गया कि इसके अन्दर सारी स्पैशियलिटी होगी कि इनको रेफर न करना पड़ेगा। जैसे कि गहलौत जी ने कहा कि पेशेन्ट आते हैं और उनको आगे सेन्ट्रल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है उसका कारण ये है कि छोटे-छोटे हॉस्पिटल बनाये जाते हैं और उसके अन्दर सारी स्पैशियलिटी होती ही नहीं है। अगर एक पेशेन्ट का एक्सीडेन्ट हो के आता है तो उसको कई सारे स्पैशिल्स्ट की जरूरत पड़ती है। अगर वो छोटा अस्पताल है तो वहां पर जरूरत उसकी पूरी नहीं हो पाती है इसलिए उसको रेफर करना पड़ता है। हमारी सरकार ने आने के बाद अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल को रिव्यू किया, डिजाइन देखा गया तो 250 बेड के हास्पिटल को हमने 600 बेड के हॉस्पिटल में कनवर्ट किया। इसी तरीके से बुराड़ी में 200 बेड का अस्पताल था, इसको बहुत मामूली चेन्जेज करके ज्यादा चेन्जेज नहीं किये गये हैं इसको ठीक से यूटिलाईज किया गया स्पेस को। 200 बेड के अस्पताल को 800 बेड में कनवर्ट किया गया। द्वारका के अन्तर्गत हमारा 700 बेड का हॉस्पिटल है जो बन रहा है अण्डर कन्स्ट्रक्शन है। मतलब बहुत ज्यादा चेन्जेज न करके सिर्फ यह देखने की जरूरत है कि जैसे अपना घर बनाते हैं, अगर अपना घर बनाते हैं तो पूरा दिमाग लगाते हैं, सब कुछ करना

पड़ता है। आज सरकार का पैसा खर्च करने में किसी को चिन्ता ही नहीं है कि कितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं। द्वारका के हॉस्पिटल को हमने 700 बेड के हॉस्पिटल को हमने 1500 बेड के हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है और उसके अन्दर मल्टी स्पैशियल्टी हॉस्पिटल बनाया गया है। दिल्ली के हेल्थ केयर सेन्टर को हम बिल्कुल रिवाइव कर रहे हैं। आज जो सिस्टम है, सबसे पहले कहते हैं प्राईमरी हेल्थ सेन्टर है। उसके बाद सेकेण्डरी हॉस्पिटल देन टर्सरी हॉस्पिटल। ये जो सारे शब्द भी लिये गये हैं ये लिये गये हैं एक बहुत बड़ा राज्य मान लीजिये यू.पी. ले लीजियेगा, मध्य प्रदेश ले लीजियेगा, गुजरात ले लीजिएगा जहां पर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी होती है। दिल्ली एक सिटी स्टेट है। यहां कि अलग समस्याएं हैं। तो हम यहां को दो सिस्टम में बना रहे हैं पहला प्राइमरी हेल्थ सिस्टम उसमें आपको डॉक्टर देखेंगे उसके बाद आपको दवाई मिल जाएगी, आपके टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्पैशिलिस्ट के लिए पॉली क्लिनिक बनाए जाएंगे। यहां पर कुछ पॉली क्लिनिक्स में आपको चार-पांच किस्म के डॉक्टर मिलेंगे। थर्ड लेवल होगा मल्टी स्पैशियल्टी हॉस्पिटल, तो उसके अन्दर मल्टी स्पैशिलिटी यानी जो हॉस्पिटल बनाये हुए हैं जिनका आपने जिक्र किया गया है यानी राव तुलाराम, हॉस्पिटल तो है पर स्पैशियलिटी नहीं हैं। आज अस्पताल जाने का मकसद ही है कि उसको स्पैशलिस्ट मिल सके। अब चौथी लेवल पर हम सुपर स्पैशिल्टी हॉस्पिटल बनाएंगे जैसे कि एम्स का नाम लिया गया है। दिल्ली सरकार के पास भी कुछ स्पैशिएल्टी हास्पिटल है उनको और बढ़ाया जाएगा तो फोर टीयर सिस्टम बनाया जाएगा रेफरल सिस्टम बनाया जाएगा।

सारे हास्पिटल सिस्टम को ठीक किया जाएगा। सारा कम्प्यूटराईजेशन किया जाएगा। पर हम शिलान्यास की राजनीति से थोड़ा बचना चाहते हैं। ये शिलान्यास तो पहले ही इतने सारे हो चुके हैं। अगर सारे अस्पताल बन गये होते तो दिल्ली के अन्दर जितने बेड की जरूरत है शायद पूरी हो चुकी होती।

अध्यक्ष महोदय, तो हम आदरणीय सदस्यों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय के अन्दर दिल्ली के स्वास्थ्य के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। अभी हमारे डिप्टी सी.एम. साहब बजट पेश करेंगे। कुछ चीजें वो डिटेल में बताएंगे कि कहां-कहां पर प्रोवीजन किया गया है और सरिता जी को मैं बताना चाहूंगा कि जो लैब वाली चीज है, लैब माफिया वाली जो चीज है, ये लगता है कि पिछले समय में उनको जानबूझकर प्रमोट किया गया है। इसके लिए योजना बना ली गयी है और हम आशा करते हैं कि सरकारी अस्पतालों के अन्दर जो लैब्स के बाहर टेस्ट कराने पड़ते हैं विद-इन-ए ईयर हम कोशिश करेंगे कि इसकी जरूरत न पड़े। आई.सी.यू. बेड्स, आई.सी.यू. बेड्स का तो अब समस्या ही बाहर हो गया है। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं सो काल्ड लोग जो काफी अमीर होते हैं परन्तु दस दिन के बाद आते हैं कि हमारे दस दिन के अन्दर दस लाख का खर्चा हो गया। दस लाख किसलिए हुआ कि आई.सी.यू. के लिए। आजकल आई.सी.यू. के अन्तर्गत हास्पिटल 60 हजार, एक लाख पर-डे ले रहे हैं तो आम इन्सान के लिए आम क्या खास के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली सरकार के हास्पिटल में अभी तक टोटल दस हजार के करीब बेड हैं। दस हजार से थोड़ा ज्यादा हैं परन्तु आई.सी.यू. बेड कुल

मिलाकर 100-200 ही हैं। कुल मिलाकर थोड़े बेड हैं तो इनकी संख्या को बढ़ाने पर खासतौर से ध्यान दिया जाएगा। हम आई.सी.यू. बेड्स को बढ़ाएंगे परन्तु ये जैसे पहले बताना चाहूंगा कि अस्पताल नये बनाना, नये बेड का प्रोवीजन करना, आप ये कहेंगे कि हमने कहा कि हम एक हजार बेड बनाना चाहते हैं तो एक दिन में एकाएक नहीं बनेगा मतलब एक हजार बनने के लिए एक दो साल तो लगेंगे ही। तो इसमें समय थोड़ा सा लगेगा पर आई.सी.यू. के ऊपर हमारा बहुत ध्यान है। आदमी हॉस्पिटल में दो ही तरह से जाता है या तो ओ.पी.डी. के थ्रू जाएगा, जो प्लान्ड होता है, दूसरा होता है अगर उसको कोई इमरजेन्सी है। इमरजेन्सी में जाता है तो उसको इमरजेन्सी में एडमिशन मिलना चाहिए, उसका ट्रीटमेन्ट होना चाहिए। उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा और एक ऑपरेशन के लिए उसको सालों का टाइम दिया जा रहा है, एक साल दो साल, छह महीने। इसको भी इसके ऊपर पूरी योजना बनायी जा रही हैं ताकि लोगों का ईलाज जल्द से जल्द हो सके और मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी के सहयोग से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बदल के रखा जाएगा और बहुत अच्छा किया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री कैलाश गहलौत जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है-

सदन ठीक 4.10 तक के लिए स्थगित किया जाता है। उसके बाद हम पुन: यहाँ उपस्थित होंगे।

***(सदन की कार्यवाही चायकाल हेतु 4.10 बजे तक के लिए स्थगित की गई)***

*सदन अपराह्न 4:15 बजे पुनः समवेत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल)** पीठासीन हुए।

## वार्षिक बजट प्रस्तुतीकरण (2015-16)

**अध्यक्ष महोदय** : आज माननीय वित्त मंत्री अपना पहला वार्षिक बजट वर्ष 2015-16 प्रस्तुत करेंगे। मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूँ, दर्शक दीर्घा में बैठे सभी बन्धुओं से प्रार्थना है कि किसी के पास मोबाइल है तो वे उसे स्विच ऑफ कर दें। खुशी हो सकती है। बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान क्लैपिंग या किसी प्रकार की हूटिंग दर्शक दीर्घा में बैठे सभी बहनों से मेरी प्रार्थना है कि वे ये नहीं करेंगे और मीडिया के बन्धुओं से भी प्रार्थना है कि वे अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, साइलेण्ट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।

अब माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे वर्ष 2015-16 का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करें।

**वित्त मंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वर्ष 2015-16 के लिए सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर मैं बेहद प्रसन्नता और फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि यह देश का पहला 'स्वराज' बजट है।

मार्च, 2015 में इस सम्मानित सदन से वोट ऑन एकाउण्ट पास कराते हुए मैंने कहा था कि सरकार 2015-16 का बजट बनाते हुए बहुत सारे पहलुओं पर विचार करके बनाना चाहती है। बजट के तमाम आयामों को परखकर तमाम प्रक्रियाओं को परखकर उस पर बात करना चाहती है और एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से बजट बनाना चाहती है। जिसमें नागरिकों से, शिक्षा विदों से, विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्टस से, आर.डब्ल्यू.एज. के साथ, सिटीजन ग्रुप के साथ, व्यापारिक संगठनों और ट्रेड घरानों के साथ, इन सब

के साथ हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे, इतना ही नहीं बल्कि उनको बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। हम दिल्ली के नागरिकों को सरकार की इस व्यवस्था में भागीदार समझते हैं। यही हमारी सरकार चलाने की राजनीति है कि दिल्ली का एक एक नागरिक हमारी सरकार का हिस्सा है और वह सरकार चलाने का उतना ही हकदार होना चाहिए, सरकार की डिसीजन मेकिंग का उतना ही हकदार होना चाहिए, जितना कि सरकार में काम कर रहा कोई व्यक्ति चाहे वह मंत्री हो, चाहे विधायक हो या कोई अधिकारी हो। या विधायकों के जो अधिकार हैं, आम नागरिकों को वह अधिकार होने चाहिए। हमने बजट बनाने की प्रक्रिया में उसको वह अधिकार देकर एक नई शुरुआत की है। हमारी सरकार में निर्णय लेने का पहला अधिकार दिल्ली के नागरिकों का है। तो हमने इस बजट को तैयार करने में यह सुनिश्चित किया है कि लोग अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार दिल्ली के विकास का तरीका तय कर सकें। ये एकदम आम आदमी का बजट है। बजट बनाने की प्रक्रिया में वो अधिकार देकर एक नई शुरुआत की है। हमारी सरकार में निर्णय लेने का पहला अधिकार दिल्ली के नागरिकों का है। तो हमने इस बजट को तैयार करने में सुनिश्चित किया है कि लोग अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार दिल्ली के विकास का तरीका तय कर सकें। ये एक दम आम आदमी का बजट है। दिल्ली के हर आम आदमी को वो चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जिस भी आय वर्ग से रखता हो, सबके लिए सबकी जरूरतों को सबके सपनों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। और वहां से निकल के यह बजट आया है। आप जानते ही हैं कि बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया थी वो पहले सचिवालय या अधिकारियों के कक्षों तक या अधिक से अधिक जो हमारे गवर्नमेंट के सेमीनार हॉल्स हैं, वहां तक सीमित रहती

थी। लेकिन इस बार पूरी दिल्ली में घूम-घूम के सभाएं की गई। पूरी दिल्ली में नागरिकों ने स्वयं अपने लिए विकास कार्यों की सूची तैयार की और उसकी प्राथमिकता तैयार की है। कौन सा काम कहां होना है, कब होना है और कैसे होना है। इससे एक बजट निकल के आया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यही एक सही मायने में यही लोकतन्त्र है कि लोग व्यवस्था को चलाए, लोग व्यवस्था को चुने और लोग व्यवस्था को चलाएं। इस प्रक्रिया के जरिए दिल्ली के नागरिक अपने जीवन पर असर डालने वाले तमाम निर्णयों के लिए काम कर रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अप्रैल, 2015 में बजट तैयार करने के बारे में लोगों से सुझाव देने के लिए बकायदा अपील की थी, विज्ञापन देकर अपील की थी। नागरिकों ने खूब बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और बहुत गम्भीरता से हिस्सा लिया। ऐसे ही नहीं किया कि कोई चिट्ठी भेज दी, कोई कुछ भेज दिया कोई ई-मेल भेज दी। 1500 से अधिक सुझाव आए। इसके अलावा 11 विधान सभा क्षेत्रों में अलग-अलग मोहल्ले में जा कर सभाएं की गई। वहां विचार विमर्श किया गया। वहां के प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों के बारे में नागरिक संगठनों और स्वयं सेवी संगठनों और इन सबके साथ विचार हुआ। इस तरह जो जानकारी एकत्र हुई और वहां से जो व्यवहारिक सुझाव मिले। उसको हमने इकट्ठा करके बजट तैयार किया है। मैं दिल्ली के नागरिकों का इस बजट को तैयार करने के लिए दिये गए सुझाव और विचारों के लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विकास प्रक्रिया में सरकार के प्रमुख भागीदार की भूमिका निभाने वाले दिल्ली के तमाम नागरिक इस सदन की प्रशंसा के हकदार हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि दिल्ली के नागरिकों से

प्राप्त बुनियादी जानकारी और सुझाव इस बजट का आधार हैं और वो उन सभी घोषणाओं में व्यक्त होंगे जो मैं आगे जा के करने जा रहा हूँ। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको कहा कि यह देश का पहला स्वराज बजट है। actually यह स्वराज लाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारे मीडिया के कैमरों के पीछे गांधी जी की तस्वीर लगी है और मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं इस बारे में कि गांधी जी ने लोकतंत्र को बहुत सरल शब्दों में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि सच्ची लोकशाही संसद या इस सदन में कहें तो विधान सभा या संसद में बैठे 20 लोग नहीं चला सकते। सच्ची लोकशाही संसद में बैठे 20 लोग नहीं चला सकते। वो तो नीचे से हर एक गांव गांव तक लोगों से चलाई जानी चाहिए। ये गांधी ने लोकतंत्र का एक मूलमंत्र दिया है। लोकतंत्र को समझाने का। और हमें लगता है इसकी शुरुआत यहां सदन में बैठे हुए 70 लोग, सचिवालय में बैठे हुए कुछ अफसर और कुछ मंत्री यही सब प्रक्रिया होनी चाहिए। लोगों को नीचे से लेके आना चाहिए। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इतना करने भर से स्वराज नहीं आ जाएगा। स्वराज की परिकल्पना बहुत बड़ी है। हमारी पूरी राजनीति स्वराज पर टिकी हुई है कि हमें स्वराज लेके आना है। स्वराज की व्यवस्था लानी है देश में और दिल्ली में। लेकिन इस बजट के तैयार करने की जो प्रक्रिया आज हुई है इस से स्वराज के रास्ते खुलेंगे। स्वराज का एक नया रास्ता यहां से खुलेगा और जैसा किसी ने कहा भी है कि "जहां से आती हो मंजिल की महक, वो कच्चे रास्ते भी खुशगवार लगते हैं", तो ये कच्चा रास्ता सही लेकिन बहुत खुशगवार है क्योंकि इससे स्वराज की मंजिल की महक आ रही है। सरकार के पिछले 130 दिन के काम काज में नागरिकों का जीवन बेहतर

बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। इनमें बिजली के बिलों में सब्सिडी बिजली के दाम 50 परसेंट किये। हर महीने 20 हजार लीटर पानी फ्री मिल रहा है। ये सब सरकार कर रही है। हमारा लक्ष्य इस बजट के माध्यम से सरकार को चलाने के माध्यम से दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के रूप में डवल्प करना है। एक ऐसा एजुकेशन हब, नोलेज हब बनाना है दिल्ली को, जहां जितने भी लोग रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। परिवहन व्यवस्था सबको सुलभ होनी चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा सपना है। जहां रोजगार की व्यवस्था हो। व्यापक सम्भावना हो। साथ-साथ उद्योग में नए-नए प्रयोगों को जगह मिले। नया सोचने वालों को पूरा स्पेस मिले। ऐसा शहर ऐसा राज्य हम खड़ा करना चाहते हैं। इस बजट के माध्यम से, सरकार चलाने के माध्यम से। सरकार ने बेहद पारदर्शी और कुशल तरीके से शासन की सेवाओं को आम तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और सरकार दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। इस दिशा में बाकायदा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, रिश्वत विरोधी हैल्प लाइन फिर से शुरू की गई है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को आवाज उठाने में सुविधा हो सके। मैं तमाम नागरिकों से अपील भी करता हूं कि वो आगे आएं और दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के अभियान में शामिल हों, इसमें सहायता करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा खर्च किये गए प्रत्येक रुपये का हिसाब हो और उसे निर्धारित प्रयोजन के लिए खर्च किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, यह सम्मानित सदन दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा केवल एक औपचारिकता भर नहीं है। बल्कि दिल्ली के लोगों द्वारा दिये गए जनादेश और उनकी इच्छाओं को सही अर्थों में पूरा करने के लिए अपेक्षा भी है। हम केन्द्र सरकार के साथ लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये इसका आधार था जिस पर खड़े होकर हम इस बजट की बात कर रहे हैं।

अब मैं सदन के सामने 2015-16 के लिए लिए आय-व्यय की बात करूं। उससे पहले सदन का ध्यान दिल्ली की financial position और price situation की ओर दिलाना चाहता हूँ। price situation की बात करें तो दिल्ली में महंगाई की दर 2014-15 के दौरान 6.6 प्रतिशत थी। जबकि इसकी तुलना में मुम्बई में 8.3 प्रतिशत कोलकाता में 6.1 प्रतिशत। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 6.4 प्रतिशत थी। सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर निरन्तर निगरानी रख रही है। समयानुसार बाजार में दखल देके, मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के उपाय किये जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पहली बार प्याज और आलू का सुरक्षित भण्डार बनाने का फैसला किया है ताकि इन वस्तुओं की कमी होने पर बाजार में दखल दी जा सके और इनके दाम को काबू में लाया जा सके। और इसके साथ लगातार जहां भी होर्डिंग की कोशिश की जा रही है। जहां भी जमाखोरी की कोशिश की जा रही है, वहां भी सख्ती बरती जा रही है। अब थोड़ा सा financial position की बात करूं दिल्ली राज्य की।

अध्यक्ष महोदय 2014-15 के दौरान दिल्ली को लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार से विमुख रखा गया, वंचित रखा गया। लगभग पूरे वर्ष

पूरी की पूरी व्यवस्था केन्द्र सरकार के अधीन माननीय उप-राज्यपाल महोदय के माध्यम से चलाई गई और लोकतांत्रिक सरकार न होने का असर सीधे-सीधे दिल्ली की financial position पर साफ-साफ दिखता है। 31 मार्च, 2015 को financial year जब समाप्त हुआ। उसमें वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जी.एस.डी.पी. 4 लाख 51 हजार 154 करोड़ रुपये रहा। जिसमें पिछले साल की तुलना में 15.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कहीं ज्यादा अपेक्षा की जाती है। तो ये कुछ और तर्क संगत तथ्य भी हैं जिन्हें मैं दोहराना चाहता हूं जिनकी चर्चा मैंने लेखा अनुदान प्रस्तुत करते हुए भी की थी कि जी.एस.डी.पी. के अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 2,40,849 रुपए रही, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में 2.7 गुणा अधिक रही। अध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ा डेटा है दिल्ली के लोग मेहनत करते हैं, दिल्ली के लोग कमाते हैं, दिल्ली के लोग जब मेहनत करके कमाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं तो फिर इंकम टैक्स देते हैं। तमाम तरह के व्यापारियों के माध्यम से तमाम तरह के व्यापार में सहयोग करते हुए सर्विस टैक्स देते हैं। चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने की सिफारिश की है। केन्द्रीय वित्त आयोग की इस सिफारिश से दिल्ली को वंचित रखा गया है। दिल्ली सिर्फ यू.टी. नहीं State with Legislature है। उसके बावजूद दिल्ली को इससे वंचित रखा गया है। हालांकि यहां विधानसभा है। अलग से consolidated fund है। सरकार के सारे वित्तीय लेन देन अपने संसाधनों से हम लोग पूरा

करते हैं। अगर ये सिफारिशें दिल्ली पर लागू हो जाए अध्यक्ष महोदय, तो दिल्ली को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लाभ मिलने वाला है। ये बड़ा अजीब है क्योंकि इस सारे dynamics को समझना जरूरी है।

दिल्ली में बजट को समझने से पहले और दिल्ली की financial position को समझने से पहले, दिल्ली के लोग जैसा कि इंकम बढ़ रही हैं, सर्वे बता रही है कि इंकम बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि इंकम बढ़ रही है तो इंकम टैक्स भी बढ़ रहा है। पिछले बार का जो डेटा है उसके हिसाब से 1,30,000 करोड़ का इंकम टैक्स और सर्विस टैक्स दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया है। ये बहुत बड़ी राशि है। लेकिन जब दिल्ली को वापस मिलता है तो उसमें से एक पीनट्स मिलता है। सिर्फ 325 करोड़ रुपए केन्द्रीय करों के शेयर के रूप में मिलता है दिल्ली को। 1,30,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सेल्स टैक्स और इंकम टैक्स दे रही हैं उसमें से महज 325 करोड़ रुपए शेयर के नाम पर, सेंट्रल टैक्सिस में शेयर के नाम पर मिलना ये पीनट्स से भी कम है। मैं इस अवसर को इस्तेमाल भी करना चाहूंगा केंद्र सरकार से अपील करने के लिए कि ये दिल्ली के लोगों का पैसा है, दिल्ली के लोगों की मेहनत का पैसा है। हम समझते हैं कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी जिम्मेदारी है वहां भी खर्च करना है इसको। लेकिन 1,30,000 करोड़ में से अगर हमें 50,000 करोड़ भी दे दिया जाए तो हम दिल्ली में चार गुणा वृद्धि करके दिखा देंगे और कमा के देंगे और मेहनत करेंगे दिल्ली के लोग। दिल्ली के लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन दिल्ली के साथ ये सौतेला व्यवहार जो रहा है, ये ठीक नहीं है। इसको बदलें और देखिए एक तरफ तो इंकम टैक्स, सेल्स टैक्स

पर बैठ जाते हैं उसका शेयर नहीं देते। ऊपर से जमीन मांगते हैं कि बस स्टाप बनाना है, हमें डिपो बनाने हैं, होस्पीटल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, वृद्धाश्रम बनाने हैं इन सब के लिए जमीन मांगते हैं तो बोले 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में ले लो, 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में ले लो। तो अध्यक्ष महोदय ये जो प्रोब्लम है ये बहुत गंभीर विषय है, इसकी ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं क्योंकि आज हम बजट पर बात करने बैठे हैं। इस पर हम केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं और अन्य फोरम पर भी उठा रहे हैं लेकिन इस फोरम पर बजट के मेन प्रस्तावों पर आने से पहले ये बात मैं आपके संज्ञान में, सदन के संज्ञान में लाना जरूरी समझता था कि ये सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ हो रहा है। एक चीज कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग जैसे मेहनत करके केंद्र सरकार को इतनी बड़ी राशि दे रहे हैं। सैल्स टैक्स भी दे रहे हैं, एक्साइज भी आ रहा हैं और तमाम तरह से भी टैक्स आ रहा है और जितना हो सकेगा, जितना अब इकट्ठा हो रहा है हमारा हक है उसके लिए लड़ते रहेंगे। उसके लिए मांग करेंगे। दिल्ली के लोगों का हक है, कोई खैरात थोड़े ही मांग रहे हैं। दिल्ली के लोगों के हक की बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई के पैसे अगर ये पैसा आएगा तो और कमाएंगे दिल्ली वाले और सेंट्रल गर्वमेंट को टैक्स मिलेगा। दिल्ली की financial position और स्ट्रॉग होगी। लेकिन कोई बात नहीं। हम ये भी जानते हैं कि अभी 'ना रहबर से मिलेगा' न रहगुजर से मिलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, ये तो हम ही से निकलेगा' इस कांटे को निकालने के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं 2015-16 के बजट अनुमान आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उसके पहले एक

छोटा सी इंफोरमेशन 2014-15 में व्यय के बारे में भी समक्ष रख दूं। 2014-15 में 36,766 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों को घटाकर संशोधित अनुमान में 34,790 करोड़ रुपए किया गया है क्योंकि जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई फरवरी, 2015 में। उस वक्त जैसा मैंने कहा एक साल से सेंट्रल गर्वमेंट दिल्ली को चला रही थी और लगातार घाटा होता चला जा रहा था उस वक्त 4 हजार करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी दिल्ली की अर्थव्यवस्था। इसलिए आते ही जब हमने revised estimates (R.E.) किया तो हमने उसको कम किया और 2014-15 में कुल व्यय अभी अस्थायी लेखा विवरण है। उसके अनुसार 30,940 करोड़ रुपए किया जा सका, इसमें 13,984 रुपये योजना व्यय और 16,956 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय भी शामिल है।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष 2015-16 के बजट अनुमान रखता हूं। मैंने चालू वित्त वर्ष के दौरान, लेखा अनुदान की मंजूरी प्राप्त करते समय 2015-16 के लिए प्राप्तियों और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किए थे। उसके बाद हमने सुझाव मांगे और इन सब चीजों को पढ़कर, सुझावों को पढ़कर, जनता की मांग को पढ़कर पूरी समीक्षा की। जनता की आवश्यकता की समीक्षा हुई और इससे चालू वित्त वर्ष के लिए हमें लगा कि बजट के आकार को बढ़ाना जरूरी है। तो 2015-16 के लिए कुल बजट अनुमान 41,129 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जबकि लेखा अनुदान में 37,750 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे। इसमें 19,000 करोड़ रुपए योजना और 22,129 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय के रूप में प्रस्तावित है। योजना बजट

के रूप में प्रस्तावित 19,000 करोड़ रुपए 2014-15 के दौरान किए गए 16,350 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 16 परसेंट अधिक है और 2015-16 के बजट के लिए कुल प्रस्तावित 41,129 करोड़ रुपए की राशि 2014-15 के संशोधित अनुमान 34,790 करोड़ रुपए से 18 परसेंट अधिक है। हमने 2015-16 में कुल अनुमानित प्राप्तियां 41,500 करोड़ की आंकी है अध्यक्ष महोदय, जो लेखा अनुदान में स्वीकृत 37,768 करोड़ रुपए और इससे 3,731 करोड़ रुपए अधिक है। प्राप्तियों और व्यय के प्रस्तावित अनुमानों में 371 करोड़ रुपए हम सरप्लस में रखने का प्रस्ताव रख रहे हैं। ये जो 41,129 करोड़ रुपए है कुल प्रस्तावित व्यय इसकी व्यवस्था में मुख्य रूप से 34,661 करोड़ रुपए स्वयं के कर राजस्व से हमारा जुटाने का प्रस्ताव है जबकि 1,127 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 381 करोड़ रुपए पूंजी प्राप्तियों से, 1038 करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 807 करोड़ रुपए सी.एस.टी. वैट के बदले क्षतिपूर्ति से, 800 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं से, 395 करोड़ रुपए सामान्य केन्द्रीय सहायता और 161 करोड़ रुपए बाहरी सहायता प्रयोजनाओं से और जो मैंने कहा 325 करोड़ रुपए केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में जुटाए जाएंगे।

केन्द्रीय करों में जो हिस्सेदारी है ये 41,500 करोड़ में मात्र 0.78, एक परसेंट भी नहीं पौना परसेंट है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। केन्द्रीय शुल्क और करों में जो मैंने बताया उसमें से सिर्फ 325 करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं और 2001 से मिल रहे हैं। 14 साल से मिलते चले आ रहे हैं इसलिए भारत सरकार का जो 32 परसेंट से बढ़ाकर 42 परसेंट करने का फार्मूला था उससे दिल्ली को कोई फायदा नहीं हुआ। प्रस्तावित व्यय में

अब देखिए इस 41,129 करोड़ रुपए में से, हम इसको कहां लेकर जा रहे हैं। इसमें से 5,908 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय निकायों के लिए आबंटित की गई है, ये 14.4 परसेंट है। अध्यक्ष महोदय, 5,908 करोड़ रुपए की राशि। इसी के साथ-साथ अब देखिए 41,129 करोड़ में से 5,908 करोड़ रुपए 14.4 परसेंट नगर निगम के लिए हैं, स्थानीय निकायों के लिए हैं। इसी के साथ-साथ 4,993 करोड़ रुपए यानि लगभग 12 परसेंट भारत सरकार से पूर्व में लिए गए कर्ज के ब्याज और मूलधन की अदायगियों के रूप में दिए जा रहे हैं। 14.4 परसेंट नगर निगम को, 12 परसेंट सेंट्रल गर्वमेंट को वापस देने हैं जो कि पिछली सरकारों ने कर्ज ले रखा है। 1,084 करोड़ रुपए डी.टी.सी. के घाटे की पूर्ति के रूप में दिए जाने हैं और 1,690 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों के लिए क्योंकि ये दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली के लोगों के लिए सस्ती बिजली और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी के रूप में शामिल है। इससे 90 परसेंट दिल्ली के लोगों को फायदा मिल रहा है।

अध्यक्ष जी, मैंने स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता की बात की। हमारी सरकार स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, करती आ रही है और आगे भी कर रही है। स्थानीय निकायों को 2015-16 में जैसा मैंने बताया 5,908 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी और पूर्वी नगर निगम की कमजोर स्थिति को देखते हुए जो ऋण हैं, उनके पुनर्भुगतान हमने स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है आपके समक्ष, ताकि वो अपनी स्थिति में सुधार कर सकें क्योंकि पूर्वी नगर निगम और उत्तरी नगर निगम की आर्थिक स्थिति हम भी जानते हैं, अच्छी नहीं

है इसलिए तो यहां contradiction एक तरफ सेंट्रल गर्वमेंट के हमारे ऊपर टैक्सिस हैं, लोन हैं वो लगातार वसूले जा रहे हैं। इधर जब नगर निगम के ऊपर जो लोन हैं हम समझते हैं कि इस चीज की गंभीरता को समझते हैं इसलिए हमने तय किया है कि इसका पुनर्भुगतान अभी हम स्थगित कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्थिति में सुधार कर सकें। हम 2015-16 के निगमों के बकाया ऋण के मूलधन और ब्याज की वसूली उन्हें दिए जाने के अनुदानों से करने की पिछली सरकार द्वारा जो अपनाई गई पद्धति थी उसका अनुसरण नहीं करेंगे पहले लगातार चलती रहती थी और ये पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्रजी एक बार तो बधाई दे दो। प्लीज, मैं बीच में interrupt कर रहा हूं।

**श्री विजेनद्र गुप्ता** : ये जो दबाव हमारा बना, उसके लिए मैं कहूंगा...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मतलब बधाई तो मानते हो।

**वित्त मंत्री** : आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो 15 दिन पहले इसको एक्जीक्यूट करा चुके हैं, 30 जून, 2014 तक 759 करोड़ रुपये मिले थे पिछले फाइनेन्शियल ईअर में और इस साल 30 जून, 2015 तक 1131 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। 49 परसेंट एक्सट्रा दिया जा चुका है नगर निगम को। तो अध्यक्ष महोदय स्थानीय निकायों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता में 2,850 करोड़ रुपये कर संग्रह की हिस्सेदारी के रूप में 1,394 करोड़ रुपये स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क तथा पार्किंग शुल्क में हिस्सेदारी से संबंधित है। शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न

विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिये हम इस वित्त वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों को योजना निधि के रूप में 1,664 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करते हैं। हमारी सरकार नगर निगमों को हर संभव सहायता देने के लिये वचनबद्ध है। नगर निगमों को पिछले वर्षों में इस अवधि तक जो डाटा मैंने आपके सामने रखा वो मैंने बताया कि 49 प्रतिशत हम एक्स्ट्रा दे चुके हैं। लेकिन स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधन बढ़ाने और बढ़ते हुए खर्च पर नियंत्रण के लिये भी प्रेरित करते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने साधन भी बढ़ायें और अपने आय के साधन भी बढ़ायें हमने उनसे अपील की और केन्द्र सरकार से भी सहयोग करने की अपील की है ताकि हम अगर निगम की मदद कर सकें और लगातार उनकी गाईडेन्स में कर रहे हैं। मैं इस सम्मानित सदन के जरिये नगर निगमों से अपील करता हूं कि वे अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू बनायें ताकि आने वाले महीनों में नगर प्रबंधन में कोई खामी न आये और इस महान राज्य के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपके समक्ष यह जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह सरकार की राजनीति है कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति को बदलने आये हैं और चाहे वो चुनाव रहा हो, चाहे चुनाव प्रचार रहा हो। चुनाव के बाद सरकार चलाने का तरीका रहा हो। इसमें राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। लगभग 4 महीने के अनुभव के बाद मैं खड़े होकर आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि केवल राज्य नीति यानि कि राज्य को चलाने की नीति में भी बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं और पहले ही

बजट में पार्टीसिपेटरी तरीके से बजट तैयार करना इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकने में भी मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि जनता के पैसे का कारगर और प्रभावी इस्तेमाल हो जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों के लिये, उनके लिये उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके महत्व के हिसाब से योजना को अन्जाम दिया जा सके जिससे नागरिकों को सक्रिय और एकजुट रखने में भी मदद मिलेगी। यह एक अलग social dynes जब लोग सब कट गये हैं दिल्ली में पड़ौसी पड़ौसी को नहीं जानता लेकिन जब मौहल्ला सभायें होती हैं हमने पार्टीसेपेट्री बजट की Process में देखा कि जब मौहल्ला सभायें होती हैं तो सब एक दूसरे को, अड़ौस पड़ौस के लोग आपसे में बात करके आते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। अपने मौहल्ले के लिये जो पैसा आ रहा है सरकार से, क्योंकि डिसीजन हमको लेना है तो आपस में संवाद बढ़ रहा है लोगों में। आपस में लोग एक दूसरे के साथ शेअर कर रहे हैं अपने Experience शेअर कर रहे हैं अपनी Knowledge शेअर कर रहे हैं और इसका बड़ा लक्ष्य जो है वो यही है लोकशाही ऊपर से नहीं नीचे से, तो यह एक बड़ी पहल है पार्टीसिपेटरी बजटिंग। दुनिया के कई देशों में यह होती रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा वाकया पार्टीसिपेटरी बजटिंग का आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। हालांकि मेरी फॉरमल स्पीच में यह नहीं है। हम लोग सरकार में बैठे हुए लोग या बाहर लोग जब सोचते हैं कि लोगों को क्या चाहिये तो अपनी कल्पनाओं के आधार पर नीतियां बनाते हैं। हमें लगता है कि लोगों को फलाना चाहिये होगा। हम उस इलाके में अधिक

से अधिक चार लोगों से मिलकर कुछ निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब हमने यह मीटिंगस की पार्टीसिपेटरी बजटिंग तो बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। एक इलाके में लोगों ने अपने बजट के लिये तरह तरह के प्रस्ताव रखे। 20-25 तरीके से प्रस्ताव आये। वहीं एक प्रस्ताव लाइब्रेरी बनाने का भी आया। सामान्यत: दिल्ली में जब बजट बनता है, दिल्ली में योजनायें बनती हैं तो लाइब्रेरी स्थानीय स्तर पर मौहल्ले के लोग लाइब्रेरी के लिये वोट करेंगे, यह कल्पना में नहीं आता कि यह या उनकी प्रायरिटी में होगा। लेकिन 20-25 प्रस्ताव जब उन्होंने रखे हमने कहा भई 20-25 प्रस्तावों में से सबसे पहले कौन सा काम करवाया जाये, तो लोगों ने कहा लाइब्रेरी का। सबसे ज्यादा वोट लाइब्रेरी को पड़े। यह अदभुत था। मैं सोच रहा था लोग सड़क मांगेंगे, मैंने सोचा लोग सीवर रिपेयर मांगेंगे, लोग पानी की बात करेंगे। उन्होंने कहा हमें लाइब्रेरी चाहिये। यह अच्छी बात है। यह जनता का पैसा है, जनता के हिसाब से खर्च हो। हमें क्या दिक्कत है। हमारा काम यही है। यही स्वराज है। हमने फैसला लिया।

एक ओर घटना घटी एक सभा में। वहां पर हमें जो पेन्शन दी जाती है। इसका भी प्रस्ताव रखा कि इसमें किसी को पेन्शन देनी है। तो पेन्शन मांगने एक महिला उठ कर खड़ी हुई मुझे ओल्ड एज पेन्शन मिलनी चाहिये जैसे ही ओल्ड एज पेन्शन लेने वाली महिला खड़ी हुई तब तक किसी के मौहल्ले से दूसरी महिला खड़ी होने लगी बोली नहीं - नहीं इनको पेन्शन नहीं मिलनी चाहिये। इनकी तो बेटी सरकारी नौकरी करती है। जो ओल्ड एज पेन्शन मिलता है, पेन्शन गरीब लोगों के लिये बनी हुई है। उनमें बन्द कमरों में बैठ कर फैसले होते हैं। तो वो पता नहीं किस-किस को बंट

जाती है। लेकिन तब जनता ने तय किया ईमानदारी से गरीब लोगों को पेन्शन मिलनी शुरू हुई। नाजायज तरीके से सक्षम लोग पेन्शन पर डाका डाल कर बैठ जाते थे। नेताओं से अपनी नजदीकी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, उन्होंने बाकायदा इसमें परिवर्तन किया। यहां परिवर्तन हुए, लोगों ने साफगोई से रखा कि साहब, इसको पेन्शन नहीं मिलनी चाहिये। डिजरविंग कैंडिडेट और हैं, उसको मिलनी चाहिये और उसके बारे में पेन्शन है, तो यह बड़ी अदभुत बात है। पार्टीसेपेटरी बजटिंग के मैं फायदे गिनाने के लिये दो-तीन इक्जाम्पल दे रहा था। अध्यक्ष महोदय, एक और पहल हमने की है इस बार। एक स्वराज निधि, स्वराज फंड स्थापना कर रहे हैं। स्वराज फंड का जिसका प्रस्ताव है इससे जरिये नागरिक अपने क्षेत्र में विकास के लिये प्राथमिकता के अनुसार स्वयं चुने हुए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे और मैं स्वराज निधि के कार्यक्रम के लिये 253 करोड़ रुपये के बजट के आबंटन का प्रस्ताव रखता हूं। यह स्वराज निधि है क्या वैसे तो इस बजट में शामिल पूरी की पूरी राशि जनता की राशि है। लेकिन स्वराज निधि वाकई जनता की डिसपोजल तक दी गई राशि है। जनता तय करेगी कि वो कहां खर्च होना है। यह हिन्दुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रयोग है स्वराज निधि। भारत के संविधान में 73वें, 74वें संशोधन में इसकी परिकल्पना तो की गई थी और अगर देखें थोड़ा बहुत ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभाओं के माध्यम से इसकी कुछ कागजी व्यवस्था भी की गई लेकिन कागजी रह गई। वहां अभी अमल में नहीं आ पाई। सही मायने में अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो व्यवस्था के हमारे सरकार के सिस्टम के फंडस, फंक्शनस और फंक्शनरीस इन तीनों पर हर पल, हर क्षण जनता

पर निर्भर रहना जरूरी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्वराज निधि की स्थापना देश में सच्ची लोकशाही की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। स्वराज निधि के तहत आने वाले वर्षों में दिल्ली के सभी 70 विधान सभा क्षेत्रों में एक निश्चित राशि आबंटित की जायेगी और हर विधान सभा क्षेत्र में अलग-अलग मौहल्ले में बैठ कर मौहल्ला बैठकों में जनता तय करेगी कि उसका अपना पैसा है उसको किस जरूरत के, किस काम में, कब-कहां कैसे इस्तेमाल करना है। कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में होना है, यह सब जनता तय करेगी मौहल्ले में। एक और बड़ी चीज है इसमें, एक बार अगर काम हो जाये तो ठेकेदार का पेमेन्ट तब किया जायेगा जब जनता कह देगी कि काम ठीक हो गया। नहीं तो ठेकेदार को पेमेन्ट नहीं किया जायेगा। जब जनता उस काम के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर करेगी, तब किया जायेगा पेमेन्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा इस देश में पहली बार हो रहा है। इसके लिये कुछ परम्परायें शुरू करनी पड़ेंगी। हमारा मकसद जैसा मैंने कहा 70 विधान सभा में से शुरू करना है लेकिन शुरुआत में, पहले वर्ष में हम 11 विधान सभाओं में मौहल्ला बैठकों से करके जनता की डिमाण्ड से बजट लेकर आये हैं। हर एक विधान सभा को करीब 40 से 50 मौहल्लों में बांट के वहां रहने वाले मतदाताओं की वोटिंग कराई गई, बैठकें कराई गईं, बैठकों में स्वयं जनता ने वोटिंग के जरिये अपनी डिमाडंस बताईं उन डिमाण्डस की प्रायरिटी तय की और इन डिमाण्डस को पूरा करने के लिये प्रत्येक विधान सभा को स्वराज निधि के तहत 20-20 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है। जनता की डिमांड पर बीस बीस करोड़ रुपये खर्च होंगे। दिल्ली। दिल्ली में रख रखाव व निर्माण।

**अध्यक्ष महोदय** : पूरी दिल्ली में

**वित्त मंत्री** : एक बात और अध्यक्ष महोदय, इस बार ग्यारह विधानसभाओं के लिये अगली बार, फिर आगे से 70 की 70 में करेंगे। एक बार फाइनली कर लें, ये सीखने के लिये, बेकार की परंपरा है। इसीलिये मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा चेंज, हम इस सिस्टम में कर रहे हैं कि अभी तक दिल्ली में अगर मेन्टेनेंस का काम कराना हो, कोई डेवलेपमेंट का काम कराना हो, कोई पालिसी का implementation कराना हो, कन्स्ट्रंक्शन से संबंधित कोई छोटा मोटा, मेन्टीनेंस से संबंधित, तो इसको लेकर काफी कन्फयूजन है और यहां बैठे हुए मुझे लगता है एम.एल.ए. इस बात के गवाह होंगे कि कौन सा काम... मान लीजिये कोई सड़क ठीक करानी है, नाली ठीक करानी है, पार्क में कोई काम कराना है, स्ट्रीट लाइट लगवानी है, पी.डब्ल्यू. से लेकर नगर निगम तक सबके पास जिम्मेदारी है, बंटे हुए हैं। आप स्वयं भी एक विधान सभा क्षेत्र से एम.एल.ए. हैं, आप पहले भी रहे हैं। आपने भी ये multiplicity को झेला होगा। अब मुझे आश्चर्य होता है कि एक डिपार्टमेन्ट है हमारी सरकार में फलड कंट्रोल। flood relief का काम करता है। बड़े बड़े नालों की सफाई का काम उसके जिम्मे है। इरीगेशन का, flood का, लेकिन उसको काम दे रखा है इररेगुलर कालोनीस की छोटी-छोटी दस दस बीस मीटर की नालियां तुम बनाओगे। कहां उसको दिल्ली के तमाम बड़े बड़े नाल साफ करने थे। अब कहां वो बिचारा उसके इंजीनियर को इररेगुलर कालोनीस की जिन्हें हम अनआथोराइज कॉलोनी भी कहते हैं, उनकी नालियां बनाने का काम दे रखा है। ये तो बड़ा आश्चर्य है। बड़ा contradiction है और यही कार्य कहीं पी.डब्ल्यू. के हिस्से है, कहीं

डी.एस.आई.डी.सी. के हिस्से है, कहीं नगर निगम के हिस्से है तो ऐसे में मैंने कहा कि आम नागरिक की बात तो छोड़िये मैंने तो देखा है कि एम.एल. के लिये मुश्किल है कि यहां कैसे काम करायें, कौन सी एजेंसी से करायें, कौन सी एजेंसियां काम करेंगी? किस कॉलोनी के लिये किस एजेन्सी से सम्पर्क करें तो ये भ्रम एक तो अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसलिये सरकार ने तय किया है कि रख रखाव और निर्माण आदि से संबंधित कार्यों के लिये प्रत्येक जिले में डूडा, हरेक जिले में दिल्ली नगर विकास एजेंसी डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, अरबन डेवलेपमेंट एजेंसी नाम की एक एजेन्सी स्थापित की जायेगी। इस एजेन्सी के और कहीं किसी विभाग में अधिक इंजीनियरस है तो वहां उनको ट्रांसफर करके उस पर्टीकूलर काम में लगाया जायेगा। इस एजेन्सी के माध्यम से स्वराज निधि, विधायक चाहे तो विधायक निधि, ये तमाम योजनाओं के अंतर्गत जो मेन्टीनेंस के काम हैं, छोटे मोटे डेवलेपमेंट के काम हैं, ये सब कामों को निष्पादित किया जा सकेगा। सिंगल एजेन्सी होगी, सिंगल प्वाईंट आफ व्यू से। इससे multiplicity में फायदा मिलेगा। इससे multiplicity में दूसरे लोगों को फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ इस एजेन्सी से अनाधिकृत कॉलोनियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह विकास कार्य कराने में सुविधा मिलेगी और इसमें भी कन्डीशन यही है ये भी जो काम करेगी एजेन्सी इसमें भी कोई भी काम कराये, ठेकेदार को पेमेंट तभी होगा जब वहां के, जिस इलाके में काम हो रहा है वहां की जनता कह देगी कि काम ठीक हो गया। तो लिखा हुआ था तो पूरी well informed जनता रहेगी। इनफारमेशन दी जायेगी पहले से कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो

रहा है। जनता जब कह देगी कि ये काम ठीक हो गया है तब पेमेंट दी जायेगी। नहीं तो जनता की संतुष्टि के बिना पेमेंट नहीं दी जायेगी और जो ये डूडा है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हर इलाके में काम करेगी एक और स्टेप सरकार ने उठाया है, उठा रही है। स्मार्ट सिटी स्मार्ट गर्वनेंस। एस.डी.एम. आफिस से तरह तरह से प्रमाण पत्र लेने में लोगों को दिक्कत होती थी। एक एप्लीकेशन डालिये। मान लीजिये कास्ट की, ओ.बी.सी. की। पता चला फादर का लाओ, और वो फादर का असली है कि नकली है पहले दे जाओ, हम चार दिन बाद तय करके बतायेंगे, अपने रिकार्ड देखकर बतायेंगे। रिकार्ड पता नहीं कहां कहां पड़े हुए हैं। तो इस सबको खत्म करने के लिये इन सबको ठीक करने के लिये ई-डिस्ट्रिक्ट सर्विसिस शुरू की। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं और पूरी की पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस ई सिस्टम के जरिये जोड़ दी गई है। Executive Magistrate digital signature के जरिये अब प्रमाणपत्र जारी करेंगे। ये एक बड़ा चेंज है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ लेकर आ रहे हैं और नागरिक अभी तक डुप्लीकेट फोटो कापी लेने में दिक्कत, तो जब डिजीटलाईज्ड हो गया तो फिर कितनी फोटो कापी निकालिये अपने प्रमाणपत्र की। क्या फर्क पड़ता है। digital signature की photocopy उनको मिल सकती है। 12 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में आधुनिकीकरण की सब रजिस्ट्रार में कर दिया है और तीन अन्य कार्यालयों में ये प्रक्रिया अभी चल रही है। अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ी चीज जो हमने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से वादा भी किया था कि हम दिल्ली में ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस का जमाना लेकर आयेंगे, दुनिया

भर में टैक्नोलोजी, दुनिया के तमाम विकसित देशों में टैक्नोलोजी के जरिये वहां के पोलिटिकल लीडर शिप अपने शहरों की अपने राज्यों की गवर्नेंस को आगे लेकर चली गई है और हम वहीं अटके हुए हैं। ई-गवर्नेंस, और एम-गवर्नेंस के युग में एनटरेंस बहुत तेजी से करने के लिये, लेकिन उसके लिये जरूरी है क्योंकि घोड़ा दे दीजिये और घोड़ा बांधने की जगह नहीं है तो क्या करेगा? इसलिये जरूरी है कि पहले शहर में ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस का माहौल तो बनाया जाये, तो दिल्ली को एक आधुनिक शहर बनाने की दिशा में वाई-फाई की सुविधा एक बहुत बड़ा सपना है। चाहे यूथ हो, ट्रेडर हो, घरेलू गृहणियां हों, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान हों। सब से बातचीत हुई है और सब का कहना है कि वाई-फाई बहुत जरूरी चीज है। इन्टर नेट का कनेक्शन बहुत जरूरी चीज है। और जब सब कुछ हम ई रजिस्ट्रार, ई डिस्ट्रिक्ट ये सब शुरू कर रहे हैं, तो वाई-फाई उनके पास होना बहुत जरूरी है। हमने चुनाव से पहले भी इसका वादा किया था फ्री वाई-फाई देने का, और सरकार बनने के बाद से इस पर लगातार काम किया है। अलग-अलग एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ डिस्क्शनस किये। कई राउन्ड डिस्क्शनस किये, कई सारे माडलस की स्टडी की और पहले चरण में आज इस मैं इस बजट के माध्यम से प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि पहले चरण में दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों को निशुल्क फ्री वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। सारे कॉलिजेज में और सारे गांव में फ्री वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराई जायेगी पहले चरण में, और 2015-16 के इस परियोजना के लिये 50 करोड़ रुपये की बजट राशि रखी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, एक ओर 50 करोड़ रुपये।

अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा नीति गत कदम सरकार की ओर से उठाया गया है कि ease of doing business की बात सब करते हैं, बड़े कन्फयूज कर रखा है। मैंने भी जब पहली बार सुना ease of doing business क्या है मुझे भी समझ नहीं आया। मुझे लगा कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती होगी, सेन्टर होगा, कुछ कोई होगा नया किसी कॉलेज में। लेकिन धीरे-धीरे समझा। बहुत ही अस्पष्ट तरीके से गर्वनेस के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन है क्या? सब कहते हैं कि हम भी ease of doing business करेंगे, हम भी ease of doing business करेंगे। बिजनैस करने चलो तो कम से कम 50 जगह फाइल घूमती है। किसी जगह रिश्वत देनी पड़ती है, किसी जगह सिफारिश लगानी पड़ती है किसी जगह इंतजार करना पड़ता है कुछ नहीं पता। ये सरकार ease of doing business की रूप रेखा को, उसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे से समझती है और इसलिये हमने इसकी शुरुआत की है कि दिल्ली में किसी व्यक्ति को कितनी भी तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उनकी सबकी समीक्षा की जाये। एक एक लाइसेंस की समीक्षा की जाये। उस लाइसेंस की पहली बात तो जरूरत की क्यों है। अगर जरूरत है तो उसके लिये क्या प्रोसेस है, प्रोसेस कितनी खराब है कितनी अच्छी है कितनी आसान है। क्या क्या प्राब्लमस है उस प्रोसेस में, और फिर एक बार किसी को लाइसेंस मिल भी गया तो अगले साल रिन्यूअल। हर साल रिन्यूअल। अरे, एक आदमी ने रेस्टोरेंट खोल दिया हर साल रिन्यूअल करायेगा। हर साल पैसे देगा, हर साल रिश्वत देगा। उन सब चीजों से कैसे निकाला जाये और कैसे सारी की सारी चीजों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में लगाया जाये। इसको ले के सरकार ने एक हाई

पावर कमेटी बनाई है अपने बहुत सीनियर आफिसरस विजनरी आफिसरस के नेतृत्व में और वह जुलाई के एंड तक रिपोर्ट देगी और उसके बाद सही मायने में ease of doing business जो है वो शुरू होगा यहां पर। क्योंकि जब हम दिल्ली में व्यापार का माहौल बनायेंगे ease of doing business का माहौल बनायेंगे तभी तो मैं इस सदन के माध्यम से आज कह सकता हूं और मैं कहना चाहता हूं देश के तमाम व्यापारियों से, तमाम ट्रेडर से, तमाम नौजवानों से जो बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। व्यापार करना चाहते हैं आइये, दिल्ली आपका स्वागत करना चाहती है। ईमानदार दिल्ली आपका स्वागत करना चाहती है। अपना व्यापार करिये, देश में सबसे इजी व्यापार करना, व्यापार का लाइसेंस लेना, व्यापार के सिस्टम को सरकार के साथ डील करना सबसे इजी हम यहां पर बनायेंगे। इसके लिए हम संकल्पकृत हैं। एक और पहल पिछले चार महीने में देखा बहुत सारे देश-विदेश के लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने, मंत्रियों से मिलने डेलीगेट्स के रूप में, मिनिस्टर के रूप में वहां आते हैं, डिस्कस करते हैं, टेक्नीकल रिप्रजेंटेशन लेकर आते हैं, वो सारा खो जाता है। खो जाता है मतलब वो बस फाइलों में लग गया, हो गया डिस्कशन, उसके आगे क्या, हमारे भी बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं। मैंने पिछले रिकाडर्स भी देखें। मैं पिछले साल का जब बजट पढ़ रहा था और कई सालों का पढ़ा, खूब विदेश यात्राओं पर पैसा खर्च हुआ है फिर क्या हुआ, तो हमने तय किया कि यह अधूरापन नहीं होना चाहिए। जाना-आना लगा रहना चाहिए, लेकिन साथ-साथ उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए तो इसके लिए सेल हम लोग बना रहे हैं, दिल्ली सरकार में

कि जितने भी लोग मिलने आ रहे हैं उनके क्या प्रपोजल थे, उनके साथ क्या ओफर्स थे, उनके साथ क्या डिस्कशन हुआ। उसको आगे कैसे बढ़ाया जायेगा, जो हमारे लोग वहां गये, यहां तक कि विदेशी ट्रेनिंग पर भी ऑफिसर्स जाते हैं, वहां भी बहुत लोग मिलते हैं, वहां से क्या कनैक्शन बने, उन सब के बेस पर क्या लर्निंग हो सकती है, क्या शेयरिंग हो सकती है, कैसे एक्सचेंज हो सकता है, इन सब चीजों के लिए। वित्त जो हमारा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें एक सेल स्थापित कर रहे हैं और यह विदेशों से संबंध टेक्नोलॉजी के लिए सोल्यूशन के लिए, आईडियाज के लिए इन सब में नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा, इनवेस्टमेंट के लिए इन सब में।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी सरकार के एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इन प्रस्तावों में। शिक्षा हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कोई भी समाज अगर विकास और समृद्धि की तरफ ले जाना है उस समाज को तो उसकी पहली सीढ़ी शिक्षा है और यह इतिहास बताता है कि जब-जब कोई समाज शिक्षा की सीढ़ी पर पैर रखे बगैर विकास की तरफ भागा, नई-नई टेक्नोलॉजीज की तरफ भागा तो उसकी खुशहाली अंतत: खोखली साबित हुई। यह इतिहास हमें बताता है। दुनिया के देशों में हमने देखा है। इसलिए हमारी सरकार राज्य के नागरिकों का सुनहरा भविष्य देने के लिए सदन के समक्ष एक ऐतिहासिक शुरुआत करने का प्रस्ताव रख रही है। मैं शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 9836 करोड़ रुपये का कुल व्यय प्रस्तावित करता हूँ। इसमें 4570 करोड़ रुपये योजना व्यय के

लिए रखे गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष के 2219 करोड़ रुपये की योजना व्यय से 106 प्रतिशत यानी की दुगुने से भी ज्यादा है। इस तरह जैसा मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि शायद देश में पहली बार कोई सरकार शिक्षा के बजट को 106 फीसदी आगे बढ़ा रही है, दुगुने से भी ज्यादा बढ़ा रही है। यह शिक्षा के बजट को दुगुने से ज्यादा बढ़ाना 106 फीसदी बढ़ाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गम्भीर हैं। समाज को खड़ा करने की, विकसित करने की, खुशहाल बनाने की पहली सीढ़ी को लेकर हम कितने गम्भीर है। यह इस बात का और मैं इसको व्यय के रूप में नहीं कहता। क्योंकि बजट है बजट की अपनी भाषा है व्यय उसका एक हैडिंग है तो व्यय में मुझे रखना पड़ रहा है लेकिन मुझे पीड़ा हुई है रखते हुए, व्यक्तिगत रूप से मुझे पीड़ा हुई है, मैंने अपने फाइनेंस सेक्रेट्री साहब से डिस्कस किया कि यह व्यय नहीं है यह तो निवेश है। देश के भविष्य में निवेश है। यह जो हम 836 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रख रहे हैं, यह वस्तुत: दिल्ली राज्य की आने वाली पीढ़ियों के और वर्तमान पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए, खुशहाल भविष्य के लिए एक निवेश है। यह मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ। यह बहुत ऐतिहासिक कदम है, मुझे याद नहीं आता, मैं पत्रकार भी रहा हूँ, मैंने बजट भी कवर किए हैं कि कभी किसी ने, और हमेशा मैंने पढ़ा है कि एजुकेशन कैसे नीचे जा रहा है, एजुकेशन का बजट कैसे सरकार की priorities में नहीं आता। आज जब समय ने, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो हमने उस जिम्मेदारी को बहुत तहेदिल से

निभाना चाहा कि शिक्षा के बजट को दुगुना किया जाये, दुगुना से ज्यादा किया जाये, वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन एक बहुत गम्भीर फैसला है। इस 9 हजार करोड़, दस हजार करोड़ की पाई-पाई का खर्चा हम जिम्मेदारी से करना चाहते हैं और यह कितना बड़ा काम है, इसका हमको एहसास है। इसके लिए पूरी योजना, स्कूल एजुकेशन से लेकर और हायर एजुकेशन तक, पूरे कहां रिफार्म होने हैं, कहां इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है, कहां टीचर्स को मजबूत करना है इसकी पूरी योजना हमने बना रखी हुई है और इन योजनाओं की समराइज करे तो इसके दो लक्ष्य हैं- पहला है कि आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली को पूर्ण साक्षर राज्य भी बनाना है। इस बजट के माध्यम से इस निवेश के माध्यम से हम दिल्ली को आने वाले वर्षों में पूर्ण साक्षर राज्य बनायेंगे और दूसरा है शिक्षा को जीवन के लिए उपयोगी बनाना। अभी 20 साल की शिक्षा के दौरान छात्रों में स्किल आये, उसके साथ-साथ वेल्यूज भी आये। इस तरफ लेकर चलना है। स्किल भी आये, उसकी लर्निंग भी हो। अर्निंग के लिए हो लेकिन साथ-साथ समाज में रहने के लिए उसके अंदर वेल्यूज भी हो, दोनों चीजें हम करना चाहते हैं। एक तरफ दिल्ली को साक्षर राज्य बनाना, 100 परसेंट लिटरेट स्टेट बनाना और दूसरी तरफ एजुकेशन विद वेल्यूज, स्किल एंड वेल्यूज दोनों पर ध्यान देना है। इसके लिए बकायदा योजना है। मैं कुछ योजनाओं को आपके समक्ष रखता हूँ। सरकारी स्कूलों में सीखने-सिखाने का माहौल बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, अध्यापकों को सुविधा देने के लिए, सम्मान देने के लिए कई स्तर पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। सरकार ने काम

करना शुरू किया है। शिक्षा को लेकर हम एक बात कहते हैं मूल्य शिक्षा, मैं कहता हूँ शिक्षा का मूल्य, हम शिक्षा को मूल्य से जोड़कर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, कक्षा नौ से कक्षा बारह तक स्किल एजुकेशन पर जोर दे रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग पर इस सब के साथ-साथ दिल्ली के सभी 1011 सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने का फैसला सरकार शुरू कर चुकी है लेकिन वर्तमान इंट्रेस्ट में 50 स्कूलों को हम पायलट लेकर चल रहे हैं। 1011 में से 1011 में, सब में काम शुरू किया है। बेसिक सुविधायें सब में उपलब्ध करानी शुरू कर दी, लेकिन 50 स्कूलों को मॉडल सुविधायुक्त स्कूल बनाकर एक साल में दिखायेंगे और उसके बाद बाकी स्कूलों पर करेंगे अगले कुछ सालों में। इसकी शुरुआत हो रही है। इनमें पढ़ाई की सारी सुविधायें, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना, उनको प्रोत्साहित किया जाना, उनको फाइनेंशियल इन्सेटिव देना, उनको विदेशों के साथ एक्सचेंज कार्यक्रमों में लगाना, इस तरह के इन्सेटिव देकर वहां माहौल बनाया जायेगा और छात्र और अध्यापक का जो अनुपात है, दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर 80 से 100 और कहीं कहीं तो जगदीश भाई बैठे हैं, इनके यहां पर तो 150-150 तक का अनुपात है एक-एक टीचर के पास तो बहुत चिंता का विषय है तो इसको कम करने के लिए सरकार 20 हजार नये शिक्षकों की नियुक्ति का काम तेजी से कर रही है। एक तरफ जहां हम टीचर को फैसिलिटी देना, स्कूल में तमाम फैसिलिटी देना, ये सब काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को और टीचर्स को एकाउंटेबल बनाने की दिशा में भी

काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने तय किया है, सरकार ने तय किया है कि दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के एक-एक क्लास रूम में, हरेक क्लास रूम में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए जाएंगे। इससे वहां का वातावरण भी ठीक होगा, शिक्षकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और साथ-साथ एक अलग तरीके की वहां जवाबदेही आयेगी। इसी तरह खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने पे एंड प्ले कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी खेल परिसर काफी हद तक खोले हैं, स्टेडियम खोले हैं और दिल्ली के स्कूलस के जो पार्क हैं, उनको भी स्थानीय बच्चों के लिए भी खोला है ताकि लोग वहां पर जाके खेल सकें वो भले ही उन स्कूलों में नहीं पढ़ते हों ऐसे बच्चे जो आसपास के स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां उनके लिए खेलने की जगह नहीं है, वो अपने आसपास के स्कूलों में जहां खेल का मैदान उपलब्ध है, उसको भी वे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए भी बकायदा हमने योजना बनाई है। इसके साथ-साथ एक बड़ा वायदा जो स्कूलों की कमी है, टीचर्स की कमी है, फंड की कमी है, हमने पूरी कर दी। टीचर्स की कमी पूरी करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्कूल्स की बहुत कमी है, तो हमारी सरकार वर्तमान वित्त वर्ष में 236 नये स्कूल्स शुरू कर रही है इसके तहत 83 नई इमारतें बनाई जा रही हैं। उनका काम चल रहा है। इनमें से 20 का तो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है 25 की योजना बन चुकी है और 38 स्कूलों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। पिछले चार महीनों के दौरान इसमें काम हुआ है। इन 83 इमारतों में दोहरी पारियों में 166 स्कूल चलाएं जाएंगे इस तरह की योजना है साथ ही 70 ऐसे स्कूल चिन्हित किये गये

हैं जो अभी एक ही पाली में चल रहे हैं, लेकिन वहां पर छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनको डबल शिफ्ट करते हुए वहां पर बच्चों की पढ़ाई करायी जाएगी ताकि जो सुविधाएं हैं, वो मिल सकें, क्लास रूम में अधिक बच्चों का जो प्रेशर है, वो कम हो सके। इसके साथ-साथ प्राइवेट स्कूल शिक्षा में काफी सहयोग दे रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने काफी अच्छा योगदान दिया है लेकिन कुछ स्कूल इस तरह से एक्ट करते हैं, लोगों की शिकायतें हैं, बहुत शिकायतें आई हैं। कुछ स्कूल्स तो एक दम एजुकेशन माफिया की तरह से चलते हैं, कुछ कॉलेज माफिया की तरह से चलते हैं जो हमारे स्कूल्स कॉलेज ट्रांस्परेंसी से काम नहीं कर रहे, मनमाने तरीके से चल रहे हैं, जनता को एक तरह से लूटने का काम कर रहे, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक संशोधन हम दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम में लेकर आ रहे हैं और इसके तहत दाखिले के लिए और फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का काम किया है, लेकिन ये तो स्कूल शिक्षा की बात है।

अध्यक्ष महोदय इसके साथ-साथ इसके आगे क्या, हमने कहा skill oriented करेंगे। हम क्लास 9th से skill जोड़ेंगे बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ स्कूल से ही स्किल डवलपमैंट कैसे हो, इसके लिए 10+2 में दो सर्टिफिकेट दिये जायें एक उसकी एजुकेशन का और दूसरा उसके स्किल का। वो बच्चा जब प्लस टु करके निकलेगा तो उसके हाथ में दो सर्टिफिकेट होंगे, दो योग्यताएं लेकर निकलेगा, वो चाहे तो अपनी पढ़ाई आगे चला सकता है, अपनी एजुकेशन के सर्टिफिकेट के बेस पर, वो चाहे तो अपनी जिंदगी में रोजगार, नौकरी या इस तरह से जा सकता है अपने स्कील के सर्टिफिकेट के बेस पर जो उसने लर्न किया है उसके बेस पर वो अपना काम कर

इसके इसके अलावा स्किल में दक्षता की मांग उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र में बढ़ गई है। चारों तरफ से बढ़ गई है इसलिए हम स्किल डवलपमैंट के नये-नये पाठ्यक्रम प्रपोज कर रहे हैं, शुरू करवा रहे हैं सर्टिफिकेट के साथ-साथ, अभी सर्टिफिकेट कोर्स थे डिप्लोमा कोर्सीज, डिग्री लेवल के पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इसके साथ-साथ एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। क्योंकि अभी तक काफी बंटा हुआ है, टूरिज्म डिपार्टमैंट किसी स्किल का कोर्स कराता है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट किसी स्किल का कोर्स कराता है हमारा एजूकेशन डिपार्टमैंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, टैक्नीकल एजूकेशन डिपार्टमैंटस कुछ कोर्स कराते हैं। स्कूल एजूकेशन कुछ इसको लेकर चल रहा है इन सबको इंटिग्रेटिड करते हुए एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिल्ली में एक बड़ा नॉलेज-हब जिसको मैं कहता हूं स्किल एजूकेशन का हब बनाया जाएगा इसके लिए काम हो रहा है, हमारा विवेक विहार में एक सैंटर चल रहा है आप ही के विधान सभा क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास स्किल सैंटर सिंगापुर की गवर्नमैन्ट के साथ मिलके, हम कई और देशों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं, सिंगापुर गवर्नमेण्ट से भी बात कर रहे हैं और जौनापुर में एक सैंटर पहले से ही प्रस्तावित है, उसको भी तेजी से लागू करने की बात कर रहे हैं। तीन आई.टी.आई. और पांच नये पॉलीटैक्निक और खोलने का प्रस्ताव मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसके साथ-साथ प्रत्येक सरकारी पोलीटैक्नीक में डिप्लोमा कोर्स शुरू करते हुए व्यवसायिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू करते हुए प्रत्येक में 100-100 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए एस.आई.टी.ए. से मंजूरी पहले ही ली जा

चुकी है और यहां पर ग्रेज्युएट लेवल के कोर्स भी हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। तो एक तरह से जब हम स्किल एजूकेशन देंगे further learning का जो स्कोप है स्किल एजूकेशन की तरफ बच्चे जब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक further learning का स्कोप बंद है, उसका भी हम रास्ते खोल रहे हैं। कौशल विकास स्किल डवलपमैंट प्रोग्राम्स और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 310 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव है जो कि शिक्षा के बजट में शामिल है। सूरजमल विहार में आई.पी. यूनिवर्सिटी जी.जी.एस.आई.टी. यूनिवर्सिटी के दूसरे परिसर के निर्माण का काम 271 करोड़ रुपये की परियोजना के साथ चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज परिसर का निर्माण चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनस स्टीडीज का निर्माण 2016 तक पूरा हो जाएगा। हायर एजूकेशन तक पहुंचने के लिए पूरा जो हायर एजूकेशन का अभियान है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा का अभियान है, उसके कार्यक्रम को लागू करेंगे। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉलिजिज में जो टैक्नीकल इंस्टिटयूट हैं, उनमें कल हमने एन.एस.आई.टी. यूनिवर्सिटीज कार्यक्रम के समय भी कहा incubation centres बनाएंगे ताकि नई सोच को जगह मिल सके। फोर्ब्स मैगजीन का एक example मैंने कही पढ़ा था। उसमें बड़ा अच्छा incubation के लिए और इन सब के लिए नई सोच को जगह देने के लिए शिक्षा में नई सोच को कैसे जगह दें यूनिवर्सिटी में कैसे जगह दें उसका एक उसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है फोर्ब्स मैगजीन में - वर्ष 2001 या 2 में एक आर्टीकल था, उसमें लिखा हुआ था कि आज से 25 साल बाद का सबसे सफल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ और वो व्यक्ति आदमी 25

साल बाद क्या प्रोफैशन में सफल होगा वो प्रोफैशन अभी शुरू नहीं हुआ बहुत गम्भीर बात है। 25 साल के बाद का सबसे सफल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ और वो जो करके सफल होगा वो काम अभी शुरू नहीं हुआ वो अभी शुरू होना है और आज हम वही देख रहे हैं। दुनिया में सबसे सफलतम काम क्या है। आप देखिए फेसबुक, ट्वीटर ये सब चीजें और भी तमाम चीजें मैं किसी कम्पनी विशेष का नाम लेके ज्यादा वो नहीं करना चाहता। लेकिन दुनिया भर के innovative ideas ले ले के जो लड़के-लड़कियां आये हुए हैं, ये सारे कौन लोग हैं। 17 से 22 साल की उम्र में इन्होंने काम शुरू किया और 25 साल तक आते-आते दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में गिने जाने लगे दुनिया के कौने-कौने में आप इनके नाम को जानते हैं तो incubation को innovative ideas को जगह देके हम चाहते हैं कि दिल्ली के कॉलेजिज से दिल्ली के माहौल से कल मार्कजुगर बर्ग और कल इसी तरह के लोग यहीं से निकल कर जायें और दुनिया में नाम कमाएं। कल एन.एस.यू.आई.टी. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रस्ताव यह सदन पास कर चुका है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बाद जो सबसे बड़ी जरूरत है इंसान का स्वास्थ्य, उसपे आता हूं। चूंकि अगर शहर को खुशहाल बनाना है तो सिर्फ कंकरीट के structure से नहीं बनाया जा सकता शहर खुशहाल होगा, शहर विकास होगा, उसका पैमाना ये है कि वहां के रहने वाले लोग कितना पढ़े-लिखे हैं उनके रोजगार कैसे हैं साथ-साथ उनका स्वास्थ्य कैसा उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति कमजोर है तो इसके लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता

है। मैं वर्ष 2015-16 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल 4787 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें से 3138 करोड़ रुपये योजना व्यय के रूप में शामिल हैं ये 2014-15 के 2164 करोड़ रुपये की योजना व्यय से 45 फीसदी ज्यादा है। तो अध्यक्ष महोदय शिक्षा का बजट दोगुने से ज्यादा किया जा रहा है साथ-साथ स्वास्थ्य का बजट भी लगभग-लगभग डेढ़ गुणा किया जा रहा है ये भी एक ऐतिहासिक कदम है। health care के बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए हमारी सरकार सभी अस्पताल के निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से चला रही है, उनकी हमने पूरी समीक्षा की है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार काम करके देख रहे हैं कि पिछले 65 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में 10 हजार बिस्तर उपलब्ध कराये गये। स्वास्थ्य मंत्री ने सारी योजनाओं की समीक्षा की। एक-एक योजना की दिन-रात बैठकर समीक्षा करने के बाद ये देखा की पिछले 65 साल में महज 10 हजार से थोड़े ज्यादा बैड्स के मैडीकल फैस्लीटिज दिल्ली में उपलब्ध हुई हमारी सरकार इसको बहुत बड़े चैलेंज के रूप में लेती है। financial resources डेढ़ गुणा किया है जरूरत पड़ी तो और बढ़ाएंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली की जनता से और लेके आएंगे और इसके लिए योजना बनाई है कि अगले ढाई साल में 10 हजार बैड्स और बढ़ाए जाएंगे। इसमें नये अस्पताल भी शामिल हैं पुराने अस्पतालों का optimum use भी शामिल है। इस तरह से 10 हजार बैड्स अगले ढाई साल में बढ़ाए जायेंगे उसकी पूरी योजना पर काम होना शुरू हो गया है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस साल के अंत तक इस वित्त वर्ष के अंत तक करीब-करीब एक हजार बैड्स तो बढ़ चुके होंगे। सरकार महरौली, महीपालपुर, पीतम पुरा, मंडावली, फाजलपुर, गीता कॉलोनी, पांडव नगर, द्वारका में दिल्ली विकास

प्राधिकरण से जैसा मैंने कहा नए-नए प्लॉट खरीदने पड़ते है तो 10 नये प्लॉट खरीदने की योजना बना रही है ताकि स्वास्थ्य ढांचे में और बढ़ोत्तरी की जा सके। अगले 2 साल में 11 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने की योजना है। अगले दो साल में 11 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने और उनके उन्नयन की योजना है ताकि बिस्तरों की समीक्षा में क्षमता में चार हजार बिस्तर और जोड़े जा सकें। जो मैंने दस हजार का किया इसके लिए प्लॉट खरीदने के लिए मैं 210 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है। सरकार से बात कर रहे हैं अगर स्वास्थ्य सेवाओं में केन्द्र सरकार ने दे दिया तो ये 210 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सेवाओं के किसी दूसरे कार्यक्रम में लगेंगे। सरकार पूरी दिल्ली में एक और बड़ा इनीशियेटिव ले रही है। अभी तक लोगों का ईलाज कराने के लिए सुबह चार बजे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहां लाईन लगानी पड़ती है। फिर डॉक्टर साहब आयेंगे तो डॉक्टर देखेंगे, नम्बर लगा के। फिर टेस्ट होने के लिए अगले दिन की कोई डेट मिलती है आगे फिर डॉक्टर साहब से अगली कोई डेट मिलती है फिर रिपोर्ट कब आती है। सब प्रॉब्लम्स है इसमें और जो पी.एच.सीज है वहां उनका नेटवर्क नहीं हैं आपस में। छोटी-छोटी सुविधाएं पी.एच.सीज में हैं एक्जिीसटेन्सज पी.एच.सीज में, तो जो एक्जिीसटेन्स पी.एच.सीज है, जो डिस्पेन्सरीज हैं उनको और पुख्ता करके उनका नेटवर्किंग किया जाये ताकि एक दूसरे से उनको सहायता मिल सकें। फैसलिटीज की एक दूसरे से सहायता मिल सके। एक्सपर्टीज की सहायता मिल सके। इसके साथ एक हजार नये Mohalla Clinic its like neighbourhood clinic शुरू किये जाएंगे। नेवरहुड क्लिनीक लोगों की एक बहुत बड़ी जरूरत है। अभी तक लोग

पी.एच.सीज में जाने से पहले किसी न किसी नेवरहुड के क्लिनीक में जाते होंगे। अब नेवरहुड क्लिनीक जो है मोहल्ला क्लिनीक जो है, कई बार तो अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, कई बार वहां पर झोलाछाप मिल जाते हैं, कई बार पैसे लूट हो जाती है, पता नहीं, तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक हजार नये पूरी दिल्ली में नेवरहुड क्लीनिक करने का प्रस्ताव है जिनमें से पांच सौ नये क्लिनीक इसी साल खोले जाएंगे और वहां पर इसका लैब्स का इन सबका नेटवर्क तैयार करके वहां बेसिक बीमारियों को दिखाने से ले करके टेस्ट तक की सारी सुविधाएं वहां पर रहेंगी। वहां उसके नेटवर्क में रहेंगे। इसके लिए 125 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान हैं। मोलड़बन्द, मदनपुर खादर, फेस-1, फेस-2 में बिन्दापुर पॉकेट ब्लॉक शकरपुर, रोहिणी सेक्टर-4, रोहिणी सेक्टर-21 और साँवला घेरा में आठ औषधालय के भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। किडनी खराब होने से पीड़ित निर्धन रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान करने के लिए सरकार, सरकारी निजी भागीदारी पी.पी.पी. मॉडल के तहत राजीव गांधी सुपर स्पैशियेल्टी अस्पताल और लोक नायक अस्पताल में चालीस यूनिटें चालू कर चुकी है। 35 और यूनिट इसकी स्थापित करेंगी। इसके साथ-साथ कैट एम्बूलेन्स के मौजूदा बेड़े में 100 बुनियादी और 10 अत्याधुनिक मॉडल जीवन रक्षक एम्बूलेन्स गाड़ियां पी.पी.पी. मॉडल से जोड़ने का प्रस्ताव है। अभी 165 हैं, 165 को बढ़ाकर डेढ़ गुना करके लगभग-लगभग इसमें 110 और जोड़ा जाएगा। लोकनायक अस्पताल में नया अत्याधुनिक ट्रामा उपचार केन्द्र सरकार खोलने का प्रस्ताव रख रही है। इसमें विशेष रूप से खिलाड़ियों को क्योंकि जब हम खेल को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो खिलाड़ियों के ईलाज की विशेष

व्यवस्था भी जरूरी हैं। तो खेलों के दौरान घायल होने वाले खिलाड़ियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के विशेषज्ञ इसकी विशेषज्ञता पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें आपरेशन थियेटर सुविधाओं सहित 100 ट्रामा बिस्तरों की व्यवस्था होगी। 42 प्राईवेट अस्पतालों में ऑनलाईन निशुल्क बिस्तर सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। रैन बसेरों, झुग्गी-झोपड़ियों के बस्तियों की चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। एक और कार्यक्रम इन्द्रधनुष कवच के जरिये एक अभियान के रूप में दिल्ली के सभी बच्चों को टीकाकरण का काम किया जा रहा है। अभी दिल्ली के चालीस प्रतिशत बच्चे टीकाकरण की सुविधा से बाहर हैं। दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पंजीकरण की सुविधा से बाहर हैं। दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पंजीकरण एवं उपचार हेतु आम जनता के लिए व्यक्तिगत हेल्थ कार्ड जारी करने की योजना शुरू की जा रही है। इससे हर एक मरीज का स्वास्थ्य सम्बन्धी रिकार्ड उसके डिजीटल रिकार्ड में उसके पास में रहेगा। इससे वो किसी भी डॉक्टर के पास किसी भी अस्पताल में जाये तो उसकी हिस्ट्री और उसको क्या ट्रीटमेन्ट दिया गया है उस पूरा उसको एवेलेबल हो सकता है। दिल्ली के नागरिकों को परमार्थ क्लिनिक एवं औषधालयों के जरिये निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। सितम्बर, 2014 में रोहिणी में शुरू हुए 100 सीटों वाले डॉक्टर बी.एस. मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए केन्द्र सरकार और मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से जल्द से जल्द मंजूरी के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि अगले सत्र से ये वाले सेशन से यहां पर पहला बैच हम यहां शुरू कर सकें। ये कुछ प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए

सरकार ने खाद्य व्यापार प्रदाताओं को पंजीकरण के लिए एक सुविधा केन्द्र खोला है। ये मॉर्डन लैब फुड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिलावट होती है। अभी हम लोग जूझ रहे हैं कि किस खाने में क्या मिला हुआ है। उन सबके लिए भी मॉर्डन लैब सरकार प्रस्ताव कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ एक दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है परिवहन। एक बहुत बड़े चिन्तक हुए हैं एनरिक पनलोसा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोटेशन कही है मैं यहां आपके इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं "a developed country is not a place where poor have cars, it is where the rich use public transport." एक विकसित देश वो नहीं है जहां गरीब लोग भी कार से चलने लगें, विकसित देश वो हैं जहाँ अमीर और समृद्ध लोग भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए बसों में चलने लगें। लेकिन सक्षम और संभ्रात वर्ग के लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल तो तब करेंगे जब वो क्रेडबिल हों। उसके बस के आने की गारन्टी हों। उसमें जगह मिलने की गारन्टी हो। उसमें सुविधाएं हों। तो इसके लिए सरकार ने काफी स्टडी की है और जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की स्मार्ट नेस यहीं से शुरू होनी होगी। ऐसा मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूं। इसमें सार्वजनिक स्थानों का बंटवारा मतलब इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं कि ताकि लोग अपने सफर की योजना बना सकें यानी सब कुछ ऑनलाईन कर सकें। आप यहां बैठे हैं, आपको यहां से बाहर मेट्रो मिल जाएगी जिस मेट्रो स्टेशन पर आप उतरेंगे, उससे पांच मिनट पहले आप अपने मोबाईल पर देख लें कि यहां पर आने वाली बस जिस स्टाप पर मैं उतरने वाला हूं, अब उस बस स्टाप

पर कोई बस आने वाली है वो बस आपके मोबाईल पर आपको पता चल जाएगा कि पांच मिनट में दस मिनट में आने वाली है। वो ए.सी. बस आपको चाहिए तो ए.सी. बस कितनी देर में आएगी, ऑर्डनरी बस कितने देर में आएगी। उसमें कितनी सीटें खाली हैं। ये सब चीजें जो करने का प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय। इसी को स्मार्ट सिटी कहेंगे। और ये चीजें काफी हद तक की भी गयी है। ये शुरुआत की गयी थी, ये लम्बित पड़ी हैं योजना। इनको और रिफाईन करके और दिल्ली में व्यापक करके लगाने की योजना है। क्योंकि इन्टीग्रेटेड नहीं होगा। मैं मेट्रो से जाऊंगा, उसके बाद बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कार से मैं उतरूंगा तो ई-रिक्शा, आटो। आटो तक को आप मेट्रो में जाएं, बस में जाएं, आप आटो में जाएं। सबको इन्ट्रीग्रेटेड करने की योजना है। सबको एक बार इन्ट्रीग्रेटेड करेंगे और आने वाले समय में अभी उसको हम लोग वर्क आउट कर रहे हैं कि किस तरह से हो। सबको इन्ट्रीग्रेटेड फेयर करने की योजना है कि आप घर से निकलें, आपके पास टिकट हो। आपको जगह-जगह टिकट खरीदने की जरूरत न पड़े। आप उसी से मेट्रो में बैठ जाएं आप उसी से बस में बैठ जाए, आप उसी से आटो लेके निकल जाएं। ये सब भी योजना करना हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसमें पूरी दिल्ली में कैसे स्टडी करके लागू किया जाए, इस पर स्टडी पूरी चल रही है और ये सम्भव है, असम्भव चीज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, 2015-16 में परिवहन क्षेत्र के लिए कुल प्रस्तावित 5085 करोड़ रुपये हैं। मैं परिवहन क्षेत्र के लिए योजना बजट के रूप में 3695 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रख रहा हूं जो 2014-15 में व्यय की गयी राशि से तेईस फीसदी अधिक है। मैं निजी क्षेत्र की व्यापक वित्त व्यवस्था के

जरिए सड़क क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं। सड़कों के विकास, संचालन, रखरखाव में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक समुचित मॉडल सरकार तैयार कर रही है और जल्द ही इसको अमल में लाने का काम शुरू हो जाएगा। सरकार 2016 के अन्त तक डी.टी.सी. के तहत 1380 से.मी. लो फ्लोर बसें, और पांच सौ मिडी बसें खरीदेंगी और क्लस्टर स्कीम के अन्तर्गत एक हजार नई बसें जुड़ेंगीं। हम यात्रियों को अलग, जैसा मैंने कहा ए.सी., नान ए.सी., कम्फर्ट के हिसाब से, आप सम्भ्रान्त वर्ग को भी उसकी कार से बाहर निकाल के बस में लाना चाहते हैं तो आपको बसों की उपलब्धता और स्तर डायनमिक रखना पड़ेगा। उसमें डायनमिक लाना पड़ेगा। तो सरकार अलग-अलग विशेषताओं वाली दस हजार बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी कलस्टर योजना के तहत निजी क्षेत्र से लाने का प्रस्ताव कर रही हैं। जिसके लिए हमें बस डिपो बनाने के वास्ते डी.डी.ए. से करीब पांच सौ एकड़ जमीन प्राप्त करनी होगी। हमारी सरकार बस डिपो के लिए नि:शुल्क भूमि का आवंटन के वास्ते शहरी विकास मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही है और हमें उम्मीद है कि वहां से सकारात्मक जवाब मिलेगा। हम बसों के लिए निर्धारित विशेष लेन बनाने के भी प्रस्ताव रखेंगे ताकि बसों की आवाजाही जब उतनी संख्या में बसेज हैं, तो लोग बसों में चलना तेजी से शुरू करेंगे तो फिर बसों की आवाजाही निर्बाधित और सुचारू रूप से चल सके। एन.सी.आर. में प्रचालन के लिए 5500 नये आटो परमिट जारी किए जा चुके हैं। द्वारका, रोहिणी सेक्टर 28 और नरेला में नये बस टर्मिनल बनाये जाएंगे। इन टर्मिनलों में बस यात्रियों, विशेषकर महिला बस यात्रियों के लिए

सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करीब 1200 नये बस क्यू शेल्टर बनाने का भी प्रस्ताव हैं। मेट्रो परियोजना के फेस 3 में नये कॉरिडोर बनाये जा रहे हैं जिससे दिल्ली में 117.57 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। फेज 3 के दो कॉरिडोर चालू वित्त वर्ष में पूरे होने की आशा हैं। केन्द्रीय सचिवालय से आई.टी.ओ. तक मेट्रो लाईन जून, 2015 में चालू कर दी गयी है और कश्मीरी गेट तक उसका विस्तार मार्च, 2016 तक पूरा हो जाएगा। जहांगीर पुरी से बादली कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान 64 मेट्रो फीडर रूट पर 304 नई मिनी बसें शुरू की जाएंगी मेट्रो फीडर के लिए। मैं चालू वित्त वर्ष में डी.एम.आर.सी. के लिए 1217 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूं। वारापुला नाला पर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से आई.एन.ए. अरविन्दो मार्ग का दूसरा चरण चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण के दौरान सराय काले खां से मयूर विहार तक निर्माण कार्य इसी वित्त वर्ष में शुरू किया जा चुका है। विकासपुरी से वजीराबाद कोरिडोर की कंपोजिट परियोजना चालू वित्त वर्ष में पूरी की जाएगी जिसके अन्तर्गत एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर शामिल है। इससे आउटर रिंग रोड पर 20 किलोमीटर मार्ग सिग्नल फ्री हो जाएगा। सिगनेचर ब्रिज परियोजना का लम्बे समय से अटका हुआ निर्माण कार्य 75 परसेन्ट पूरा हो गया है और यह पुल अब जून, 2016 में जाकर खोल दिया जाएगा। बाहरी रिंग रोड पर राव तुला राम जंक्शन पर कर्नल फ्लाईओवर का निर्माण और बी.जे. मार्ग रिंग रोड पर अन्डरपास की परियोजना 314 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गयी है। इसे अगले साल तक पूरा किया जाएगा और जैसा कि

मैंने कहा कि लास्ट माईल कनेक्टविटी महिला सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को यूज करने के प्वाइन्ट से इम्पोरटेन्ट है। तो लास्ट माई कनेक्टविटी कायम करने के लिए हम दिल्ली में ई रिक्शा को बढ़ावा दे रहे हैं। ई-रिक्शा के लिए ई-रिक्शा चालकों की ट्रेनिंग के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इन शिविरों में करीब 24000 ड्राइवरों का पंजीकरण कर लिया गया है। ई-रिक्शा के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनायी गयी है। ये वाहन पर्यावरण के अनुकूल है। इसे देखते हुए ई-रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा की खरीद पर 15 हजार रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक परिवहन को एकत्रित करने और उसके बारे में इन्फोरमेशन गैदर करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि यात्री सूचना प्रणाली काफी हद तक इन्टीग्रेटेड बनाकर इसको उपलब्ध कराया जाएगा। अब मैं दिल्ली के एक और पहलू पर आता हूं जिसकी अपेक्षा हमारी सरकार से भी लोगों को बहुत है और साथ-साथ दिल्ली को बहुत बड़ी जरूरत है, वो है महिला सशक्तिकरण महिला सुरक्षा। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिससे दिल्ली की सिर्फ आधी नहीं दिल्ली की सारी की सारी जनता प्रभावित हुई। महिला सुरक्षा हमारी सरकार की कार्य सूची में सबसे टॉप लिस्ट में शामिल है। हम दिल्ली में महिला की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरत है, वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में बस यात्री विशेषकर महिला यात्री यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करें, हम सभी डी.टी.सी. बसों में और कलस्टर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने का प्रस्ताव रखते हैं। डी.टी.सी. की 200 बसों में सी.सी.टी.वी.

कैमरा इसके लिए लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने डी.टी.सी. और सभी कलस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का भी फैसला लिया है ताकि अपराध समाप्त हों और महिला यात्री सुरक्षित और संरक्षित महसूस करके यात्रा कर सकें। ये मार्शल होम गार्ड और सिविल डिफेंस से लिए जा रहे हैं। यह अप्रिय घटनाओं का रोकने विशेषकर सार्वजनिक बसों में महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए इनको अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली सरकार ने टैक्सियों ऑटो सहित सभी सार्वजनिक वाहनों में जी.पी.एस. लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि वाहन की स्थिति का पता लगाया जा सके और उसको जैसा मैंने कहा कि इन्टीग्रेटेड रूप से भी चलाया जा सकें इस कार्य के लिए हम चालू वित्त वर्ष में योजना निधि के तहत 160 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रख रहे हैं। सभी यात्री सेवा वाहन चालकों और संवाहकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वह अपने वाहन के वार्षिक सड़क उपयुक्तता और निरीक्षण नवीकरण के समय महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में कार्यक्रमों में हिस्सा लें। उनको स्पेशल ट्रेनिंग विमिन सेक्युरिटी के प्वाइन्ट ऑफ व्यू से दी जा रही है। शहर में एक और काम सरकार कर रही है, दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधाओं की भारी कमी है तो निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ सरकार 6 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव आपके सम्मुख रख रही है।

अध्यक्ष जी, एक और योजना जो शिक्षा में हमने लागू की है जहां महिला के संदर्भ में इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है वो है शिक्षा गारन्टी योजना यह दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी योजना है, जिसका जिक्र मैं शिक्षा

के उसमें भी करना भूल गया ये नयी शिक्षा ऋण गारन्टी योजना है, इसके तहत 10 लाख रुपये तक का लोन हायर एजूकेशन के लिए दिया जाएगा और जब मैं हायर एजूकेशन की बात कर रहा हूं तो उसमें पहली बार इस देश में लागू हो रही है अभी तक किसी भी बच्चे को हायर एजूकेशन लेना है तो उसको अपने परिवार की संपत्ति की या जो भी उसके पास है उसकी गारन्टी लेके अगर कुछ है तो लोन मिलता था नहीं। तो लोन नहीं मिलता था। पहली बार दिल्ली सरकार ने यह योजना शुरू की है कि दिल्ली का कोई भी बच्चा अब पैसे की कमी की वजह से हायर एजूकेशन से वंचित नहीं रहेगा। हरेक बच्चा जिसको 10 लाख रुपये तक की लोन की गारन्टी सरकार देगी और इस लोन में उसके किताबों का, कम्प्यूटर का वो खर्चे भी शामिल है ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की फीस का नहीं है और इसमें पहली बार हमने आई.टी.आई. और पोलीटेक्नीक संस्थाओं को शामिल किया है कि गरीब बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने उनके लिए चालीस पचास हजार रुपये की फीस अगर नहीं होती है जो बहुत ज्यादा होती है और बच्चे जिस बैकग्राउण्ड से आते हैं और अगर वो लोन लेना चाहे और अपनी पढ़ाई के लिए कुछ टूल्स लेना चाहे तो किताबें भी लेना चाहे तो वहां भी उनको लोन मिलेगा। आई.टी.आई. और पोलीटेक्नीक तक में हायर एजूकेशन के लिए लोन मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली के एजूकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रिफार्म के तहत शुरू की है। इससे दिल्ली के हर बच्चे को जो हायर एजूकेशन का सपना देखता है, उनको भी मिलेगा। अगर महिलाओं के संदर्भ में मैं कहूं तो महिलाओं के लिए एक विशेष बात इस योजना में ये है कि महिलाओं को, लड़कियों को इसमें जो रेट आफ इन्टरेस्ट है। वो एक

परसेन्ट कम है। सामान्य से एक परसेन्ट कम से ब्याज कम लगेगा। सरकार स्लम और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में क्रेच सुविधा प्रदान करने के लिए योजना बना रही है कि इसके लिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 नये क्रेच शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा संचालित गृह संस्थानों में रह रहे करीब 1200 बच्चों को स्किल डवलपमेन्ट और रोजगार के लिए कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के प्रति ठोस कदम उठा रही है। महिलाओं, माताओं को सामुदायिक सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और 6 वर्ष तक आयु के छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें आंगनवाड़ी केन्द्र अधिक खुलें अभी तक आंगनवाड़ी केन्द्र जो है वो किसी गली में किसी के घर में एक छोटे से दो कमरे का घर मैंने तो स्वयं जाकर देखे है, इन्सपेक्शन भी किया है। दो कमरों का घर किसी व्यक्ति का गरीब का वो थोड़े से पैसों के लिए आधे दिन के लिए उसको किराये पर दे देता है। ड्राईंग रूम को किराये पर दे देता है। वहां पर आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहा है। बड़ी अजीब अजीब स्थितियों में चल रहे हैं। कुछ अच्छे भी चल रहे हैं लेकिन अधिकतर आंगनवाड़ी बड़ी अजीब अजीब स्थितियों में चल रहे हैं। तो उन आंगनवाड़ियों को अधिक खुले स्थानों पर स्थानान्तरित करने के लिए उनके रेन्ट की क्षमता बढ़ायी जा रही है ताकि ज्यादा पैसे के रेन्ट पर लिया जा सके ताकि बेहतर सुविधा मिल सकें और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके मानदेय में भी बढ़ोत्तरी करने का भी सरकार प्रस्ताव रख रही है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना के तहत करीब

पांच लाख व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मैं वर्ष 2015-2016 के बजट में 927 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अन्तर्गत पारदर्शी और सक्षम क्रियान्वयन के तहत काम करते हुए वृद्धावस्था पेंशन विभिन्न दृष्टि से सक्षम व्यक्तियों के वित्तीय सहायता, पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता के कार्यक्रम शामिल है 5 लाख व्यक्तियों के लिए 927 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव रखता हूं। नये वृद्धावस्था आश्रम बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहित की गई है। पहले चरण में चालू वित्त वर्ष के दौरान कांतिनगर, चितरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार और छतरपुर में नए वृद्धावस्था आश्रम का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। सीमांत और उपेक्षित समूहों के कल्याण के अन्तर्गत कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किंग्सवे कैम्प में और कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्राओं के लिए तिमारपुर में किया जाएगा। मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए नरेला में एक समेकित परिसर के निर्माण की बड़ी परियोजना का प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहा हूं। दिल्ली के एक और सोशल वेलफेयर स्कीम दिल्ली सरकार ने लागू की कि दिल्ली में बहुत सारे दिल्ली पुलिस के सिपाही अपना फर्ज अदा करते हुए ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए और बाद में उनके परिवार को कोई पूछताछ नहीं होती थी, उनकी कोई पूछ नहीं होती थी। तो दिल्ली सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान भी और इस बार भी यह तय किया है कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिस में या होम गार्ड में, सिविल डिफेंस में या फिर रक्षा सैनिक या अर्ध सैनिक बलों के सदस्य है, वो जब अपने फर्ज को अंजाम देते हुए ड्यूटी निभाते

हुए अगर शहीद होते हैं तो उनके परिवार को तुरन्त मदद के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह कहते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जब अपना फर्ज अदा करते हुए शहीद होता है तो उसमें राष्ट्र को बचाने में राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान दिया है, उसकी भरपाई, उसकी अदायगी कभी नहीं की जा सकती। उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अनमोल है, अद्वितीय है, लेकिन उसके बावजूद अर्थव्यवस्था के रूप में उसके परिवार की तुरन्त मदद हो सके, उसकी जरूरतें तुरन्त पूरी हो सकें, इसलिए एक छोटी सी सहायता राशि उनके परिवार के लोगों को देने का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष भी है।

सरकार ने मौसम व जलवायु संबंधी कारणों से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया है। अभी तक तो दिल्ली में ये सवाल उठता था, मैंने सुना था पिछली बार पिछली मुख्यमंत्री जी का बयान, अच्छा ! दिल्ली में खेत भी हैं। ये तो हमें पता ही नहीं, दिल्ली में किसान भी हैं, ये तो हमें पता ही नहीं। ये सरकार जानती है कि दिल्ली में खेत भी हैं, दिल्ली में किसान भी हैं और जब वो किसान पीड़ित होता है, किसी भी कारण से हो तो उसकी पीड़ा को भी सरकार समझती है। इसीलिए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ तो सवाल ये भी है कि आम तौर पर जब योजनायें घोषित होती हैं तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कई साल लग जाते हैं। मैं स्वयं मैं जिस क्षेत्र को रिपरजेंट करता हूं पडपड़ गंज विधान सभा क्षेत्र, मैंने देखा है वहां दो साल पहले कोई बाढ़ आई थी उसके चैक 5-5 हजार रुपये के 2-2 हजार रुपये के वहां जिला कार्यालय से जिला अधिकारी कार्यालय से

मुझे बताया गया था 2 साल - 3 साल से उन्होंने कहा कि साहब चैक बंटने हैं, आप आजाइएगा तो हमने इसको तेजी दिखाते हुए सभी चैकस को बंटवाने का काम शुरू किया है। बड़ी दिक्कत है इसमें भी। दस हजार चैकस से ज्यादा चैकस बांटे जाने है दस हजार चैकस आर.बी.आई. से लेने के लिए भी विशेष अनुरोध करना पड़ रहा है लेकिन हमने किया है और उनको चैकस अब दिये जा रहे हैं तेजी लाये हैं इस काम में।

अध्यक्ष जी अब थोड़ा सा श्रमिक संगठनों के बारे में, श्रमिकों की स्थिति के बारे में क्योंकि श्रमिक दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। सारा ताना बाना दिल्ली का चलने का उसी के आधार पर निर्भर है। विशेष रूप से जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों से वंचित हैं। हमारी कुल श्रम शक्ति में भागीदारी बहुत है। तो हम समूची दिल्ली में श्रमिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना के जरिये असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के जरिये इन केन्द्रों का पंजीकरण शुरू करेंगे और ये केन्द्र सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करते हुए श्रमिकों के पंजीकरण के अलावा भी विभिन्न श्रमिक लाभ प्रदान करने में श्रमिकों का मार्गदर्शन करेंगे। निर्माण संस्थाओं और उनके परिवारों को न्यूनतम अधिसूचित दिहाड़ी का भुगतान हो और बेहतर कल्याण सुविधायें सुनिश्चित हों और इनके लिए सरकार श्रमिक विकास मिशन शुरू कर रही है। श्रमिकों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी मिनीमम वेजिज जो एक्ट है उसमें वो बहुत वीक एक्ट है। मिनीमम वेजिज एक्ट में अगर कोई व्यक्ति किसी श्रमिक को मिनीमम वेजिज एक्ट के तहत भुगतान नहीं कर रहा है तो उसमें सजा में सख्ती नहीं है। सरकार आने वाले समय में सदन में

कानून में संशोधन प्रस्तुत करेगी और इसके लिए सख्ती का भी और सजाओं को और सख्त करने का प्रावधान होगा। जो व्यक्ति श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं देगा या मानदण्डों के हिसाब से वेतन नहीं देगा, उसके लिए तुरंत और सख्त सजा का प्रावधान कानून में लेकर आयेंगे। इसके साथ-साथ जब श्रमिकों की बात आती है एक और महत्वपूर्ण शब्द है जो श्रमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो है मजीठिया वेतन आयोग। हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी यहां खड़े हुए हैं उनमें मैं स्वयं भी मीडिया से जुड़ा रहा हूं। बहुत पीड़ा है, पत्रकारों को भी ठीक से तनख्वाह नहीं मिलती। सारी दुनिया की खबर करने वाले लोगों की अपनी हालत भी खराब है। बहुत सारे मीडिया संगठन वहां मानकों के हिसाब से तनख्वाह नहीं देते हैं। इसके लिए मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें हैं और सरकार मजीठिया वेतन आयोग को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए कटिबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, और....एक और कल्याण योजना है गरीबों के लिए बनी है खाद्य आपूर्ति सुरक्षा योजना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 65 लाख लाभार्थी इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमने एक सफल प्रयोग किया कि इसमें चोरी बहुत होती थी। राशन की चोरी दिल्ली का एक बहुत बड़ा गेम है राशन की चोरी को रोकने के लिए राशन की दुकानों में चोरी रोकने के लिए हमने 42 दुकानों में एक प्रयोग किया और वहां प्वाइंट आफ सेल डिवाइस लगवाई जिसमें इसको आधार कार्ड से जोड़कर जो राशन लेने वाले व्यक्ति हैं जो राशनकार्डधारी है, उसका बायोमैट्रिक डाटा एक तरह से उपलब्ध हो गया और उसके बेस पर एक डिवाइस तैयार किया और वहां

से फिर उसके डिटेल लेकर उसके डिटेल मेच करके राशन बांटना शुरू किया। इससे चोरी बड़े पैमाने पर रुकी। इससे बड़ा फायदा हुआ। बहुत सफल प्रयोग रहा। अब सरकार दिल्ली की सारी दुकानों पर ये ई.ओ.एस. डिवाइस के जरिये राशन का वितरण शुरू करायेगी ताकि इसमें बेईमानी खत्म हो। इसके बाद बेइमानी की सम्भावनायें बहुत नगण्य रह जायेंगी।

एक और, दिल्ली की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है पानी और सीवरेज। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक बहुत बड़ा वादा दिल्ली के लोगों से किया था पानी सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। पीने का पानी राजा के लिए भी रंक के लिए भी। अभी नेटवर्क में बहुत खामियां हैं। बहुत बड़े हिस्से तक नेटवर्क नहीं पहुंचा है और उसके बावजूद जहां जहां पहुंचा है और जहां जहां लोगों ने मीटर कनैक्शन लिये हैं, वहां 20 हजार लीटर पानी परिवारों को ठीक से मिलने लगा है मुफ्त में और इसका फायदा दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी को मिल रहा है। अभी दिल्ली की 800 से ज्यादा कॉलोनियां अनधिकृत कॉलोनियां पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं। हम तीन साल में समयबद्ध रूप से एक दम टाइम बाउंड मैनेजमेंट आधारण यहां पानी की पाइप लाइन बिछाने का काम करेंगे और इसमें 250 कॉलोनियों को कोशिश करेंगे कि इस साल के अंत तक पानी की पाइप लाइन से जोड़ें। बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए ट्रीटेड वाटर जो सीवेज वाटर है, उसको भी हम ट्रीट करके मल्टीपरपज के लिए यूज करना चाहते हैं। सीवर को भी प्लांट यहां लगाये गये हैं। अभी कोशिश ये है कि 410 एम.जी.डी. ट्रीटेड वाटर हमारे पास में उपलब्ध होता है। उसमें से 150 एम.जी.डी. ही काम में लाया जा रहा है। होर्टिकलचर

में, गाड़ियों की धुलाई में तरह तरह के काम में 150 एम.जी.डी. ही लाया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 410 का 410 और हमारे पास में क्षमता जो है वो 700 एम.जी.डी. पानी को ट्रीट करने की है तो 700 एम.जी.डी. ट्रीट होने लगे और अभी कुल 410 प्रोडयूस हो रहा है ये सब का सब रिसाइकिल होने लगे, यूज होने लगे तो पानी की जो साफ पानी की मांग है उस पर दबाव कम होगा और घरों में पीने का पानी पहुंचाया जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 4 महीने में काफी सराहनीय काम किया है। बोर्ड ने द्वारका और बवाना में नये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कर दिये हैं जो बहुत पहले से लम्बित थे। द्वारका की जो उप नगरी है उसको दिल्ली विकास प्राधिकरण चला रहा था। इस जलापूर्ति को दिल्ली जल बोर्ड ने अपने हाथों में ले लिया है और वहां के 4 कमांड टैंक द्वारका और बवाना के और अनेकों यू.जी.आर.एस. के चालू हो जाने से कई नई कॉलोनियों में पानी अब पहुंचने लगा है। अनधिकृत कॉलोनियों में कई जगह पाइप लाइन बिछाई गई। सीवर लाइन बिछाई गई लेकिन लोग कनैक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां कनैक्शन महंगा था। तो उसको एक योजना के तहत विकास के लिए जो डेवलपमेंट चार्ज लिये जा रहे थे, वहां रहने वाले लोगों की क्षमता से बहुत अधिक थे। इसलिए इस योजना के तहत टाइम बाउंड योजना के तहत उसको कम किया जा रहा है। 440 पानी के कनैक्शन के विकास शुल्क को 440 से घटाते हुए 100 रुपये किया गया और 200 वर्गमीटर के आकार तक के लिए सीवर कनैक्शन का चार्ज 494 रुपये प्रति वर्ग से घटाकर 100 रुपये किया गया। उम्मीद है कि इससे काफी लोग सीवर और वाटर के कनैक्शन लेंगे और अनधिकृत कनैक्शन को नियमित करने का शुल्क 18 हजार रुपये से घटाकर 3300 रुपये कर दिया

गया है। इसके साथ-साथ जहां-जहां पानी के टैंकर पर लोग निर्भर हैं, वहां टैंकर माफिया से दुखी हैं। तो टैंकर माफिया को जी.पी.एस. के जरिए, वाटर सेंसर्स के जरिए हमने एक वेबसाइट से एटेच कर दिया है और अब आप यहां बैठकर, घर बैठे हुए कहीं भी देख सकते हैं कि किस इलाके में आर्डर किया गया है और टैंकर इस वक्त कहां है। खाली है तो कहां है, पानी लिया है तो कहां है। पूरी दिल्ली में टैंकरस की मेपिंग आन-लाइन हो गई है। अब टैंकरस इधर से उधर नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ा काम किया है।

अध्यक्ष जी अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज का काम वाटर लाइन बिछाने का काम डेवलपमेंट का काम इस सब काम के लिए हम डिसेंटरलाइजड माडल ला रहे हैं। क्योंकि अभी एक जगह से सीवेज पानी लीजिए पानी कहीं लेकर जाइये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, फिर वो यूज होगा फिर उसका सीवेज कहीं जाएगा फिर वो ट्रीट होगा फिर उसका पानी कहीं आयेगा फिर ये पाइप लाइनस में ही घूमता रहता है। तो इसको लोकलाइज कर रहे हैं। डिसेंटरलाइज कर रहे हैं और इसको नए कई सारे माडलस हैं देशभर में, उन माडलस के आधार पर। एक बार वे माडल आगे बढ़ जायेंगे तो हमें पूरा यकीन है दिल्ली की अन-अथोराइजड कॉलोनीज में सीवर, पानी के पाइप लाइन बिछाने का काम बहुत तेजी से चलने लगेगा। इसके लिए 10, कॉलोनियों में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जन जल प्रबंधन योजना के नाम से एक योजना शुरू की है।

अध्यक्ष महोदय, पानी की बात करते हैं तो दिल्ली में यमुना की बात करनी जरूरी है। यमुना में प्रदूषण कम करना और इस नदी का जीर्णोद्धार

करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से है, इसके लिए अभी तक कवर न किये गये क्षेत्रों में सीवर सेवायें लगातार प्रदान करना, नजफगढ़ नाले और सपलीमेंटरी वाले वाटर वेस्ट का फलो रोकने के लिए 3566 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी योजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत 15 नये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 3 नये एस.टी.पी. पम्पिंग स्टेशनस और पेरीफेरल नेटवर्क सीवर की स्थापना इसमें शामिल है। यमुना नदी में करीब 70 फीसदी प्रदूषण इन नालों के कारण होता है। इसलिए ये परियोजना यमुना नदी में प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण होगी और इसको 2 साल की अवधि में अवश्य पूरा कर लिया जाएगा। इससे यमुना नदी में जीर्णोद्धार और इसको स्वच्छ बनाने में सफलता मिलेगी। यमुना नदी के प्रदूषण में कमी लाने के लिए नजफगढ़ और सपलीमेंटरी और शाहदरा नालों के साथ में इंटरसेपटर सीवर लाइन बिछाने की योजना के काम में तेजी लाई जा रही है। परियोजना के 6 पैकेज में से 3 आंशिक रूप से चालू हो गये हैं और शेष अगले एक साल में चालू हो जायेंगे। गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने के लिए नियर-बाई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने के बाद यमुना में लाया जायेगा। छह नये एस.टी.पी. के चालू हो जाने से जो हमारी क्षमता है वो 590 एम.जी.डी. से बढ़कर 684 एम.जी.डी. हो गई है। ओखला, कोण्डली और रिठाला के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटस के पुनरस्थापन की योजना बनाई गई है। यमुना को लेकर एक बड़ा कमिटमेंट हमारा ये है अध्यक्ष महोदय, कि इसकी हम पूरी सफाई करेंगे। इसके पूरे सौंदर्यकरण की योजना बनाई है और इसकी सफाई व सौंदर्यकरण की योजना के बाद समय लगेगा लेकिन अगले कुछ साल में और 5 साल खत्म

होने से पहले-पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। इसकी पूरी सौन्दर्यीकरण की योजना बनाई गई है और इस सफाई और सौन्दर्यीकरण की योजना के बाद इसमें समय लगेगा लेकिन अगले कुछ साल में और पांच साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। ऐसा साफ कर देंगे। यमुना को इतना साफ कर देंगे कि यहाँ लोग पिकनिक मनाने आ सकें और यहाँ बोटिंग करने आ सकें और लोग गर्व करें कि ये हमारी नदी है राज्य की हमारे गर्व की नदी है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी ऊर्जा निर्भरता में कमी लाने के लिए ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना शुरू की है। इसके लिए बोर्ड गैस आधारित बिजली सौर-ऊर्जा और पन-बिजली पैदा करने के लिए कार्य कर रहा है और लक्ष्य रखा गया है कि विभिन्न संयंत्रों से गैस आधारित बिजली का उत्पादन बढ़ाकर प्रतिदिन एक लाख यूनिट किया जाए। जब ये सारे शुरू हो जाएंगे तो इसपे पी.पी.पी. मॉडल से ऊर्जा पैदा करने का काम शुरू किया जाएगा यथासंभव पन-बिजली पैदा करने की संभावनाओं को भी तलाश कर रहे हैं। नागरिकों द्वारा सेल्फ मीटर रीडिंग और बिल तैयार करने और अन्य सेवाओं के लिए मोबाईल एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं ई-कनेक्शन मॉडल पर तेजी से काम हो रहा है ताकि नागरिक बिना किसी परेशानी के अपने कंप्यूटर या मोबाईल फोन के जरिए एक बार में ही जल और सीवर कनेक्शन इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त

कर सकें ये एम. गवर्नेन्स की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दयालपुर क्षेत्र के लिए 2015-16 में 1468 करोड़ रुपये के योजना बजट का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सस्ते मकान सभी के लिए विशेषकर गरीब और कमजोरों के लिए मकान एक बहुत बड़ा सपना है। हम स्लम बस्तियों में रहने वाले निर्धनों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। करीब 23000 ई.डब्लू.एस. मकान पहले ही बनाये जा चुके हैं और करीब 29000 हजार मकान भी निर्माण के अलग-अलग चरण में हैं। इन मकानों के आवंटन में पिछले कई वर्षों में लगातार लापरवाही बरती गई है। कई मकानों की कंडीशन रिद्रियेट हुई है मैं खुद देख के आया हूँ तो इनके आवंटन के बारे में कोई नीति, क्योंकि तारीख ही तय नहीं होती कि किस तारीख तक की झुग्गियों को वहां लेके बसाया जाए, फिर छूट जाएंगी वहाँ कैसे बसाया जाए, दूर-दूर से लाकर बसाया जाए या लोकल बसाया जाए बहुत कन्फयूज्ड स्थिति थी तो एक बहुत स्पष्ट नीति बना के इसकी अलग से घोषणा करेंगे। हमारा विश्वास है कि स्लम पुनर्विकास की जो हमारी नीति है, वह व्यावहारिक व मानवीय होगी और इसको तुरन्त लागू कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का प्रस्ताव है कि स्लम पुर्नविकास कार्यक्रम की सार्थक शुरुआत करने के लिए उपलब्ध मकानों और रिक्त स्थानों का इस्तेमाल किया जाए। इस दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारत सरकार की यू.डी. मिनिस्ट्री और निजी विकास डेवल्पर्स सहित प्राईवेट डेवल्पर्स सहित तमाम पक्षों के साथ मिलकर एकजुटता के साथ प्रयास करेंगे और प्रयास होगा स्लम निवासियों को यथासंभव उनके काम करने के स्थान, रिहायशी स्थान वहीं पर उपलब्ध

हों जहां पर वो काम कर रहे हैं जो अगर उनको 20-25 किलोमीटर दूर जाकर बसाएंगे तो कोई जाने वाला नहीं है। बार-बार इन योजनाओं की असफलता का कारण ये है कि हम उनको 20-25 मिलोमीटर दूर ले जाकर कहीं बाहर बसाना चाहते हैं। वो योजनाएं सफल नहीं हो सकतीं। हमारी सरकार इस तथ्य से वाकिफ है। महोदय, एक और महत्वपूर्ण चीज रख रहा हूँ मैं आपके सामने कि दिल्ली का विस्तार तेजी से हो रहा है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आसपास के शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है और उसकी वजह से दिल्ली में वाहनों की भीड़ बहुत बढ़ रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहन एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले वाहन लगातार दिल्ली से होकर गुजरते हैं तो इस बारे में हम भारत सरकार के साथ बात कर रहे हैं और वाहनों की भीड़भाड़ को दूर करने के लिए पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेस वे रीजनल रेपिड ट्रेन प्रणाली, मेट्रो फेज-3 और चहुँमुखी विकास योजनाओं सड़कों में सुधार और ढांचागत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए विभिन्न उपलब्ध नीति विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। एक चीज और जो सरकार के एजेंडे में है कि 45 पुनर्वास कॉलोनियों के निवासी कई दशकों से अपने लीजहोल्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं। अपने राइट्स के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमने डयूसीप की मीटिंग में फैसला लेकर ये तय किया है कि उनको फ्रीहोल्ड जो उनके राइट्स व्यावहारिक स्वरूप लेकर दिये जाएं। अगर किसी आदमी के पास 12 मीटर, 15 मीटर या 18 मीटर का प्लॉट मिला है तो अभी शायद उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो तीन-तीन चार-चार लाख रुपये देकर अपना फ्रीहोल्ड करा सके इसलिए सरकार ने उनके जो जिस तरह के रिसेटलमेंट कॉलोनी में रहने

वाले लोग हैं, उनके मकान हैं, वहाँ पर उनके कानूनी वारिसों को दस हजार रुपये प्रति वर्ग और अन्य लोगों को जिन्होंने रीसेल में खरीदे हैं, उनके पचास हजार रुपये प्रति वर्ग की दर से फ्री होल्ड देने का प्रस्ताव किया गया है। इससे उन्हें वहाँ बेहद मदद बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी और अतिरिक्त शोषण से, उनको मुक्ति मिलेगी। अनॉथराइज कॉलोनी irregular colonies के निवासियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, सदन के समक्ष रखा था। योजना है कि छह कॉलोनी को पायलट के रूप में एक बार शुरू कर लिया जाए बहुत जल्द अब आने वाले समय में ये हो सकेगा कि हम छह कॉलोनीज का रजिस्ट्रेशन करें उनकी बाउंड्रीज मार्क करके शुरू करवा दें। नगर निगम को उसके लेआउट प्लान के लिए दे दें और वहाँ से फिर डी.डी.ए. के पास उसके लैंड यूज के लिए चला जाए और हमारी जिम्मेदारी क्योंकि उसकी बाउंड्री फिक्स करना है बाउंड्री फिक्स करके वहाँ के रहने वाले लोगों की रजिस्ट्री अगर शुरू हो जाए तो लोग रजिस्ट्री करा सकते हैं लोग अपने मकान को रजिस्ट्री के बेस पर लोन भी ले सकते हैं। ये सब सुविधाएं वहाँ एक बार ये शुरू हो जाए तो इसके बाद फिर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को हमें रेगूलर करना होगा। इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए इनको नियमित करने और इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की देखरेख में एक टी.एस.एम. सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है ताकि इन कॉलोनियों की सीमाओं का निर्धारण किया जा सके उसपर काम चल रहा है। दिल्ली में भविष्य में अवैध निर्माण को रोकने के लिए जी.एस.डी.एल. निर्मित जी.एस.डी.एल. जो है वो नियमित

अंतराल पर सेटेलाइट पिक्चर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट को प्रदान करेगा इसकी पॉलिसी बनाई गई है और इसमें नये अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण की जो रूपरेखा है वो स्पष्ट रूप से चिन्हित करके दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग ऐसा वहाँ पर करते हैं, इसके लिए योजना बनाई हैं। शहरी विकास के अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं 2015-16 में आवास और शहरी विकास के क्षेत्र के लिए 1793 करोड़ रुपये की योजना व्यय का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मैं 2015-16 में 950 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ जो 2014-15 में किये गये व्यय की तुलना में करीब 32 प्रतिशत है। बिजली एक और बहुत बड़ा मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली को लेकर भी हमने दिल्ली की जनता से किया गया बहुत बड़ा कमिटमेंट पूरा किया था सरकार बनने के तुरन्त बाद दिल्ली में बिजली के दाम हमने आधे कर दिये थे और हमारा पूरा यकीन है कि दिल्ली में बिजली महंगी उत्पादन की वजह से नहीं है कि बिजली का महंगा उत्पादन हो रहा है बल्कि इसलिए कि बिजली की कंपनियों में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए पहचानने के लिए सी.ए.जी. ऑडिट तेजी से चल रहा है और जैसे ही ये सी.ए.जी. ऑडिट पूरा होगा हमें यह उम्मीद है कि बिजली के दामों में काफी कमी आएगी हमारी सरकार ने जो बड़ा वादा किया था बिजली के दाम आधा करने का, उसको आते ही पूरा किया। हम इस सम्मानित सदन के जरिए दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिजली की चोरी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाते हुए सख्ती से निपटा जायेगा ताकि बिजली सभी के लिए

ठीक से उपलब्ध हो सके। बिजली की निरन्तर बढ़ती मांग को पूरा करना है ताकि उचित समय पर उचित दाम पर गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली का पीक लोड जो कि इस गर्मी में करीब 6000 मेगावाट तक पहले पहुंच चुका है, उच्च वृद्धि को देखते हुए ट्रांसमिशन ढांचे में निरन्तर बढ़ोत्तरी और उसे उन्नत करने की जरूरत है। सरकार ट्रांसमिशन/ट्रांसफार्मेशन की एक्सट्रा कैपेसिटी पैदा करने के लिए पूंजी निवेश के लिए ट्रांसमिशन कम्पनी को निरन्तर वित्तीय सहायता दे रही है। दिल्ली ट्रांसको कं. द्वारा 2015-16 में कार्यान्वयन के लिए प्रमुख पूंजी परियोजनाओं में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ये परियोजनाएं 400 और 200 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के लिए है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रम "समेकित बिजली विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत दिल्ली सरकार समान वित्तीय योगदान करेगी और ऊर्जा सक्षमता और नवीनीकरण ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र में दिल्ली के लिए छतों पर सौर ऊर्जा की व्यापक नीति तैयार की है जिसका लक्ष्य संस्थानों और जन साधारण को सौर ऊर्जा के दोहन और बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में दिल्ली की ग्रिड से जुड़ी सौर उत्पादन क्षमता 07 मेगावाट है। चालू वित्त वर्ष में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 14 मेगावाट करने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना की जाएगी ताकि ऊर्जा सक्षमता परियोजना और स्ट्रीट लाइटिंग आदि के लिए धन की व्यवस्था की जा सके। मैं 2015-16 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 645 करोड़ रुपये के योजना बजट का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अनेक नए उपायों के जरिए दिल्ली में नई व्यापार इकाइयां लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है। व्यापार सरल बनाने के लिए जैसा मैंने कहा ई-बिजनिस परियोजना के अंतर्गत लाइसेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार शुरू करने की अन्य मंजूरियां बिना किसी कठिनाई के प्रदान किए जाने के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि कोई कठिनाई उनको न हो। इसलिए मंजूरी देने वाले पांच विभागों की सात सेवाएं संयुक्त करते हुए भारत सरकार के ई-बिजनिस पोर्टल से जोड़ दी गई हैं और 22 अन्य सेवाएं 2015-16 के दौरान इसमें शामिल की जाएंगी।

इंस्पेक्टर राज के लिए हम लोग अलग से योजनाएं बना रहे हैं जिसके बारे में मैंने पहले कहा 29 औद्योगिक क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैन्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें सड़कें, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइटिंग, बारिश के जल को निकालना, सीवर फैसिलिटीज, और सीवर ट्रीटमैन्ट प्लांट, जहां जहां जरूरत है, वहां करेंगे और इसके साथ साथ इण्डस्ट्रीज सैक्टर में एक बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। कि एक लाख ऑन जॉब ट्रेनिंग दिल्ली के उद्योगपतियों के साथ मिलकर शुरू की जायेंगी। यानी कि दिल्ली के लगभग 1 लाख युवाओं को इण्डस्ट्री में ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी और ये सीधे मिलेगी। इसके लिए उन्हें विशेष डिग्री डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं, वहीं पर मिलेगी। यह एक बड़ा कदम होगा। इससे इण्डस्ट्री को भी मेन पॉवर अपने हिसाब से ट्रेन करने में मदद मिलेगी, स्किल देने में मदद मिलेगी और साथ-साथ लोगों को रोजगार देने में भी बहुत मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ एक और बड़ी चीज जो हम सब

दिल्ली वासियों के लिए कन्सर्न का विषय है, चिन्ता का विषय है, वह है पर्यावरण।

अध्यक्ष महोदय, वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए सारी सरकारी एजेन्सियों से कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष में करीब 12 लाख पौधे लगाने का पूरी दिल्ली में लक्ष्य रखा गया है।

करीब दो हजार से ज्यादा इको-क्लब पहले से ही इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। 14 एकड़ भूमि खतरनाक कचरे के निपटान के लिए अभी डी.एस.आई.ओ.डी.सी. को सौंपी गई है और पेड़ काटने को महंगा बनाया गया है। जो व्यक्ति पेड़ काटेगा, उसे और भुगतान करना होगा। सार्वजनिक सुविधाओं और निजी शौचालयों की भारी कमी की वजह से सैनिटेशन और पॉल्यूशन की समस्याएं बनी हुई हैं। इसमें सरकार समग्र रूप से काम कर रही है। पॉल्यूशन की एक सबसे बड़ी जगह वेहिकिल्स हैं। दिल्ली में वेहिक्युलर पॉल्यूशन बहुत प्राब्लम कर रहा है और हमने देखा है, मैंने खुद जाकर निरीक्षण किया है। हमारे पर्यावरण मंत्री जाकर निरीक्षण करते हैं। उन्होंने देखा है कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, वो बड़ा हल्का है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉल्यूशन सैन्टर पर जाकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले लेता है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पॉल्यूशन चैक किया, नहीं किया। पैसे दिए और सर्टिफिकेट लगाकर चलते बने। ये प्रेक्टिस है और ये किसी से छिपी नहीं है। तो सरकार ने इसको गंभीरता से देखकर तय किया कि अगर वैहिकुलर पॉल्यूशन से दिल्ली को बचाना है तो इस दिशा में बहुत सख्त कदम उठाने होंगे और पहला सख्त कदम सरकार ये उठा रही है कि ये जो चैकिंग है, पॉल्यूशन सैन्टर पर जब किसी वाहन की चैकिंग होगी, तो

उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा, उसको ऑन लाइन कर दिया है। जैसे ही वाहन के नोजल में वह अपना टूल लगायेगा, और वहां से जो डेटा कलैक्ट होगा, वह डेटा उसको तो मिलेगा ही, साथ साथ सैन्टर सर्वर पर भी आयेगा। सरकार की निगरानी में भी आयेगा। तब वहां बेईमानी नहीं हो सकेगी। वहां ऐसे ही पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहन को पॉल्यूशन क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकेगा। इससे बहुत मदद मिलेगी और इससे करप्शन रोकने में भी मदद मिलेगी। एक जो ये स्टीकर लगता है फ्री में...आज तक तो छोटे साइज में भी लग जाते हैं। आने वाले समय में दिल्ली में पॉल्यूशन वाला स्टीकर लेना, उसको लगवाना आसान नहीं होगा और जो बाहर से वाहन आ रहे हैं, वो भी बहुत पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो उनकी भी लगातार इन्फोर्समैन्ट से चैकिंग करवाई जायेगी। बड़े पैमाने पर चैकिंग करवाई जायेगी। और सारे बॉर्डर पर, जो जो वाहन बाहर से दिल्ली में इन्टर कर रहे हैं, उनका भी पॉल्यूशन चैक करवाने के बाद उनको अन्दर लाया जायेगा। इसमें सख्ती करेंगे, तभी हम दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। हमें सभी से सहयोग की भी अपेक्षा है और इसमें सरकार पूरी गंभीरता से काम करेगी।

अध्यक्ष महोदय, डीयूएसआईबी के जरिए सार्वजनिक शौचालय निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है और चालू वित्त वर्ष में 23 स्लम बस्तियों में 4000 डब्ल्यू.सी. सीटें 4 स्लम बस्तियों में 130 प्री-फैब डब्ल्यू.सी. सीटें और बायो-डाइजेस्टर्स के साथ 67 मोबाइल शौचालय वैन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव में आपके सामने रख रहा है।

अध्यक्ष महोदय कचरे के बेहतर निपटान के लिए ऊर्जा संयंत्र बनाने की

योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि कचरे का निपटान भी हो और साथ साथ बिजली भी मिले। कचरे से बिजली बनाने का 16 मेगावाट का एक संयंत्र 2012 से दिल्ली में काम कर रहा है। उसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वहां स्थानीय नागरिकों को परेशानी न हो। ऐसा एक संयंत्र गाजीपुर में चालू किया जाने वाला है और तीसरा संयंत्र नरेला में बवाना रोड पर लगाया जा रहा है जो कि 24 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये तीनों संयंत्र 6250 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से उपयोग करेंगे तो कचरे से भी मुक्ति मिलेगी और साथ साथ बिजली भी मिलेगी।

बैट्री चालित चार पहिया और दुपहिया वाहनों की नई खरीद करने वाले वाहन मालिकों को दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी जो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से अतिरिक्त होगी। अभी तक भारत सरकार सब्सिडी नहीं देती थी। सब्सिडी की शर्त ये थी कि सब्सिडी के साथ साथ आप और कोई सब्सिडी नहीं ले सकते वाहन खरीदने के लिए। लेकिन अब हमने वह शर्त हटा दी है। अब भारत सरकार भी एक स्कीम लेकर आई है। तो अगर बैटरी चालित वाहन खरीदता है तो कोई उसको भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की सब्सिडी का फायदा मिल सकता है। उसका एक पूरा प्लान बनाया गया है, उसके स्लेब्स बनाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ई-रिक्शा के बारे में पहले बता चुका हूँ। एक व्यक्ति केवल एक ही ई-रिक्शा पर सब्सिडी का दावा कर सकता है। दूसरा किसी किस्म के कचरे, रद्दी, पत्ती प्लास्टिक, कचरा इनको जलाने पर प्रतिबन्ध

लगाने के लिए हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं। इसमें पर्यावरण विभाग के अलावा जो सरकार की जो दूसरी मशीनरी हैं, दूसरे अधिकारी हैं, एस.डी.एम. लेवल तक उनको भी लगाया है। सख्ती से जुर्माना लगाने के लिए जन-जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और जुर्माना भी लगायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, ये बजट का भाग 'क' था अब मैं बजट का 'ख' भाग प्रस्तुत करता हूँ जिसमें मैं कर प्रस्तावों पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं सरकार की नीतियों का पहले वर्णन कर चुका हूँ कि किस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य परिवहन इन सब पर विशेष बल दिया गया है। गरीबों, उपेक्षितों और समाज के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। मैंने सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने के लिए अधिक संसाधन जुटाने और ये सुनिश्चित करने के बीच उचित संतुलन बनाये रखने का प्रयास किया है कि कर प्रस्तावों का आम आदमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े जिससे कि आम आदमी का जीना और मुश्किल न हो। संभवत: भारत के इतिहास में ये पहला पार्टिसिपेटरी बजट है, इसे देखते हुए सहभागियों की, पार्टिसिपेटरियों की दिल्ली की जनता ने बड़े पैमाने पर इसमें पार्टिसिपेट किया है। न केवल खर्चों में बल्कि रेवेन्यू में भी हमने उनसे सजेशन मांगे और बहुत सारे लोगों के सजेशन आये भी। उनमें से मुछ को हम इम्पलीमैन्ट कर रहे हैं, कुछ को आगे इम्पलीमैन्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने एक वायदा सरकार बनाते वक्त किया था...जो टैक्स मेनेजमेंट है उसमें पूरी तरह से transparency and predictability होनी चाहिए। इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। अभी सरकार का यकीन है कि एक स्थिर कर व्यवस्था दिल्ली में होनी चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लोग भरोसा कर सके predictable रह सकें टैक्सेज के बारे

में। कोई unprecedented नहीं होना चाहिए इस में। तो कुछ आज इस प्रस्ताव में कुछ वस्तुओं के मामले में टैक्स की जो clarifications है, clearances, है उसमें थोड़ा अस्पष्टता है। अस्पष्टता दूर करने के लिए कुछ स्पष्टीकरणों को छोड़कर हम वैट की दरों में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा फैसला है कि कर व्यवस्था में दिल्ली के बैट के रेटस में हम कुछ स्पष्टीकरणों को छोड़ के कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं आप वैट की दृष्टि से एक दम टैक्स फ्री बजट है। हम कोई नया टैक्स किसी में नहीं लगा रहे। वैट पर कोई कर बढ़ा नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हम आंकड़े जुटाएंगे पहले। हम पहले सारी चीजों को समझेंगे कि टैक्स यहां से आ रहा है। किस गुडस पर, किस commodity किस सैक्टर में कितना टैक्स है, कितना व्यापार हो रहा है कितना ट्रेडिंग हो रही है। उसके बाद सांईटिफिक तरीके से, क्योंकि अभी आकलन के आधार पर नहीं, महज तुक्कों के आधार पर नहीं, बहुत साइंटिफिके तरीके से स्टेडी करके हम टैक्स के प्रपोजल्स लाना चाहते हैं। अभी वैट के टैक्स में बढोतरी का प्रपोजल यहां इस बजट में नहीं देख रहे हैं। इसके साथ-साथ हमने एक और फैसला किया था, कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली में, दिल्ली सरकार के मुख्यालय में, पड़ोसी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था कि दिल्ली में टैक्स कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल में कुछ और तो पड़ोसी राज्यों के वित्त मंत्री सहजता से आए और माना कि इसकी वजह से टैक्स की चोरी होती है उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है। और

लोगों को भी कन्फयूजन रहता है। बिलिंग इधर से उधर होती है। ये बहुत बड़ी लीकेज की वजह है। तो उनके साथ मैंने बैठ के चर्चा की और वो भी इस बात से सहमत हुए कि हमें यूनिफाईड टैक्स सिस्टम रखना चाहिए। तो उस पर जल्दी ही कुछ फैसले लेके काम किया जाएगा ताकि टैक्स की चोरी भी रुके और राज्यों के बीच में टैक्स को लेके एक समन्वय बने। मैं उम्मीद करता हूं उस बारे में जल्दी ही कुछ फैसले आपके समक्ष आएंगे। वैट सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है व अनुमान है कि हम एक साल में वैट के जरिये 24 हजार करोड़ रुपये एकत्रित करेंगे। जो सरकार की कुल राजस्व वसूली रवेन्यू कलेक्शन का 69.3 परसेंट है। पहले दो महीनों में और इसका पूरा भरोसा है कि यह सम्भव है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि एक तो हमने दिल्ली में रेड राज बन्द किया है। दिल्ली में हम व्यापरियों पर रेड नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में व्यापारियों को गले लगाया है। उन्हें कह रहे हैं कि भई, आपके विकास के लिए पैसा दो सरकार आपको फैसिलिटी देगी और दे रही है। पूरी तरह से दे रही है और जहां जहां पालिसी चेंज करनी है, वहां पर सरकार पालिसी चेंज कर रही है। उसका असर भी देखने को मिला है दिल्ली के व्यापारियों में भरोसा हुआ है। और पहले दो महीने इस वित्त वर्ष के पहले दो महीने में हमें वैट की वसूली में 37.6 फीसदी की बढ़ोत्तरी दिखाई दी है। ये अपने आपमें एक बहुत ही उल्लेखनीय चीज है। दिल्ली में मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2004 की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टी 1984 के अन्तर्गत अधिकार इण्डस्ट्रीयल इनपुट्स पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाता है। लेकिन लकड़ी और इमारती लकड़ी फर्नीचर के लिए बहुत बड़ा इनपुट है। उसमें reationalization नहीं है

और इसलिए मैं लकड़ी और इमारती लकड़ी पर वैट की वर्तमान दर 12.5 को घटा के 5 फीसदी करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह एक ही वस्तु के अलग-अलग प्रकारों पर कर की दर कई तरह से कई तरह की होती है। इस तरह वहां सब गड़बड़ होता है। सारा टैक्स चोरी होता है। उसी समय विन्डो बना ली जाती है करप्शन की, टैक्स चोरी की। तो एक ही वस्तु के अलग-अलग प्रकारों पर जो टैक्स दरें अलग हैं, उस पर स्पष्टता लाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी भी वस्तु के अलग-अलग रूपों पर एकल दर से कर लगाया जाए। ऐसा मेरा प्रस्ताव है। वर्तमान में दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की सूचियों की प्रविष्टियों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मोम पर 5 फीसदी, 12 फीसदी और 20 फीसदी की दर से वैट लगाया जाता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मौजूदा प्रविष्टियों में उपयुक्त संशोधन करते हुए सभी प्रकार की मोम पर 5 फीसदी की टैक्स से इकट्ठा टैक्स लगाया। बहुमूल्य धातुओं से बने बर्तनों को छोड़कर प्रेशर कुक्कर, कढ़ाई सहित सभी प्रकार के बर्तनों पर वर्तमान 5 फीसदी कर लगाया जाता है। परन्तु एक तरफ इन पर 5 फीसदी है प्रेशर कुक्कर इन सब पर चाकू छुरी कटलरी इन सब पर 12.5 लगता है। क्योंकि ये वस्तुएं सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित है। अत: प्रस्ताव किया जाता है कि बहुमूल्य वस्तुओं से बनी वस्तुओं को छोड़कर सभी बर्तनों को, धातु की बनी कटलरीज, प्रेशर कुक्कर, कढ़ाई आदि पर 5 फीसदी तक ही कर लगाया जाए। जिसमें कटलरीज, चाकू छुरी आदि भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, मैं वैट की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। हमारा मानना है कि कारगर, सक्षम और सहज कर प्रबन्धन के जरिये कर वसूली में सुधार लाया

जा सकता है। सरकार वैट संरचना को सरल बनाने के लिए वचन बद्ध है। ताकि व्यापारी समुदाय आसानी से वैट विनियमों और नियमों को आसानी से पालन कर सके। अनुपालन व्यवस्था को कम खर्चीला और व्यापार के अनुकूल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं और चुनाव घोषणा पत्र में किये गए वादे के अनुसार जैसा मैंने कहा रेड राज की समाप्ति और हमें पूरा भरोसा है कि टैक्स कम करने से टैक्स का संकलन बढ़ेगा। हमें पूरा भरोसा है कि टैक्स को predictable बनाने से बार-बार jumping station न बनाने से टैक्स को स्थिर रखने से व्यापारियों को भी सहूलियत होगी और सरकार को भी ज्यादा टैक्स मिलेगा और हमें पूरा भरोसा है कि टैक्स की चोरी अगर रोकनी है तो उधर ध्यान दिया जाए जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं। उन्हीं से और ज्यादा टैक्स वसूलते रहिए, उन्हीं के रेटस बढ़ाते रहिए। ये कोई बहुत अच्छी परम्परा बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो हमारा फोकस लीकेज रोकने का है। हमारा फोकस अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाने का है। अगर टैक्स कम करेंगे तो अधिक से अधिक लोग फिर उसको देना चाहेंगे, चोरी से बचना चाहेंगे। व्यापारियों को अगले लगाने का है। हमारा फोकस यही है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर और burden न डाला जाए। बल्कि जो नहीं दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी आगे आके खुशी से टैक्स दें। क्योंकि कि लहरों की प्यास पर पहरे तो लगाना आसान है, समुद्र की तफतीस मगर कोई नहीं करता। हम समुद्र की तफतीस करेंगे। लहरों पर पहरे लगाते रहिए। टैक्स क्लेक्ट करते रहिए। लेकिन समुद्र में घुस के वहां से निकाल के लेके आना, तफतीस करके लेके आना वो परम्परा हम टैक्स के मामले में शुरू करेंगे। वैट में पैनेल्टीज करने

का भी हम इसी सदन में कानून का प्रस्ताव भी ले के आएंगे, अलग से ले के आएंगे। लेकिन अभी सदन की सूचना के लिए यहां बात कर रहा हूं। वैट में पेनेल्टीज करने का कानून ले के आएंगे।

अध्यक्ष जी, सरकार न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि जैसा पोल्यूशन पर बात करते हुए मैंने कहा कि सरकार भावी पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए हम ईंधन से चलने वाले सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता में हम महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेंगे। परन्तु वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी करने वाले वाहन सब के लिए चिन्ता का विषय है। हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में भारी माल वाहक डीजल वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। दिल्ली में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहनों पर जो माल वाहक वाहन है। उनके प्रवेश पर क्योंकि वो पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है, उन पर मैं अलग से टैक्स लगाने का प्रस्ताव यहां रखता हूं। चार पहिए वाले टैम्पो ट्रक हल्के ट्रक पर 100 रुपये चार पहिये वाले ट्रक पर 500 रुपये, छह पहिए वाले ट्रक पर 750 रुपये, 10 पहिये वाले ट्रक पर 1000 रुपये और चौदह ट्रक वाले ट्रक पर 1500 रुपये का शुल्क लगाने का ऐसे वाहनों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव में सदन के सामने रख रहा हूं और मैं प्रस्ताव करता हूं इससे संकलित जो धन हो उसका इस्तेमाल पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, नई बसें खरीदने के लिए, बस shelters बनाना, उसका integrated रूप से चलाना इन सब पर किया जाए और दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।

अध्यक्ष महोदय, सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के अन्तर्गत अधिकतम

गिरफ्तारियां Excise Department से हुई है। दिल्ली उन गिने चुने राज्यों में से एक है जो आयात स्तर पर नहीं बल्कि परिवहन परमिट स्तर पर राज्य एक्साईज शुल्क लेता है। शराब के लिए व्यापार को सुचारू बनाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार आबकारी शुल्क में बदलाव करते हुए इसे परिवहन परमिट स्तर से आयात परमिट स्तर पर अन्तरित करना चाहती है। एक्साईज पालिसी में पूरा चेंज करना चाहती है। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार शराब की खुदरा बिक्री करने वाले निगमों के वार्षिक लाइसेंस शुल्क को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखती है। साथ ही अन्य लाईसेंस शुल्क में थोड़ा बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। दिल्ली मीडिल लीकर के अप्रचलित ब्रांड को साल के दौरान चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रस्ताव है। सरकार का एक्साईज टैक्स में एक्साईज फीस में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि इस में पिछले साल ही बढ़ोतरी की गई थी। इसी प्रकार होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंटों के लाइसेंसों के नवीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने और उन्हें व्यापार अनुकूल बनाने के सुधार के इन्तजाम किये जाएंगे। इसके लिए सम्बन्धित विभागों से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जो शर्तें हैं, वह हटाई जा रही है। सरकार सभी प्रतिष्ठानों पर लागू लग्जरी टैक्स की दर 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव करती है।

अध्यक्ष महोदय, केबल टी.वी., डी.टी.एस. सेवाओं पर 40 रुपए मनोरंजन कर लगाने का प्रस्ताव है और सिनेमाघरों पर मनोरंजन कर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार बाजी कर, एकत्रकर्ता यानि बेटिंग, टोटलाइजेटर टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनियों और साझेदारी फर्मों के नाम पर पंजीकृत सभी श्रेणियों के निजी वाहनों के लिए पंजीकरण पर वर्तमान दर में 25 फीसदी बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव करता हूं। यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करेगा। इस उपाय से करीब 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकार का ये दृढ़ विश्वास है कि विवेकाधिकार की परिणति भ्रष्टाचार में होती है और हम व्यवस्थित ढंग से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वचनबद्ध है। भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली पर लागू है, के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार स्टैम्प कलेक्टर जब्त दस्तावेज के मामले में 5 रुपए से स्टैम्प ड्यूटी में कमी की मात्रा के 10 गुना तक जुर्माना लगा सकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जुर्माने की दर विलंब के प्रत्येक महीने के लिए कमी राशि के 2 फीसदी की दर से युक्तिसंगत बनाई जाए। अधिनियम के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि स्टैम्प अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जाए, जो अधिनियम में प्रयोग शब्दों और अभिव्यक्तियों के लिए निश्चित व्यवस्था करेंगे और व्याख्या में भ्रम दूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित संशोधनों से भारतीय स्टैम्प अधिनियम के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता आएगी।

अध्यक्ष जी, मुझे इस सम्मानित सदन में घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने सर्कल रेट बढ़ाने की किसानों की लंबे समय से बकाया मांग को पूरा करने का निर्णय लिया है। किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। भूमि अधिग्रहण के लिए सर्कल रेट को बेंचमार्क के रूप में

समझा जाता है। कृषि भूमि के लिए सर्कल रेट की वर्तमान दर मार्च, 2008 में निर्धारित की गई थी, अब समय आ गया है कि सरकार बाजार की वास्तविकता को स्वीकार करे और किसानों के अधिकारों को समझे। मैं कृषि भूमि को दो श्रेणियों में विभाजित करने और सर्कल रेट में निम्नलिखित बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव रखता हूं :

पूर्वी जिले में कृषि भूमि के लिए दर एक करोड़ रुपए, उन गांवों में कृषि भूमि की दरें जिनमें लैंड पूलिंग नीति लागू हैं - सवा दो करोड़ रुपए तो इस तरह से पूरे प्रस्ताव में सवा दो करोड़ रुपए से तीन करोड़, साढ़े तीन करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव इसमें है, अलग-अलग श्रेणी में। ये मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन सारे प्रस्तावों का निचोड़ निकाले क्योंकि बजट में लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें क्या मिला। मैंने शुरू में भी कहा था कि दिल्ली के तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं गरीब लोग, अमीर लोग, महिलाएं, बच्चे क्या मिलेगा। सबको क्या मिलेगा। तो मैं अगर इसका लब्बोलुवाब निकाल के कहना चाहूंगा, कह सकता हूं कि दिल्ली के युवाओं को सबसे बड़ा तोहफा बजट से नौकरियों का मिलेगा। करीब एक लाख नई नौकरियों के अवसर इस बजट के माध्यम से युवाओं के सामने आएंगे। इसके अलावा स्किल एजुकेशन, स्पोटस, हायर एजुकेशन, लोन की गारंटी की व्यवस्था ये सब युवाओं के लिए हैं और फ्री वाई-फाई, कॉलेजिस में फ्री वाई-फाई ये सब युवाओं को मिलेगा।

महिलाओं को देखें तो महिलाओं की सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी अपेक्षा

सरकार से दिल्ली में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और मैं समझता हूं ये बजट प्रस्ताव दिल्ली में महिलाओं को भरोसा दिलाने में, महिलाओं में भरोसा जगाने में कामयाब होंगे कि दिल्ली में चाहे वो बसों का मसला हो, महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। वर्किंग वीमेन होस्टल बनाना हो या क्रेच बनाना हो वर्किंग वीमेन के बच्चों के लिए improved nutrition आंगनवाड़ी हो या सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाना हो।

इसी तरह से घर में क्या मिलेगा, किचन में क्या फायदा होगा? बिजली सस्ती है, पानी मुफ्त है और साथ-साथ टैक्स नहीं बढ़ा। किसी चीज पर वैट की दर नहीं बढ़ी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो गृहणियों को बहुत बड़ी उपलब्धि इस बजट से कह सकते हैं। दिल्ली की तमाम महिलाओं के लिए वैट में बढ़ोत्तरी नहीं करने से बहुत बड़ी राहत मिलेगी दिल्ली के हर परिवार को कि उनकी किचन का खर्चा महंगा नहीं होगा।

प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, नई सोच वाले लोग, नई ऊर्जा उनके लिए Incubation Centre, Starter, High Power Committee, Ease of doing business के लिए और टैक्स में, टैक्स की regime में जो स्टेबलटी है ये professionals को बड़ी राहत देगी और रेड राज, लाइसेंस राज खत्म करने की जो खबर है, उसको वो पहले से देख रहे हैं।

इंडस्ट्री-प्राइवेट पार्टनर शिप के जरिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। दिल्ली के infrastructure development में private partnership को साथ लेकर चलना। रोडस में, एंबुलेंस में, इंफरास्टकचर प्रोजक्टस में, अनअथोराइज्ड कॉलोनिस के लिए रजिस्ट्री और लोन ये सब सुविधाएं, इस बजट के माध्यम से लोगों

को मिलेंगी और सबसे बड़ी चीज जो दिल्ली के हर नागरिक को मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि नए कर प्रस्तावों से जो commercial वाहन बाहर से आ रहे हैं उनकी पोल्यूशन चैकिंग की सुविधाओं से और जितने हमने प्रस्ताव किए हैं, उन सबके जरिए दिल्ली में और जो तमाम प्रस्ताव कर रहे हैं। पोल्यूशन से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं ऐसा हवा हवाई घोषणा नहीं करना चाहता कि पोल्यूशन खत्म हो जाएग। एक दम पोल्यूशन फ्री दिल्ली हो जाएगी एक साल में। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जैसे-जैसे ये योजनाएं, जैसे-जैसे ये प्रस्ताव लागू होते रहेंगे, बहुत प्यार से दिल्ली में प्रोल्यूशन में कमी आती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, अपने वक्तव्य के अंत में मैं ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए दिल्ली के उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस बजट के बनाने में सहयोग दिया, मौहल्ला बैठकों से लेकर, ई-मेल पर विज्ञापन के जवाब में जो प्रस्ताव आएं उनको, तमाम लोगों ने रास्ते चलते तक सुझाव दिएं, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेष रूप से दिल्ली के तमाम वोटर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी वजह से आज हम यहां इस स्थिति में बैठे हैं कि हम इन बजट प्रस्तावों को तैयार कर सके। ऐतिहासिक रूप से बैठे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पटपड़गंज विधानसभा के वोटर्स का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके सहयोग की वजह से मैं यहां हूं और आज वित्तमंत्री के रूप में मुझे ये बजट प्रस्ताव, दिल्ली के लिए बजट प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत करने का अवसर मिला और दुनियाभर में बैठे हुए, दिल्ली में अथक काम करने वाले, देशभर में अथक काम करने वाले तमाम volunteers जो इस आंदोलन के साथ इसलिए जुड़े हैं कि देश

में बदलाव होंगे। आज वो पूरा बजट देख रहे हैं। बहुत लोगों के एस.एम.एस. आए थे कि आपका web link क्या है। दुनियाभर में बैठे हुए देख रहे हैं। मैं उन सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके सहयोग की वजह से, दुनिया में वो जहां भी बैठे हैं, उन्होंने जो भी सहयोग किया है। दुआओं में किया हो या किसी एक्शन में किया हो उसकी बदौलत आज हम बहुत आत्मविश्वास के साथ एक ऐसा बजट दिल्ली के समक्ष रख रहे हैं जिसमें शिक्षा का बजट ऐतिहासिक रूप से दोगुणा किया गया, जिसमें स्वास्थ्य का बजट ऐतिहासिक रूप से डेढ़ गुणा किया गया, ऐतिहासिक रूप से वैट की दृष्टि से देखें तो एक दम टैक्स फ्री बजट है। कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। इससे एक ऐसा बजट पेश किया गया। क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का बजट नहीं है। हम कैसे सरकार चला रहे हैं, ये बजट कैसे बना रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं पूरा देश निगाह लगा के बैठा है। मैंने कहा दुनियाभर के volunteers, दुनियाभर के तमाम लोग जो volunteers है या नहीं है, निगाह लगा के बैठे हुए हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइव प्रसारण देख रहे हैं इसका। क्या चाहते हैं वो वो दिल्ली के नागरिक नहीं है तब भी क्या है, क्या रिश्ता है। एक बहुत बड़ी उम्मीद का रिश्ता है और मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास डी.डी.ए. हो ना हो, आज हमारे पास पुलिस हो ना हो लेकिन हमारे पास इस देश के लाखों-करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों के दम पर हम सरकार चला रहे हैं। करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं, उनकी दुआ और हमारा हौसला, लोगों की दुआएं, लोगों की उम्मीदें और हमारा हौसला इसके दम पर हम इस तरह का ये बजट प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें दिल्ली के लोगों की महत्वकांक्षाएं

हैं। ट्रेडिशन रूप से जब हम सोच रहे थे बजट बनाते वक्त तो हमारे कई साथियों ने थोड़ा सा डरते-डरते कहा, बहुत महत्वाकांक्षी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे हमने कहा जिस दिल्ली ने ऐतिहासिक रूप से 67 विधायक इस विधानसभा में एक पार्टी के बिठाए हैं, वहीं दिल्ली इस ऐतिहासिक बजट को सच करने में, इन सपनों को सच करने में साथ देगी। ये हमारा बजट थोड़े ही है ये तो दिल्ली का है। दिल्ली की जनता का बजट है और पिछले दो महीने का टैक्स क्लैक्शन, पिछले दो महीने का performance इस वित्त वर्ष में इस बात का सबूत है। इन सबको मैं धन्यवाद करते हुए जो मैंने उम्मीद की बात करी इस उम्मीद को रोशन करने वाला एक चिराग, एक नाम, एक उम्मीद अगर मैं कहूं तो वो हमारे अरविंद भाई मुख्यमंत्री के रूप में यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने अरविंद भाई ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझमें भरोसा करके वित्तमंत्री की जिम्मेदारी मुझे दी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और दो लाइनें उनके ऊपर कहकर अपने वक्तव्य को खत्म करना चाहूंगा - वो मेरी तरफ से नहीं है देश के तमाम उन लोगों की तरफ से हैं जो संघर्ष, हौसले के साथ उम्मीद लगा के बैठे हैं :

'तुम्हारे होने से किस-किस को आस क्या है,
तुम्हारी आम सी बातों में खास क्या है,
ये तुमने हम सबको सिखाया है अपने होने से,
भले वो कोई भी हो इंसा के पास क्या है?

इंसान के पास हौसला है, इंसान के पास जज्बात है और इंसान के पास ईमानदारी है। अगर ये हैं तो कुछ भी संभव है। ये भी संभव है और इससे

दिल्ली की चार गुणा और ज्यादा तरक्की संभव है। इस उम्मीद के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं सदन का कि मेरी बातों को बहुत शांतिपूर्वक सुना। धन्यवाद।

**...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : इससे पहले माननीय वित्तमंत्री जी का आभार व्यक्त करूं मैं विजेंद्र गुप्ता जी का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अपनी चेयर से खड़ा होकर उनको salute कर रहा हूं कि आज सदन की मर्यादाओं को आपने बहुत सुंदर ढंग से चलाया। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय वित्तमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आप सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं और इन शब्दों के साथ जो माननीय वित्तमंत्री जी ने यहां कहा है और ये आपको बजट की बुक मिली है इसका अध्ययन करें और इसके अध्ययन का समय हमको मिलेगा। 29-30 को इस पर चर्चा होगी और एक-एक चीज को गहराई से अध्ययन करें ताकि सदन की गरिमा, जिस ढंग से वित्तमंत्री जी ने बजट पेश करते समय प्रस्तुत की है, आप उसको और ऊंचाइयों पर ले जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत-बहुत आभार। मीडिया के बंधुओं का भी बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

सदन की कार्यवाही दिनांक 26.06.15 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(सदन की कार्यवाही दिनांक 26.06.15 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)**